



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 जनवरी, 2024

पौष 28, 1945 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-8

संख्या 181/छ-पु0-8-2024-801(1)-2023

लखनऊ, 18 जनवरी, 2024

अधिसूचना

सा0प0नि0-4

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2022) की धारा 64 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य के लिये अग्निशमन तथा आपात सेवा के अनुरक्षण हेतु उपबंध करने के लिए और उससे सम्बन्धित एवं उनके आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024 कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिये होगा।
- (3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2022) से है;

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

परिभाषाएँ

(ख) “निदेशक” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा से है;

(ग) “महानिदेशक” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा से है;

(घ) “उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा निदेशालय” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण में महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के समादेश और नियंत्रण के अधीन कार्यशील उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा निदेशालय लखनऊ से है;

(ङ) “विद्यमान भवनों” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (द) के अधीन यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण या अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ट) के अधीन यथा परिभाषित वास्तविक प्राधिकरण द्वारा निर्गत विद्यमानता के सबूत के अधीन इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिकांश पूर्ण निर्मित भवनों से है;

(च) “वाह्य प्रशिक्षु” का तात्पर्य ऐसे प्रशिक्षु से है जिसे राज्य अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव या अधिनियम की धारा 46 के अधीन स्थापित अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में चल रहे किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया हो और जो स्थानीय निकायों, औद्योगिक उपक्रमों, अन्य राज्य अग्निशमन सेवाओं, होटलों, बहुमंजिले भवनों और तत्समान अन्य सरकारी और गैर सरकारी अधिष्ठान के निजी उम्मीदवारों सहित उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा की उपस्थिति पंजी में न हों;

(छ:) “अग्निशमन, बचाव या आपात बुलावा” का तात्पर्य अग्नि लग जाने, बचाव या आपात स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिये उपकरण, उपस्कर या कार्मिकों की पूर्ति के रूप में सहायता के लिये अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में की गयी मांग से है;

(ज) “विस्फोटक” विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1908) के अधीन यथा परिभाषित “विस्फोटक पदार्थ” पेट्रोलियम श्रेणी-क पेट्रोलियम श्रेणी-ख या पेट्रोलियम श्रेणी-ग और “खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थ” के वही अर्थ होंगे जो विस्फोटक अधिनियम, 1884 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1884), पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 30, सन् 1934) और ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 20, सन् 1952) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है;

(झ) “अग्निशमन जिला श्रेणी-क” का तात्पर्य इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा यथा गठित राजस्व जिला में छह या इससे अधिक अग्निशमन केन्द्रों और इस सम्बन्ध में जैसा राज्य सरकार विनिश्चय करे कोई अन्य जिला जिससे अत्यधिक अग्नि का खतरा है और भेद्यता हो, के क्षेत्र निर्माण से है;

(ञ) “अग्निशमन तथा जिला श्रेणी-ख” का तात्पर्य इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा इस रूप में गठित राजस्व जिला में छह से कम अग्निशमन केन्द्रों के क्षेत्र निर्माण से है;

(ट) “अग्निशमन उप जिला” का तात्पर्य इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा इस रूप में गठित “श्रेणी क” अग्निशमन जिला के क्षेत्र निर्माण से है;

(ठ) “क्षेत्र निर्माण” का तात्पर्य ऐसे अधिकारी/अधिकारियों से है जिनकी अधिकारिता यथास्थिति अग्निशमन जिला, अग्निशमन परिक्षेत्र, राज्य और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और अग्निशमन सेवा निदेशालय पर हो;

(ड) “अग्निशमन अधिकारी” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 और धारा 10 के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारियों से है और इसमें अपने-अपने क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले किसी अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक, निदेशक सम्मिलित होंगे;

(ढ) “अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र” का तात्पर्य जीवन और सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से अग्निशमन उपकरणों की मौजूदगी और जीवन रक्षक उपायों का संकेत करने और प्रमाणित करने वाले अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा निर्गत और भवन या परिसर की उस विशिष्ट ऊंचाई या अध्यासन, जिसके लिये यह निर्गत किया गया है, के लिये अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र से है। भूमि उपयोग, स्वामित्व आदि को प्रमाणित करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जायेगा;

(ण) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(त) “निरीक्षण प्राधिकारी” का तात्पर्य अग्निशमन केन्द्र द्वितीय अधिकारी से अनिम्न रैंक के अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी या क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले अग्निशमन अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अग्निशमन अधिकारियों से है;

(थ) “जाँच प्राधिकारी” का तात्पर्य मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनिम्न रैंक के अग्निशमन जिला या अग्निशमन उप जिला के प्रभारी अधिकारी या महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अग्निशमन अधिकारी या अग्निशमन अधिकारियों के समूह या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अग्निशमन अधिकारी से है;

(द) “बहुमजिला भवन” का तात्पर्य भवन उपविधि में यथापरिभाषित 15 मीटर या अधिक ऊंचाई के भवनों से है;

(ध) “विहित प्राधिकारी” का तात्पर्य सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट से है;

(न) “प्राचार्य” का तात्पर्य राज्य अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव और अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अन्य क्षेत्रीय अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी उपनिदेशक से अनिम्न रैंक के अग्निशमन अधिकारी से है;

(प) “निजी इकाई” का तात्पर्य अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य में संसाधनों पर विधि पूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है;

(फ) “परिसर” का तात्पर्य किसी भूमि या भवन या किसी भूमि अथवा भवन के भाग या उससे सम्बद्ध से है जिसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद और खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थ के भण्डारण के लिये किया जाता है;

(ब) “क्षेत्रीय अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण केन्द्र या अकादमी” का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथा स्थापित प्रशिक्षण अकादमी और आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों से है;

(भ) “राज्य अग्निशमन और आपात प्रशिक्षण संस्थान” का तात्पर्य राज्य अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव और अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अन्य क्षेत्रीय अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण केन्द्रों से है;

(म) “अनुसूची” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है;

(य) “प्रशिक्षण प्रभार” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 46 और 47 के अधीन उपबन्धित अनुदेशों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रशिक्षुओं द्वारा संदत्त किये जाने वाले प्रभारों से है और इसमें ट्यूशन फीस, प्रयोगशाला प्रभार, अग्निशमन मैदान प्रचालन प्रभार, प्रशिक्षु सुविधा निधि और आवास प्रभार आदि सम्मिलित होंगे;

(क) “अस्थाई संरचना” का तात्पर्य किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अस्थाई आधार पर स्थान के रूप में उपयोग करने के लिये भारतीय मानक ब्यूरो: 8758:1993 के अनुसार यथा अनुमन्य सामग्री से बनाये गये छत और दीवार वाली संरचनाओं से है जहां आम जन समवेत हो सकते हैं, परन्तु जो अस्थाई अथवा निरन्तर अध्यासन के लिये ग्रहण न किया गया हो और इसमें पण्डाल, तम्बू, शामियाना, मण्डप, काटेज आदि भी है;

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम या उपविधि या भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 30 सन् 1934) और पेट्रोलियम नियमावली 2002, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1884) और तद्दीन बनाई गई नियमावली, राष्ट्रीय अग्नि बचाव एसोशिएशन, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित सुसंगत भारतीय मानकों या विनिर्देशों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियमों, नियमावली, उपविधि, भवन उपविधि, अथवा भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या भवनों अथवा परिसरों और पण्डालों के निर्माण और अग्नि सुरक्षा के लिये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय मानकों और विनिर्देशों में उनके लिये समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

निदेशालय स्तर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियन्त्रण और अनुरक्षण

निदेशालय
अग्निशमन तथा
आपात सेवा का
गठन

3-(1) राज्य सरकार निदेशालय, अग्निशमन तथा आपात सेवा के निर्माण के लिये शासनादेश/कार्यालय ज्ञापन पारित कर सकेगी जिसमें महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा तथा ऐसे अन्य अग्निशमन अधिकारी जैसे निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान), मुख्य अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधीनस्थ अधिकारी होंगे।

(2) राज्य सरकार ऐसे विविध प्रकोष्ठों और/या शाखाओं को स्थापित कर सकेगी जैसे अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ, अग्नि सुरक्षा प्रवर्तन प्रकोष्ठ, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ, शोध और विकास प्रकोष्ठ, एक्सप्रेसवे दुर्घटना और ट्रामा प्रकोष्ठ, क्षेत्रीय संयोजन योजना विमान पतन, अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रकोष्ठ, विशेष भवन और परिसर अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रकोष्ठ या कोई अन्य शाखा या प्रकोष्ठ जो आवश्यक समझी जाये। राज्य सरकार उक्त प्रकोष्ठों के कृत्यों के लिये समय-समय पर, जैसा उचित समझे विभिन्न रैंकों के अग्निशमन अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(3) अग्निशमन तथा आपात सेवा के निदेशालय का प्रमुख, अग्निशमन तथा आपात सेवा का महानिदेशक होगा जो राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

महानिदेशक,
निदेशक तथा
अपर निदेशक,
अग्निशमन
तथा आपात
सेवा के कार्यालय
का गठन

4- महानिदेशक, निदेशक तथा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के अन्य अधिकारियों के कार्यालय का गठन उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऐसे सक्षम रैंक के कर्मचारिवृन्द से और ऐसे संख्या में किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिश्चित करे।

निदेशालय
अग्निशमन तथा
आपात सेवा में
प्रकोष्ठों/ अनुभागों
का गठन

5-निदेशालय, अग्निशमन तथा आपात सेवा के सुचारू रूप से कार्य करने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकोष्ठ/अनुभाग, जिसमें ऐसे कर्मचारिवृन्द होंगे जैसा कि आवश्यक समझा जाय, गठित किये जा सकते हैं, यथा-

(क) प्रशासन प्रकोष्ठ;

इसका नेतृत्व संयुक्त निदेशक के अनिम्न रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसके स्टाफ में उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा और लेखा के ऐसे सक्षम रैंक और ऐसी संख्या में कर्मचारिवृन्द होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाय।

(ख) क्रय, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, शोध और विकास प्रकोष्ठ:

इसका नेतृत्व संयुक्त निदेशक के अनिम्न रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसके स्टाफ में उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऐसे सक्षम रैंक और ऐसी संख्या में कर्मचारिवृन्द होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाय।

(ग) ऑपरेशन अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ:

इसका नेतृत्व संयुक्त निदेशक के अनिम्न रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसके स्टाफ में उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऐसे सक्षम रैंक और ऐसी संख्या में कर्मचारिवृन्द होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाय।

6-(1) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के अधीन परिभाषित और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित अपनी शक्ति और कृत्यों का निष्पादन करेगा।	अग्निशमन तथा आपात सेवा के महानिदेशक और निदेशक की शक्ति कर्तव्य और कृत्य
(2) निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम में यथा परिभाषित और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित अपनी शक्ति और कृत्यों का निष्पादन करेगा।	
7-(1) निदेशालय स्तर पर प्रकोष्ठों और अनुभागों, महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के माध्यम से कार्य करेंगे।	निदेशालय स्तर पर विविध प्रकोष्ठों और अनुभागों के कर्तव्य और कृत्य
(2) निदेशालय स्तर पर प्रकोष्ठों और अनुभागों के कृत्य निदेशालय से जारी किये जाने वाले अग्निशमन तथा आपात सेवा विभागीय मैनुअल के समनुकूल होंगे।	

अध्याय-तीन

अग्निशमन परिक्षेत्र स्तर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण और अनुरक्षण

8-(1) राज्य सरकार अग्निशमन के खतरों और अग्निशमन केन्द्रों की संख्या के आधार पर राज्य के भीतर अग्निशमन प्रक्षेत्र का सृजन कर सकेगी, जैसे: मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर अथवा कोई अन्य अग्निशमन प्रक्षेत्र जिसे कार्य की अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समान्य या विशेष आदेश से सृजित किया जा सकेगा।	अग्निशमन प्रक्षेत्र का गठन
(2) राज्य सरकार किसी अग्निशमन प्रक्षेत्र का नेतृत्व करने के लिये ऐसे रैंक के किसी अग्निशमन अधिकारी को नियुक्त करेगी जैसा कि विनिश्चित किया जाय और ऐसे अधिकारियों द्वारा जैसा उचित समझे, सहायता प्रदान की जायेगी।	
(3) अग्निशमन प्रक्षेत्र का स्थानापन्न प्रभारी, राज्य सरकार द्वारा यथा नियुक्त ऐसे अग्निशमन अधिकारियों, के माध्यम से महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के सीधे समादेश तथा नियंत्रण के अधीन होगा।	
9- राज्य सरकार किसी अग्निशमन प्रक्षेत्र नेतृत्व करने के लिये ऐसे रैंक के किसी अग्निशमन अधिकारी को नियुक्त करेगी जैसा कि विनिश्चित किया जाय और जिसके साथ उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऐसे सक्षम रैंक के और ऐसी संख्या में कर्मचारिवृन्द होंगे जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिश्चय करे।	प्रभारी अग्निशमन प्रक्षेत्र के कार्यालय का गठन
10- अग्निशमन प्रक्षेत्र में आपदा प्रबंधन और अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ का गठन उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऐसे सक्षम रैंक के और ऐसी संख्या में कर्मचारिवृन्द से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिश्चय करे। इसमें लीडिंग फायरमैन/फायर ऑपरेटर (दोनों) सम्मिलित होंगे जिन्हें विशेष रूप से रेस्क्यू कमांडो के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।	अग्निशमन प्रक्षेत्र में आपदा प्रबंधन और अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ का गठन
11-प्रभारी अग्निशमन प्रक्षेत्र अधिनियम में यथापरिभाषित और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित अपनी शक्ति और कृत्यों का निष्पादन करेगा।	प्रभारी, अग्निशमन प्रक्षेत्र की शक्ति, कर्तव्य और कृत्य
12-अग्निशमन प्रक्षेत्र स्तर पर आपदा प्रबन्धन और अग्निरोकथाम प्रकोष्ठ के कृत्य निदेशालय से जारी किये जाने वाले अग्निशमन तथा आपात सेवा विभागीय मैनुअल के समनुकूल होंगे।	आपदा प्रबन्धन और अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ के कर्तव्य और कृत्य

अध्याय-चार

अग्निशमन जिला स्तर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण और अनुरक्षण

अग्निशमन जिलों का गठन

13-(1) वर्तमान अग्नि के खतरों और अग्निशमन केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक राजस्व जिला को अग्निशमन उप जिला में विभक्त किया जा सकता है। विहित प्राधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष और जिला प्रशासन का प्रमुख होने के नाते इन अग्निशमन जिलों का सामान्य पर्यवेक्षण प्राधिकारी होगा।

(2) अग्निशमन जिला और अग्निशमन उप जिला की श्रेणियाँ निम्नवत होंगी:-

(क)(एक) वर्ग 'क' अग्निशमन जिला में 06 या अधिक संख्या में अग्निशमन केन्द्र होंगे या उतनी संख्या में अग्निशमन केन्द्र होंगे जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे और ऐसे अग्निशमन अधिकारी के समादेश और नियंत्रण के अधीन होंगे, जैसा की राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाय।

(दो) प्रचलित अग्निशमन के खतरों के अनुसार प्रत्येक वर्ग 'क' अग्निशमन जिला को एक या अधिक अग्निशमन जिला में विभाजित किया जायेगा। प्रत्येक अग्निशमन उप जिला में पाँच से अधिक संख्या में अग्निशमन केन्द्र नहीं होगा।

(तीन) कोई जिला, जिसमें 06 से कम अग्निशमन केन्द्र हों किन्तु प्रचुर अग्नि जोखिम और/या अन्य आपदा आत्याधिक हो, वर्ग 'क' के रूप में अग्निशमन जिला माना जा सकेगा।

(ख)(एक) वर्ग 'ख' अग्निशमन जिला में 06 से कम संख्या में अग्निशमन केन्द्र होंगे और मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनिम्न रैंक के अग्निशमन अधिकारी के समादेश और नियंत्रण के अधीन होंगे।

(दो) यदि किसी अग्निशमन जिला में अग्निशमन केन्द्रों की संख्या 05 से अधिक हो जाए तो वह विशेष वर्ग 'ख' अग्निशमन जिला वर्ग 'क' अग्निशमन जिला के रूप में अर्ह हो जायेगा।

(3) अग्निशमन जिला का वर्गीकरण इस नियमावली की अनुसूची-1 के अनुसार होगा।

अग्निशमन जिला, के प्रभारी के कार्यालय का गठन

14-प्रभारी अग्निशमन जिला, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के कार्यालय का गठन उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऐसे सक्षम रैंक के और ऐसी संख्या में कर्मचारिवृन्द से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिश्चय करे।

अग्निशमन जिला में अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ का गठन

15-अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ का गठन, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऐसे सक्षम रैंक के और ऐसी संख्या में कर्मचारिवृन्द से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिश्चय करे।

प्रभारी अग्निशमन जिला की शक्ति, कर्तव्य और कृत्य

16-अग्निशमन जिला का प्रभारी अधिनियम में यथा परिभाषित तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित अपनी शक्ति और कृत्यों का निष्पादन करेगा।

अग्निशमन जिला में अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ के कर्तव्य और कृत्य

17-अग्निशमन जिला स्तर, अग्निशमन रोकथाम प्रकोष्ठ के कृत्य, निदेशालय से जारी किये जाने वाले अग्निशमन तथा आपात सेवा विभागीय मैनुअल के समानुकूल होंगे।

अध्याय-पांच

अग्निशमन उपजिला स्तर पर अग्निशमन और आपात सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण और अनुरक्षण

अग्निशमन उपजिला का गठन

18-(1) प्रत्येक वर्ग 'क' अग्निशमन जिला को प्रचलित अग्निशमन के खतरों के अनुसार एक या अधिक अग्निशमन उपजिला में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक अग्निशमन उपजिला में पाँच से अधिक अग्निशमन केन्द्र नहीं होंगे और यह मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनिम्न रैंक के अग्निशमन अधिकारी के समादेश और नियंत्रण के अधीन होंगे।

(3) प्रत्येक अग्निशमन उपजिला में इस नियमावली के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अग्निशमन केन्द्र होंगे।

19-प्रभारी अग्निशमन उपजिला, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के कार्यालय का गठन, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऐसे सक्षम रैंक के और ऐसी संख्या में कर्मचारिवृन्द से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिश्चय करे।	अग्निशमन उपजिला प्रभारी के कार्यालय का गठन
20-अग्निशमन उपजिला में अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ का गठन, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऐसे सक्षम रैंक के और ऐसी संख्या में कर्मचारिवृन्द से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिश्चय करे।	अग्निशमन उपजिला में अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ का गठन
21-अग्निशमन उपजिला का प्रभारी अधिनियम में यथा परिभाषित या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निदेशित अपनी शक्ति एवं कृत्यों का निष्पादन करेगा।	अग्निशमन उपजिला प्रभारी की शक्ति, कर्तव्य और कृत्य
22-अग्निशमन उपजिला स्तर पर अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ के कृत्य निदेशालय द्वारा जारी होने वाले अग्निशमन तथा आपात सेवा विभागीय मैनुअल के समनुकूल होंगे।	अग्निशमन उपजिला में अग्नि रोकथाम प्रकोष्ठ के कर्तव्य और कृत्य
23-अधिकारिता के क्षेत्र में आपात आत्ययिकता पर आधारित तीन प्रकार के अग्निशमन केन्द्र होंगे अर्थात:-	अग्निशमन केन्द्रों का वर्गीकरण
<p>(एक) ग्रामीण क्षेत्र अग्निशमन केन्द्र: समस्त अग्निशमन केन्द्र अधिकांशता तहसील स्तर पर होंगे जिनका विस्तार ब्लाक स्तर और/या जैसे और जब भी सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाय, समाज को होने वाले अत्यधिक खतरा वाले किसी विनिर्दिष्ट स्थान के समीप्य किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार के अग्निशमन केन्द्र हो सकते हैं अर्थात इकाई-2 और इकाई-3 जिसे क्षेत्र के विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करते हुए सरकार द्वारा किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकेगा। इन अग्निशमन केन्द्रों पर अनुरक्षित किये जाने वाले आवश्यक उपस्करों की प्रदर्शक सूची अनुसूची-2 के अनुसार होगी जिसे उपस्कर की प्रयोज्यता और उपयोगिता पर विचार करते हुए महानिदेशक द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। महानिदेशक द्वारा अग्निशमन केन्द्र के प्रकार पर विचार करते हुए सामान्य आदेश के माध्यम से उपस्करों की मात्रा नियत की जायेगी।</p>	
<p>(दो) शहरी क्षेत्र अग्निशमन केन्द्र: जिला मुख्यालय सहित शहरी क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्र ऐसी रीति से अवस्थित किये जायेंगे जिससे स्थाई अग्निशमन परामर्शी समिति की संस्तुति के अनुसार अग्निशमन गाड़ी को पहुंचने के समय को न्यूनतम किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में 05 प्रकार के अग्निशमन केन्द्र हो सकते हैं अर्थात् इकाई-2, इकाई-3, इकाई-4, इकाई-5 और इकाई-7, जिन्हें क्षेत्र की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करते हुए सरकार द्वारा किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकेगा।</p>	
<p>इन अग्निशमन केन्द्रों पर अनुरक्षित किये जाने वाले आवश्यक उपस्करों की प्रदर्शक सूची अनुसूची-2 के अनुसार होगी जिसे उपस्करों की प्रयोज्यता और उपयोगिता पर विचार करते हुए महानिदेशक द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। महानिदेशक द्वारा अग्निशमन केन्द्र के प्रकार पर विचार करते हुए सामान्य आदेश के माध्यम से उपस्करों की मात्रा नियत की जायेगी।</p>	
<p>(तीन) औद्योगिक क्षेत्र अग्निशमन केन्द्र: औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्र ऐसी रीति से अवस्थित किये जायेंगे जिससे अग्निशमन गाड़ी को पहुंचने के समय को न्यूनतम किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र में 05 प्रकार के अग्निशमन केन्द्र हो सकते हैं अर्थात् इकाई-2, इकाई-3, इकाई-4, इकाई-5 और इकाई-7, जिन्हें क्षेत्रों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करते हुए सरकार द्वारा किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकेगा। इन अग्निशमन केन्द्रों पर अनुरक्षित किये जाने वाले आवश्यक उपस्करों की प्रदर्शक सूची अनुसूची-दो के अनुसार होगी जिसे उपस्करों की प्रयोज्यता और उपयोगिता पर विचार करते हुए महानिदेशक द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। महानिदेशक द्वारा अग्निशमन केन्द्र के प्रकार पर विचार करते हुए सामान्य आदेश के माध्यम से उपस्करों की मात्रा नियत की जायेगी।</p>	

अध्याय-छह

अग्निशमन केन्द्र पर अग्निशमन तथा आपात सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण और अनुरक्षण

अग्निशमन केन्द्र का गठन

24-(1) प्रत्येक अग्निशमन जिला और अग्निशमन उपजिलों में इस नियमावली के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अग्निशमन केन्द्र होंगे।

(2) राज्य सरकार अपेक्षित अवस्थिति के आधार पर इकाई-2, इकाई-3, इकाई-4 और इकाई-7 के अग्निशमन केन्द्र स्थापित करेगी या जैसा वह राज्य में उचित समझे।

(3) इस नियमावली की अनुसूची-दो के अनुसार अग्नि के रोकथाम व बचाव कार्य के लिये प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र पर न्यूनतम सुविधायें अनुरक्षित की जायेंगी।

(4) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र का प्रभार अग्निशमन केन्द्र द्वितीय अधिकारी से अनिम्न रैंक के अग्निशमन अधिकारी के अधीन होगा जिसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक या अधिक अग्निशमन अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है।

(5) तीन इकाईयों से अधिक के किसी अग्निशमन केन्द्र, जैसा अनुसूची-एक में उल्लिखित है, का प्रमुख अग्निशमन केन्द्र अधिकारी से अनिम्न रैंक का अधिकारी होगा।

(6) केन्द्र प्रभारी को छोड़कर अधीनस्थ रैंक के समस्त अधिकारियों को शिफ्ट ड्यूटी में लगाया जायेगा जिससे दक्षता में वृद्धि हो।

प्रभारी अग्निशमन केन्द्र के कार्यालय का गठन

25-अग्निशमन केन्द्र प्रभारी के कार्यालय का गठन, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऐसे सक्षम रैंक के और ऐसी संख्या में कर्मचारिवृन्द से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिश्चय करे।

अग्निशमन केन्द्र पर विविध प्रकोष्ठों / अनुभागों का गठन और अग्निशमन केन्द्र के कर्तव्य और कृत्य

26-(1) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र में प्रचालन प्रकोष्ठ, सामग्री भण्डार अनुभाग, मोटर परिवहन अनुभाग, कर्मचारी भोजनालय अनुभाग आदि होंगे।

(2) किसी अग्निशमन केन्द्र के प्रकोष्ठों/अनुभागों को आवश्यकता के आधार पर सरकार द्वारा समय-समय पर परिवर्तित किया जायेगा।

(3) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र निदेशालय द्वारा जारी किये जाने वाले अग्निशमन तथा आपात सेवा विभागीय मैनुअल के समानुकूल कार्य करेंगे।

अग्निशमन प्रक्षेत्र, अग्निशमन जिला और अग्निशमन उपजिला की सीमायें और विस्तार

27-(1) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये अग्निशमन प्रक्षेत्र, अग्निशमन जिला, अग्निशमन उपजिला और अग्निशमन केन्द्र की सीमायें और विस्तार इस नियमावली के अनुसार या जैसा राज्य सरकार द्वारा उपबन्ध किया जाये के अनुसार होगी :

परन्तु यह कि जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि अग्निशमन तथा आपात सेवा की गतिवान् उपस्थिति के लिये ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अग्निशमन प्रक्षेत्र, अग्निशमन जिला, अग्निशमन उपजिला और अग्निशमन केन्द्र या क्षेत्र के निर्माण के लिये इसी प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं को उपांतरित कर सकती है, जैसा राज्य सरकार द्वारा यथा गठित विभिन्न प्रकोष्ठों के लिये राज्य सरकार द्वारा किया जाय।

(2) राज्य को समग्र और व्यापक सुरक्षा आवरण प्रदान करने के उद्देश्य से अग्निशमन सेवा के कार्मिकों को चिकित्सा सहायक, दुर्घटना और ट्रामा राहत प्रचालन और ऐसे ही अन्य बचाव कार्यों, जो आपात स्थिति में हो जाय, और इसी प्रकार की बड़ी आपात स्थिति को सम्भालने के लिये पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार व्यापक खतरे वाले अभिहित अग्निशमन जिले में जिला अग्निशमन प्रभारी के समादेश और नियंत्रण के अधीन बचाव कार्मिकों का विशिष्ट प्रशिक्षित बचाव दल (एस टी आर जी) का सृजन करेगी और संयुक्त निदेशक की समादेश और नियंत्रण के अधीन प्रत्येक प्रक्षेत्र में एक आरक्षित दल का सृजन करेगी। यह विशिष्ट प्रशिक्षित बचाव दल (एस टी आर जी) प्रक्षेत्र में उत्पन्न आपात स्थिति में दक्षतापूर्ण और प्रभावी राहत कार्यों के लिये आपदा राहत कार्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिये उपलब्ध रहेगा।

अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिये उपस्कर और उपकरण

28-(1) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा आपातकालीन समय में और / या आपदा स्थिति में सुरक्षा के प्रभावी उपायों और दक्षता पूर्ण सहयोग के लिये क्षेत्र में अग्नि के खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए अग्नि की रोकथाम, व्यक्तिगत सुरक्षा, बचाव कार्य, चिकित्सीय सहायता और अन्य आपातकालीनों के लिये उपस्करों और उपकरणों की आवश्यकता को ऐसी संख्या और ऐसी विशिष्टियों के साथ निर्धारित करेंगे।

(2) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा आपदा/आपात स्थिति और अग्नि रोकथाम, व्यक्तिगत सुरक्षा, बचाव कार्य, चिकित्सीय सहायता अन्य आपातकालीनों और अग्नि सुरक्षा के उपायों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये उपनियम (1) के अधीन निर्धारित उपस्करों और उपकरणों का सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसी रीति में व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक अग्निशमन प्रक्षेत्र, अग्निशमन जिला, अग्निशमन उपजिला और अग्निशमन केन्द्र पर्याप्त रूप से सुसज्जित रहें और जब कभी आवश्यकता हो अग्नि के रोकथाम और अग्नि सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिये उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उनकी देखभाल और अनुरक्षण के समस्त आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

(3) उपस्करों और उपकरणों की संख्या और जीवन काल गृह मंत्रालय, भारत सरकार के स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद की संस्तुतियों या किसी अन्य प्राधिकरण, जैसा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया जाय, के अनुसार होगी।

29-(1) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के निदेशक, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जो ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करेगी जहाँ पर अग्नि से रोकथाम और जीवन सुरक्षा के उपाय का उपबन्ध करने के लिये कोई अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना चातुर्य रूप में लाभकारी होगा। समिति से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार-विमर्श के पश्चात् महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा ऐसा प्रस्ताव जैसा उचित समझे, राज्य सरकार को अग्रतर अनुमोदन के लिये प्रेषित करेंगे।

अग्निशमन केन्द्रों के लिये निर्माण या स्थान भाड़े पर लेना

(2) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा, महानिदेशक/निदेशक अथवा अग्निशमन जिला का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से स्थानीय प्राधिकरण से निःशुल्क अथवा ऐसी धनराशि के भुगतान पर जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत की जाये, अग्निशमन केन्द्र के लिये भूमि का अर्जन करेगा।

(3) जहाँ स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो राज्य सरकार ऐसे किराये के भुगतान पर और ऐसी निबन्धन और शर्तों पर जिस पर दोनों पक्षकारों द्वारा सहमति हो जाय, कोई भवन या परिसर भाड़े पर ले सकेगी।

(4) कर्मचारिवृन्द के प्रतिमान और किसी अग्निशमन केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं सहित अग्निशमन केन्द्र की संरचना का विनिश्चय महानिदेशक उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों और विद्यमान अग्नि के खतरों की आशंका पर निर्भर करते हुए इस नियमावली की अनुसूची-एक के अनुसार यथा अपेक्षित विशेष प्रकोष्ठों और बल के उपबन्धों के साथ किया जायेगा।

(5) किसी नगर या क्षेत्र का कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई विभाग जिस पर तत्समय यह नियम लागू होते हों, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी अग्निशमन केन्द्र के रूप में उपयोग की जा रही किसी स्थावर सम्पत्ति को अथवा उसके किसी स्थायी फिक्सचर को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अंतरित या अन्यथा रूप में अलग नहीं करेगा। ऐसे सरकारी भवनों पर प्रचालित या भूमि पर प्रचालित अग्निशमन केन्द्र तब तक प्रचालित होते रहेंगे जब तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वैकल्पिक या स्थाई व्यवस्था नहीं कर दी जाती है। अग्निशमन केन्द्र के लिये इस प्रकार अर्जित या उपयोग की जा रही भवन या भूमि और अग्निशमन केन्द्र की किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अधिनियम और तद्दीन बनाई गयी नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् अंतरणीय नहीं होगी और अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी वास्तविक प्राधिकरण द्वारा बनाये गये क्षेत्र निर्माण से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लायी जायेगी।

(6) अग्निशमन केन्द्र का आकार 2-इकाई, 3-इकाई, 4-इकाई, 7-इकाई या अधिक इकाई का हो सकेगा और क्षेत्र में विद्यमान अग्नि का खतरा और जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करेगा। अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण गृह मंत्रालय भारत सरकार के स्थाई अग्निशमन सलाहकार परिषद द्वारा उपबधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा :

परन्तु यह है कि महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार भूमि की उपलब्धता, अग्नि के खतरों और अपेक्षित अभिनियोजित संसाधनों पर निर्भर रहते हुए सामान्य व्यवस्था द्वारा अग्निशमन केन्द्र में उपांतर और / या परिवर्धन पर भी विचार कर सकेंगे। भावी अग्निशमन केन्द्रों में इस नियमावली की अनुसूची-दो के अनुसार न्यूनतम सुविधायें होगी।

विभिन्न रैंक के
अग्निशमन
अधिकारी की
नियुक्ति की अर्हता
और सेवा की अन्य
निबंधन और शर्तें

30-उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा में विभिन्न रैंक के अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति हेतु अर्हता और सेवा की अन्य शर्तें सेवा नियमावली के अनुसार बनायी जायेगी।

अग्निशमन
अधिकारी और
कर्मचारिवृंद के
कर्तव्य और
उत्तरदायित्व
आहरण एवं
वितरण अधिकारी

31-अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा में नियुक्त कार्मिकों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश राज्य के अग्निशमन अधिकारियों से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार बनाये जायेंगे।

32- राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन आवश्यकतानुसार निदेशालय एवं क्षेत्रीय संरचनाओं हेतु सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सक्षम रैंक के अग्निशमन अधिकारियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में घोषित कर सकती है।

सामान्य

33- राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश के रूप में उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 और उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के पदानुक्रमिक संरचना, उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे पदों का सृजन कर सकती है जैसा आवश्यक समझे जायें।

अध्याय-सात

अग्निशमन तथा आपातकालीन सहयोग

अग्निशमन तथा
आपातकालीन
बुलावा में मानक
प्रचालन प्रक्रिया

34-(1) किसी भी माध्यम से अग्निशमन केन्द्र के नियंत्रण कक्ष में यथा प्राप्त अग्निशमन तथा आपातकालीन बुलावा के लिये मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) निम्नवत होगी:-

(क) भिन्न-भिन्न अग्निशमन केन्द्रों पर रखे गये अग्निशमन और आपात दल अग्निशमन केन्द्र की अधिकारिता में किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रत्येक अग्निशमन और/या बचाव के बुलावा पर सर्वप्रथम प्रतिक्रिया करने वाले होंगे ;

(ख) सम्बन्धित अग्निशमन केन्द्र के नियंत्रण कक्ष में निम्नलिखित में एक या अधिक तरीके से अग्नि लगनें/बचाव के लिये आपात बुलावा प्राप्त किया जायेगा:-

- एक-अग्निशमन नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या पर;
- दो- पुलिस नगर नियंत्रण कक्ष/जिला नियंत्रण कक्ष से आर टी सेट से सन्देश;
- तीन-डायल-112 के एम डी टी सेट के माध्यम से सन्देश;
- चार-कर्मचारी/सहयोगी/आदि के दूरभाष पर बुलाव;
- पांच-व्यक्तिगत उपस्थित होकर व्यक्ति स्वयं सन्देश पहुंचाये;

(ग) बुलावा प्राप्त होने पर अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का आपरेटर समस्त सूचनार्यें अर्थात् स्थान, आपात की प्रकृति, कोई, क्षति/दुर्घटना अन्य सुसंगत जानकारी लिख लेगा;

(घ) तत्पश्चात अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का प्रचालक आपात घोषित करने के प्रचलित संकेत के अनुसार अलार्म बजायेगा-

- एक-देर तक एक बार बजाने वाला सायरन-बचाव
- दो-देर तक तीन बार बजने वाला सायरन-अग्निशमन का बुलावा
- तीन-लगातार देर तक बजने वाला सायरन-भयंकर अग्निकाण्ड

(ङ) अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का आपरेटर /अग्निशमन केन्द्र का दिवसाधिकारी इस आपातकालीन को अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी और अग्निशमन सेवा निदेशालय, लखनऊ के नियंत्रण कक्ष को संसूचित करेगा। साथ ही साथ आपरेटर जाने वाले दल के नायक को घटना स्थल की भरी हुयी पचीं सौंप देगा।

(च) अग्निशमन केन्द्र से जाने वाला दल अनुसूची-चार में दिये गये अनुसार होगा।

(छः) घटना स्थल पर पहुँचने पर पहले निकलने वाले नायक द्वारा सभी आपात स्थितियों का मूल्यांकन किया जायेगा और यदि उसे पता लगता है कि संसूचित किये गये स्थितियों से भिन्न (खतरों के संदर्भ में कम या ज्यादा) स्थिति है तो वह उच्च प्राधिकारियों और अग्निशमन नियंत्रण कक्ष को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही के लिये सूचित करेगा।

(ज) अनुसूची-चार में लगाये गये संसाधनों के होते हुए भी घटना स्थल पर मौजूद वरिष्ठतम अग्निशमन अधिकारी का यह विशेषाधिकार होगा कि आपात स्थिति को नियंत्रित करने के लिये संसाधनों को कम या अधिक कर दे।

35-(1) अग्निशमन केन्द्र का कार्यकारी प्रभारी या अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में संसाधनों को लगाना नियुक्त क्षेत्र निर्माण के किसी अन्य अग्निशमन अधिकारी को ऐसी सभी आपात स्थिति में जो उत्पन्न हो जाए और अधिकारिता क्षेत्र में किसी साधन से या यथास्थिति अग्निशमन जिला या अग्निशमन उपजिला के प्रभारी के निदेश पर उपस्करों और अग्निशमन कर्मिकों सहित संसाधन लगाने का प्राधिकार होगा।

(2) अग्निशमन केन्द्र की अधिकारिता के भीतर अग्नि/आपात स्थिति का बुलावा प्राप्त होने पर कार्यकारी प्रभारी, घटना स्थल पर तत्काल अग्निशमन और आपातकालीन संसाधनों को लगायेगा और यदि अग्निशमन केन्द्र की अधिकारिता क्षेत्र से बाहर संसाधन लगाये जाने की आवश्यकता हो तो अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तत्काल उच्च प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करेगा और उसे लगायेगा।

(3) अग्निशमन तथा आपातकालीन संसाधनों को लगाने के लिये किसी भी प्रभार का दावा नहीं किया जायेगा, यदि अग्निशमन या आपातकालीन बुलावा निम्नलिखित स्थान से प्राप्त किया गया हो:-

(एक) राज्य/केन्द्र सरकार/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन(एनओजीओ) द्वारा प्रबंधित चिकित्सालय /परिचर्या गृह (नर्सिंग होम);

(दो) समस्त राज्य/केन्द्र सरकार के भवन/कार्यालय ;

(तीन) राज्य/केन्द्र सरकार/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रबंधित संस्थान/ प्रशिक्षण संस्थान;

(चार) आवासीय पंक्तिबद्ध मकान, आवासीय कालोनी आदि;

(पाँच) गांव/वन/कृषि फार्म में अग्निशमन/बचाव (कारबार/व्यापार के अधिष्ठान को छोड़कर);

(छह) पशुओं/पक्षियों/मानवों के समस्त बचाव के लिये बुलावा;

(सात) प्राकृतिक आपदाओं/आतंकवादी हमला/सिविल युद्ध/बलवा इत्यादि के समस्त अग्निशमन/बचाव के लिये बुलावा;

(आठ) भारतीय सेना [समस्त प्रकोष्ठ (सेल)]/पुलिस/अर्द्धसैनिक/आदि को सेवा प्रदान करना;

(नौ) सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा अनुदेश पर वी0 वी0 आई0 पी0 को सेवा प्रदान करना;

(दस) सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा अनुदेश पर सेवा जिसमें प्रभार माफी का स्पष्ट उल्लेख हो ;

(4) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा संसाधनों को प्रदान किये जाने के लिये नाममात्र का प्रभार इस नियमावली की अनुसूची-5 के अनुसार होगा:-

(क) समस्त प्रभार केवल 8 घण्टे के लिये होगा (समय की गणना अग्निशमन केन्द्र से अग्निशमन कर्मि दल के निकलने के समय से की जायेगी)। अतिरिक्त समय के लिये तदुसार प्रभार लिया जायेगा। न्यूनतम 8 घण्टे का प्रभार (लगाने का प्रभार) लागू है।

(ख) अग्निशमन केन्द्र से पाँच किलोमीटर की सड़क दूरी तक मील भत्ता शुल्क से छूट दी जायेगी।

(5) अभिनियोजन शुल्क उपनियम (4) के अधीन शुल्क के 10% की दर से प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल से बढ़ा दिया जायेगा।

(6) सहायता के लिये अनुरोध करने वाले प्राधिकारी के नाम पर बिल बनाया जायेगा:-

लगाये जाने (घटना स्थल) के स्थान से अग्निशमन केन्द्र पर पहुंचने के पश्चात कर्मी दल का प्रभारी जो कर्मी दल के साथ था, सम्बन्धित अधिकारी को प्रचालन कार्य का विवरण और सड़क मील भत्ता का विवरण जिला प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी, जिसने सहायता के लिये अनुरोध किया था, के नाम से बिल बनाने के लिये प्रस्तुत करेगा। तैयारी में बने रहने की ड्यूटी (स्टैण्ड- बाई ड्यूटी) के लिये सहायता के लिये अनुरोध करने वाले सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अग्रिम भुगतान जमा किया जायेगा।

(7) उप नियम (1) के अधीन अतिरिक्त बल को लगाया जाना किसी अग्निशमन केन्द्र अधिकारी से अनिम्न रैंक के अधिकारी के प्रभार के अधीन होगा।

उत्तर प्रदेश
अग्निशमन तथा
आपात सेवा द्वारा
स्थानीय
प्राधिकरणों से
संसाधन भाड़े के
लिये प्रभार

36- (1) अग्निशमन केन्द्र का कार्यकारी प्रभारी किसी कर्मी दल के नायक द्वारा कोई मांग प्राप्त होने पर या यदि वह स्वयं मांग की जानकारी प्राप्त करता है तो वह जिला स्तर के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी के प्रभारी को संसूचित करने के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों से सीधे सेवायें ले लेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारियों, जिनसे संसाधन वापस ले लिये गये हों, को प्रभार का भुगतान किया जायेगा, जैसा अनुसूची-पाँच में दिया गया है। उक्त प्रभार को, मांग प्राप्त होने के 15 दिवसों के भीतर स्थानीय प्राधिकारी, जिसने सेवायें प्रदान की थी, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा सीधे भुगतान कर दिया जायेगा। मांग किये जाने के 30 दिवसों के भीतर भुगतान न प्राप्त होने के मामले में स्थानीय प्राधिकारी को 50 रुपये प्रति दिवस की दर से दण्ड ब्याज, यदि वह इसकी मांग करता है, देय होगा। मांग की रसीद को जिला स्तर पर अग्निशमन सेवा के प्रभारी द्वारा प्रमाणित/ सत्यापित किया जायेगा और इसे निदेशालय को भुगतान के लिये अग्रसारित कर दिया जायेगा।

अग्नि की रोकथाम

37-(1) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के अग्निशमन प्रक्षेत्र, अग्निशमन जिला, अग्निशमन उपजिला के प्रभारी और क्रमशः अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी अग्निशमन कर्मिकों की सुरक्षा के साथ ही अग्नि के खतरों और/या आपातकालीन खतरों में मानव जीवन और सम्पत्ति के अधिकतम बचाव को सुनिश्चित करने के लिये अग्निशमन सेवा निदेशालय द्वारा यथाविनिश्चित रीति में योजना बनाने, संग्रहित करने और संसाधनों को लगाने चाहे कर्मिक हो या उपस्कर हो, प्राधिकृत होंगे। घटना स्थल पर मौजूद उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा का वरिष्ठतम अग्निशमन अधिकारी के पास आपातकालीन और बचाव कार्यों के लिये प्राधिकार होगा और अन्य अभिकरणों द्वारा प्रदान किये गये समस्त संसाधनों और सहायता को एकीकृत और आपातकालीन या आपदा से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनके समादेश के अधीन तैनात किया जायेगा।

(2) निदेशालय द्वारा जारी तकनीकी और कवायद(ड्रिल) मैनुअल में अग्नि निर्धारित अग्नि की रोकथाम से सम्बन्धित अनुदेशों का पालन किया जाएगा। अग्नि प्रक्षेत्र, अग्नि जिला, अग्नि उपजिला और अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी अपनी-अपनी अधिकारिता के सम्बन्धित क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ अग्निशमन सेवा के सदस्य पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं और उन्हें क्षेत्र की भौगोलिक और सामरिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी और उनमें व्याप्त अग्नि के संकटों की जानकारी है।

अध्याय-आठ

जलापूर्ति

जलापूर्ति

38- अग्नि की रोकथाम के प्रचालन के दौरान निदेशक, अग्नि तथा आपात सेवा या क्षेत्रीय अधिकारिता वाले अग्नि जिला या अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी किसी स्थानीय प्राधिकरण या निजी इकाई, जिनके कब्जे में जल का स्रोत हो, से अनुसूची-5 में उल्लिखित दरों पर जल ले सकेंगे।

अग्नि रोकथाम के
लिए जल की
पर्याप्त आपूर्ति

39-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम या नियमावली में उपबन्धित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यथास्थिति, उपनिदेशक या मुख्य अग्निशमन अधिकारी या कोई अन्य वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी, अधिकारिता वाले किसी प्राधिकरण से रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रभार के भुगतान पर 150 मिमी व्यास से अन्यून सार्वजनिक जल नाली या निजी नल नाली पर जल का बम्बा लगाने की अपेक्षा कर सकते हैं।

(2) जल के बम्बा पर अवशिष्ट दबाव 1.5 बार (20 पाउन्ड प्रति वर्ग इंच) से कम नहीं होगा।

(3) प्रत्येक जल के बम्बा के पास उसकी संख्या और जल नाली का आकार दर्शित करने वाली पहचान पट्टी की व्यवस्था की जाएगी और ऐसे प्रत्येक जल बम्बा का अनुरक्षण उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसने उस बम्बा की व्यवस्था किया है।

अध्याय-नौ

अग्नि रोकथाम से सम्बन्धित सामान्य उपाय और आपात कालीन व्यवस्था और जीवन सुरक्षा उपाय

40-(1) अधिनियम की धारा 23 और 26 के अधीन यथा अपेक्षित किसी भवन या परिसर में अग्नि और जीवन सुरक्षा के पर्याप्त उपायों को प्राप्त करने के प्रयोजन से, ऐसे भवन या परिसर की ऊंचाई, आच्छादित क्षेत्र और अध्यासियों के वर्ग के सम्बन्ध में उपविधि और सुसंगत संहिता और मानदण्डों के सम्बन्ध में ऐसे भवनों पर निर्माण या उसके नक्सा के अनुमोदन के समय लागू अग्नि से बचाव और अग्नि सुरक्षा के लिये न्यूनतम मानदण्ड अवधारित किये जायेंगे, अर्थात्:-

स्थायी निर्माण/
भवन या परिसरों
के लिए अग्नि से
बचाव और अग्नि
सुरक्षा के लिये
न्यूनतम मानदण्ड

(एक) भवन तक पहुंच

(दो) निकास द्वारों की संख्या, चौड़ाई, प्रकार और व्यवस्था

(तीन) नियंत्रित वातावरण भवनों में धुआं प्रबन्ध प्रणाली

(चार) अग्निशामक यंत्र

(पांच) प्राथमिक सहायता किमिच की पाइप (होजरील)

(छह) अग्नि का पता लगाने और चेतावनी देने वाली स्वचालित प्रणाली

(सात) सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली

(आठ) स्वचालित छिड़काव प्रणाली

(नौ) आंतरित जल के बम्बे और खुले जल के बम्बे

(दस) पानी निकालने की व्यवस्था

(ग्यारह) अग्नि से रोकथाम के लिये सुरक्षित जल भण्डार

(बारह) निकास द्वारों के संकेतक

(तेरह) अग्नि कालीन लिफ्ट

(चौदह) वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति

(पन्द्रह) शरण लेने वाला स्थान

(सोलह) अग्नि बचाव की विशिष्ट प्रणाली जो विशेष खतरों के लिये हो, यदि लागू हो।

(सत्रह) मानव चलित विद्युत अग्नि चेतावनी प्रणाली (मोएफा)

(अट्ठारह) राजकीय विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा या विद्युत सुरक्षा विभाग या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ठेकेदार द्वारा निर्गत विद्युत सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट

(उन्नीस) अर्हित अभिकरण द्वारा अग्नि बचाव प्रणाली स्थापित करने का प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो।

(बीस) अग्नि सुरक्षा अधिकारी का नियुक्ति पत्र, यदि अपेक्षित हो

(इक्कीस) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत लिफ्ट का सुरक्षा प्रमाण पत्र, यदि अपेक्षित हो :

परन्तु यह कि यह मानक अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिये आवश्यक सभी प्रकार के भवनों पर लागू नहीं होंगे, वरन् ऐसे भवनों पर लागू उपविधि, राष्ट्रीय भवन संहिता, या सुसंगत अधिनियम, नियमावली और मानदण्डों में विस्तार से बताये गये आच्छादित क्षेत्र ऊंचाई और अध्यासन के प्रकार के आधार पर प्रमाण पत्र की आवश्यकता को निर्धारित किया जायेगा।

(2) अग्निशमन और सुरक्षा की व्यवस्था सभी प्रकार के भवनों (चाहे निर्मित या निर्माणाधीन या निर्माण के लिये प्रस्तावित हो) पर लागू होगी और उपनियम (1) में उल्लिखित मानदण्डों के आधार पर अग्निशमन और जीवन सुरक्षा के दृष्टि से ही निर्धारण किया जायेगा और भवनों चाहे निर्मित हो या निर्माणाधीन भवन हो, का निर्धारण कराना अनिवार्य होगा।

(3) ऐसे अध्यासनों या भवनों या परिसरों जिनके लिये उपविधि में अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों का प्राविधान स्पष्ट (अभिव्यक्त) रूप में नहीं किया गया है परन्तु यह जनसुरक्षा की हित में आवश्यक है, के लिये अधिनियम की धारा 23 के अधीन भवनों की अग्नि सुरक्षा के उद्देश्य से महानिदेशक, सरकार के अनुमोदन से ऐसे अध्यासनों या भवनों या परिसरों के स्वामी या अध्यासी से अपेक्षा कर सकते हैं कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों और उसके अधीन बनाई गई विभिन्न नियमावली में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अग्नि से बचाव और अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करें।

(4) किसी भवनों में अग्नि की रोकथाम के लिये आवश्यक जल का भण्डारण भूमिगत जल की टंकी (टंकियां) या भवन के ऊपर टंकी (टंकियों) और/या दोनों व्यवस्था के साथ किया जायेगा। परन्तु किसी भी दशा में भण्डार की गई मात्रा सुसंगत मानदण्डों के अधीन अपेक्षित मात्रा से कम नहीं होगी।

(5) भवन तक पहुँच का तात्पर्य होगा कि अग्नि की रोकथाम और/या बचाव कार्यों के लिये आपात स्थिति की दशा में सड़क या स्थाई खुले स्थान आदि से कम एक तरफ से भवन के प्रत्येक तल या भवन के निकटतम बिन्दु से पहुँचने के रास्ते की उपलब्धता हो, और आपात स्थितियों के दौरान पहुँच के लिए अनिवार्य हो।

अग्नि सुरक्षा उपायों में
छूट और सुधार

41-(1) जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो वह लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के साथ किसी भवन या विशेष क्षेत्रों, परिसरों, किसी वर्ग/अध्यासन के सम्बन्ध में या किसी भी क्षेत्र में किसी भवन या परिसर के सम्बन्ध में जो निर्मित हो या जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व के दिनांक से निर्माणाधीन हों, इस नियमावली के अधीन अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित किन्ही आवश्यकता में छूट दे सकती है या उपांतरित कर सकती है।

(2) यदि सीढ़ियों की चौड़ाई तत्समय लागू प्रचालित नियमावली के अनुसार अपेक्षित चौड़ाई से कम है परन्तु सीढ़ियों की संख्या संचई बाहरी चौड़ाई इस नियमावली के अधीन यथा अपेक्षित अध्यासी भार क्षमता के अनुसार है तो ऐसी व्यवस्था को मानक के पालन में माना जायेगा।

स्थायी निर्माण जिन्हें
अर्हित अभिकरण से
प्रमाण पत्र की
आवश्यकता नहीं है।

42- (1) नीचे सारणी में यथा उल्लिखित ऐसे स्थायी भवनों या परिसरों को अर्हित अभिकरण से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी-

क्र०सं०	अध्यासन	विवरण
1	आवासीय (होटल के रूप में वर्गीकृत भवनों को छोड़कर)	भवनों की ऊँचाई 15 मीटर नीचे। एक भूगृह वाले भवन जिनका आच्छादन क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से कम हो।
2	शैक्षणिक	भवन जिनकी ऊँचाई 9 मीटर से नीचे और फर्शी क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से कम हो और एक भूगृह वाले 500 वर्ग मीटर से कम आच्छादित क्षेत्र हो।
3	संस्थागत (नर्सिंग होम और अस्पताल आदि)	09 मीटर से नीचे ऊँचाई वाले भवन और भूखण्ड क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से कम और एक भूगृह हो जिसका आच्छादित क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से कम हो।
4	व्यापारिक (कार्यालय, बैंक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डेटा प्रोसेसिंग केन्द्र, आईटी00 पार्क आदि)	10 मीटर से नीचे ऊँचाई वाले भवन और फर्शी क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से कम और एक भूगृह वाले 500 वर्गमीटर से कम आच्छादित क्षेत्र हो।

5	वाणिज्यिक (दुकानें, बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि)	15 मीटर से नीचे ऊंचाई वाले भवन और फर्शी क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से कम हो और एक भूगृह हो जिनका आच्छादन 500 वर्गमीटर से कम हो।
6	औद्योगिक कम संकटमय सामान्य संकटमय	आच्छादित क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से कम और 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवन। 500 वर्गमीटर से कम आच्छादित क्षेत्रफल वाले भवन।
7	भण्डार गृह	250 वर्गमीटर से कम आच्छादित क्षेत्रफल वाले भवन।
8	किसी प्रकार का अध्यासन	किसी भी अध्यासन के लिये उपयोग किये जाने वाले भवन जहाँ ऐसे भवनों पर लागू सुसंगत संहिता और मानदण्डों की अपेक्षाओं के अनुसार अग्नि से बचाव के लिये केवल अग्निशमन यंत्रों की आवश्यकता हो।

(2) पूर्वोक्त तालिका से विवरणों की विस्तृत सूची पूरी नहीं होगी, जहाँ से प्राप्त अभिकरण से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार अर्हित अभिकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता का समय-समय पर पुनरीक्षण कर सकती है।

43-(1) अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वामी अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल पर उल्लिखित सभी सुसंगत मानचित्रों, आलेखन, और अन्य दस्तावेजों को संलग्न करते हुए प्रपत्र-क-11 में इसके लिये आवेदन करेगा, विकल्प के रूप में स्वामी किसी प्रतिनिधि को इस सम्बन्ध में मुख्तारनामा के माध्यम से नियुक्त कर सकता है, जो या तो उसके परिवार का वास्तविक सदस्य होगा या नियमित कर्मचारी होगा, ऐसे मुख्तारनामा को प्रतिनिधि द्वारा अन्य दस्तावेजों सहित निवेश मित्र से समेकित सरकारी ऑनलाइन अग्निशमन सेवा के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। स्वामी या उसके प्रतिनिधि से भिन्न कोई व्यक्ति अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये समर्थन या पैरवी नहीं करेगा।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण
पत्र का जारी
किया जाना

इस नियम के उल्लंघन की दशा में अप्राधिकृत व्यक्ति या छद्मवेशी, जो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये पक्ष समर्थन करता है, अधिनियम की धारा 39 के अधीन दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में यथा उल्लिखित अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र स्वीकृत करने के लिये आवेदन पत्र को अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऑनलाइन पोर्टल पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सरकार द्वारा प्राधिकृत मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनिवार्य रूप से अधिकारी को दिया जायेगा और अर्हित अभिकरण से प्राप्त पत्र के साथ स्वामी या अध्यासी से इस आशय के ऐसे अन्य प्रमाण पत्रों जो प्रपत्र-क-11 में विस्तार से दिये गये हैं कि नियम-40 के अधीन अपेक्षित अग्नि से बचाव और अग्नि सुरक्षा के सभी उपायों को भवन या परिसर में संस्थापित कर दिया गया है, को संलग्न किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) और (2) के अधीन किये गये अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अधिनियम की धारा 29 के अधीन क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले अग्निशमन केन्द्र अधिकारी या अग्निशमन केन्द्र द्वितीय अधिकारी द्वारा नियम-40 में उल्लिखित अग्नि से बचाव और अग्नि सुरक्षा उपायों की उपलब्धता और प्रचालनियता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भवन या परिसर का निरीक्षण किया जायेगा जो ऑनलाइन पोर्टल पर अनुसूची-6 के अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिये संस्तुति के साथ अग्निशमन जिला के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से एक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।

(4) अधिनियम की धारा 26 के उपबन्धों के अधीन क्षेत्रफल और ऊंचाई या संकट के आधार पर वर्गीकृत किसी भवन के लिये अनुसूची-6 में विहित मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनिवार्य रूप से कोई अग्निशमन अधिकारी "प्रपत्र-क-12" में अनन्तिम अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र और "प्रपत्र-क-13" में (अन्तिम/नवीकरण) अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र भवन या परिसर के स्वामी या अध्यासी को निर्गत करेगा जिससे इस नियमावली के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिये अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट शर्तें दी जायेगी।

(एक) विद्यमान भवनों के लिये- जब कभी भी किसी व्यक्ति या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अधिनियम में यथा परिभाषित किसी वास्तविक प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र-क-11 में अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल पर धारा 26 के अधीन अन्तिम या नवीकरण के लिये अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का आवेदन प्राप्त होता है तो अनुसूची-6 में यथावर्णित निरीक्षण अधिकारी उस समय ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये/ प्रचालित मानदण्डों और कार्यकारी अनुदेशों, सरकारी आदेशों के आधार पर और नियम-40 में यथा विस्तृत उपायों के अनुसार स्थापित अग्नि से बचाव और जीवन सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करेगा।

(दो) विद्यमान भवन से भिन्न के लिये- जब कभी भी किसी स्थानीय प्राधिकरण या अधिनियम में यथा परिभाषित किसी वास्तविक प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र-क-11 में अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल पर धारा 26 के अधीन यथा स्थिति अनन्तिम या नवीकृत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का आवेदन प्राप्त होता है तो अनुसूची-6 के प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी “प्रपत्र-क-12” या “प्रपत्र-क-13” में ऐसा प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) उपनियम (3) और (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस निमित्त तथा प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी सुसंगत प्रपत्र में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करेगा या लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के साथ आपत्ति करेगा या इसे अस्वीकार करेगा और यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को इसे संसूचित करेगा।

(6) अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अस्वीकार किये जाने के मामले में स्वामी या अध्यासी द्वारा उपनियम (1) के अधीन नया आवेदन किया जायेगा, और उपनियम (1) और (2) के अधीन यथा संसूचित अपेक्षाओं का सम्यक पालन करेगा।

(7) अनुसूची-छह के अनुसार निर्गत प्राधिकारी द्वारा इस नियम के अधीन अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र की स्वीकृति के लिये आवेदन को अस्वीकार करने के मामले में भवन या परिसर का यथास्थिति स्वामी या अध्यासी जिसके विरुद्ध उपनियम (5) और (6) के अधीन आपत्ति जारी की गई थी, नोटिस में तय समयावधि में इस प्रकार की गई आपत्तियों का पालन करेगा और यदि उक्त आपत्तियों को यथा अपेक्षित अग्नि सुरक्षा उपायों के पालनार्थ पाया जाये तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन को पुनः बहाल कर दिया जायेगा और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुसूची-छह के अनुसार जारी कर दिया जायेगा।

(8) (एक) अग्नि प्रमाण पत्र (प्रपत्र-क-12 में अनन्तिम और प्रपत्र-क-13 में अंतिम/नवीकरण प्रमाण पत्र) को जारी करते समय निर्माण सम्बन्धी सुरक्षा और अग्नि रोकथाम उपकरणों की पर्याप्तता का निर्धारण यथा स्थिति वास्तविक प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी स्वीकृत नक्शे के आधार पर ही नहीं किया जायेगा, वरन् वास्तविक आच्छादित क्षेत्रफल, वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक संकटों और वास्तविक अध्यासन के आधार पर भी निरीक्षणकर्ता, संवीक्षाकर्ता और निर्गमन प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(दो) अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये आवेदक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल जैसे www.niveshmitra.gov.in, www.upfireservice.gov.in आदि पर भवन के स्वीकृत मानचित्र पर अपलोड करेगा :

परन्तु यह कि जहाँ कोई सरकारी निकाय, वास्तविक प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करना चाहता है तो स्वीकृत मानचित्र को अपलोड करना अनिवार्य नहीं हो सकेगा।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की अवधि

44- नियम-43 के अधीन निर्गत अनन्तिम, अंतिम और नवीकृत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के दिनांक से यदि इन्हे समय से पूर्व ही निरस्त कर दिया गया तो, आवासीय भवनों (होटल से भिन्न) के लिये 05 वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगे और गैर आवासीय भवनों के 03 वर्ष की होगी, जबकि होटलों, अस्पतालों, सभागारों और अत्यधिक संकट वाले औद्योगिक अध्यासनों के लिये एक वर्ष के लिये मान्य होंगे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों की ऐसी वैधता अवधि को इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए कम या बढ़ा सकेगी।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों का नवीकरण

45- (1) नियम (43) के अधीन स्वीकृत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिये प्रपत्र-क-11 में अग्निशमन तथा आपात सेवा के आनलाइन पोर्टल पर अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र की समाप्ति के दिनांक से एक माह पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण की एक प्रतिलिपि के साथ आवेदन किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किये गये आवेदन की प्राप्ति पर अधिकारिता रखने वाला अग्निशमन अधिकारी नियमावली के पालन का सत्यापन करने के लिये भवन या परिसर का निरीक्षण करेगा और अनुसूची-छह के अनुसार अनुपालन किये जाने या अनुपालन न किये जाने की रिपोर्ट सम्बन्धित अग्निशमन अधिकारी/अधिकारियों को अग्रसारित करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और प्रक्रिया का पालन करने पर निर्गमन अधिकारी सम्यक् रूप से इसके कारणों को अभिलिखित करते हुये आवेदन स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा।

(4) अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे भवन का स्वामी या अध्यासी प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई माह में किसी भवन या परिसर में अग्नि से बचाव और जीवन सुरक्षा उपायों के रखरखाव के सम्बन्ध में प्रपत्र-क-8 में अधिनियम की धारा 26 में यथाविनिर्दिष्ट भली-भांति मरम्मत और अच्छी स्थिति में होने का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

46-(1) कोई सूचना या किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर या अधिनियम की विविध धाराओं के अधीन स्वप्रेरणा से किये गये निरीक्षण के पश्चात क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाला अग्निशमन अधिकारी अनिवार्य उपबन्धों, जिसके अधीन अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया था, का उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघन की संवीक्षा को लिखेगा और अग्निशमन जिला और/या अग्निशमन उपजिला के प्रभारी के माध्यम से उस अग्निशमन अधिकारी, जिसने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया था, इसे प्रस्तुत कर देगा। अग्निशमन अधिकारी, जिसने अनुसूची-छह के अधीन अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया था, निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के लिये ऐसी संवीक्षा प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर, यथा स्थिति स्वामी या अध्यासी या इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर कारण बताने का अवसर देते हुए, एक कारण बताओ नोटिस निम्नलिखित के सम्बन्ध में जारी करेगा।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण और अधिनियम या नियमावली या तद्दीन निर्गत निर्देशों के उपबन्धों के उल्लंघन करने के लिये कार्यवाही

(एक) अधिनियम अथवा इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों या अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र में विहित शर्तों के किसी उल्लंघन के लिये; या

(दो) अधिनियम या इस नियमावली के अधीन जारी निर्देशों के अनुपालन या अपूर्ण पालन के लिये; या

(तीन) बाधा डालकर या असहयोग आदि करके अधिनियम या इस नियमावली के अधीन निरीक्षण करने से रोकने के लिये।

(2) स्वामी या अध्यासी द्वारा अनुपालन करने में विफल रहने पर अग्निशमन अधिकारी, जिसने अनुसूची-छह के अधीन अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया था, अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी और अग्निशमन जिला के प्रभारी से शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि प्राप्त करेगा। वह ऐसे भवन या परिसर जैसे-सिनेमाहाल और सिनेमा संकुल (मल्टीप्लेक्स), उपचर्या अधिष्ठानों, कारखाना, होटल, भण्डारागार और शीतगृह या चाहें कोई भी कारबार, व्यापार जिसके लिये लाइसेन्स मांगा गया था, के लिये लाइसेन्स को निरस्त करने के लिये सम्बन्धित लाइसेन्स प्राधिकारी को मामलों की रिपोर्ट करेगा।

(3) किसी भवन या परिसर जो अनुपालन नहीं कर रहा है या अपूर्ण अनुपालन कर रहा है, में जीवन और सम्पत्ति की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अग्निशमन जिला का प्रभारी प्रपत्र-क-19 में प्राधिकारी को यथोचित कार्यवाही करते हुए मामले की रिपोर्ट करेगा।

(4) यदि लाइसेन्स प्राधिकारी रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है तो अग्निशमन जिला का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नियम-47 के अनुसार सील करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिये कदम उठा सकता है और इसका कारण अभिलिखित करने के पश्चात अभियोजन शुरू कर सकता है।

47-(1) क्षेत्र में अधिकारिकता रखने वाले अग्निशमन अधिकारी से यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि ऐसा भवन, सम्पत्ति मानव जीवन के खतरा बना रहा है, और अग्निशमन जिला अग्निशमन सेवा का प्रभारी अधिकारी तथ्यों का सत्यापन करेगा और अग्निशमन क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो स्वयं या अग्निशमन अधिकारियों की समिति के माध्यम से भौतिक निरीक्षण करके रिपोर्ट की तथ्य यथार्थता की पुष्टि होने पर महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 58 के अधीन ऐसे स्थानों को सील करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

किसी भवन या इसके किसी भाग को सील करने की प्रक्रिया

(2) ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा सम्बन्धित अग्निशमन जिला के प्रभारी को ऐसा स्थान या परिसर सील करने का अनुदेश देगा।

(3) जहाँ इस नियम के अधीन किसी स्थान या भवन या परिसर या इसके किसी भाग को सील किया जाता है वहाँ ऐसे स्थान या भवन या इसके किसी भाग में पाये गये सामग्रियों की विवरण सूची दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तैयार की जायेगी और इसकी एक प्रतिलिपि स्वामी या अध्यासी को, यदि वह स्थल पर मौजूद हो, प्रदान की जायेगी। विवरण सूची और पंचनामा का उपयोग समिति द्वारा रिपोर्ट बनाने समय किया जायेगा।

48- नियम-43 के अधीन निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र को फोटो प्रतियों को चौखटे में लगाया जायेगा और सामान्य जन की जानकारी के लिए सभी सुस्पष्ट स्थानों, जिसमें गलियारा, लॉबी और टावरों के फर्श पर या भवनों के खण्डों में या परिसर और अस्थायी संरचना भी है, पर प्रदर्शित किया जायेगा।

भवन या परिसर या अस्थायी संरचना में सुस्पष्ट स्थान पर अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र का सार्वजनिक प्रदर्शन

अर्हित अभिकरण का कार्यक्षेत्र	<p>49- (1) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ जिसे अधिनियम की धारा 26 के अधीन अर्हित अभिकरण से निबंधन किया गया है, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन भवनों में अग्नि की रोकथाम, जीवन सुरक्षा और अग्नि से बचाव के उपायों को स्थापित करने का कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।</p> <p>(2) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन वर्गीकृत भवनों में स्थापित अग्नि की रोकथाम, जीवन सुरक्षा और अग्नि से बचाव के उपायों के अधिक से अधिक कार्यशील बने रहने के यथास्थिति स्वामी या अध्यासी उत्तरदायी होंगे।</p> <p>(3) स्वामी या अध्यासी नियम-50 में उल्लिखित/परिभाषित किसी अर्हित अभिकरण को कार्य पर लगा सकता है जो ऐसे स्थानों को अधिक से अधिक कार्य करते रहने की स्थिति में बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।</p>
अर्हित अभिकरण लिये पात्रता	<p>50-कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ अर्हित अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन करने को तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता न हो और अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में पर्याप्त विषयगत ज्ञान और पारंगतता न हो।</p>
अर्हित अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिये आवेदन	<p>51-(1) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई संघ, किसी भवन या अस्थायी संरचना में अग्नि की रोकथाम, जीवन सुरक्षा और अग्नि से बचाव के उपायों को स्थापित करने का कार्य करने के लिये अधिनियम की धारा 26 की उपधारा-5 के अधीन अर्हित अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहता है तो वह अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अग्निशमन तथा आपात सेवा के अग्निशमन जिला के प्रभारी को रुपये 10,000 (दस हजार) के शुल्क के साथ प्रपत्र-क-5 में लाइसेंस प्राप्त करने के लिये ऑनलाइन आवेदन करेगा।</p> <p>(2) अग्निशमन तथा आपात सेवा के अग्निशमन जिला का प्रभारी अर्हित अभिकरण की प्रमाणिकता का सत्यापन होने पर महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को उक्त आवेदन को संस्तुति या अन्यथा रूप में अग्रसारित करेगा जो नियम-50 के अनुसार योग्यता और अनुभव पर सावधानी से विचार करके अर्हित अभिकरण के रूप में सूची में उसे सम्मिलित कर लेगा और निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रपत्र-क-6 में ऑनलाइन लाइसेंस जारी करेगा:-</p> <p>(एक) यह लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा,</p> <p>(दो) अर्हित अभिकरण के भागीदारों, निदेशकों, सदस्यों या कार्यालय के पता के सम्बन्ध में किसी परिवर्तन, यदि कोई हो, को लाइसेंस निर्गत करने वाले प्राधिकारी को बतायेगा।</p>
अभिकरण के दायित्व	<p>52- अर्हित अभिकरण अपने द्वारा किये गये या किये जा रहे कार्य को अग्निशमन जिला या अग्निशमन उपजिला के प्रभारी या अग्निशमन अधिकारी द्वारा या महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या किसी विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिये सदैव खुला रखेगा।</p>
अर्हित अभिकरण द्वारा शर्तों का उल्लंघन और अर्हित अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिये लाइसेंस का निलम्बन/निरस्तीकरण/प्रतिसंहरण	<p>53- (1) अर्हित अभिकरण के लाइसेंस को निरस्त या किसी समयावधि के लिये जो एक वर्ष तक का हो सकता है निलम्बित किया जा सकता है या अग्नि के रोकथाम, जीवन सुरक्षा और अग्नि से बचाव प्रणाली के उपायों के स्थापना में और अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 5 के अधीन अर्हित अभिकरण द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र को, जारी किये जाने में कोई विसंगति पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर महानिदेशक द्वारा अर्हित अभिकरण को स्थायी रूप से विवर्जित किया जा सकता है।</p> <p>(2) ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर महानिदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की जायेगी जो कथित भ्रष्टाचार की जाँच करेगी। इन विसंगतियों की पुष्टि हो जाने पर अर्हित अभिकरण के प्रमाण पत्र/लाइसेंस को निलम्बित/निरस्त करने की प्रक्रिया, अर्हित अभिकरण को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात और प्रपत्र-क-7 में इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात, अपनायी जायेगी।</p> <p>(3) लाइसेंस की निलम्बन की अवधि के पश्चात, महानिदेशक द्वारा नियुक्त अग्निशमन अधिकारियों की एक समिति, पुनः प्रस्तुत करने, पुनः सत्यापन और विहित प्रमाणिकताओं के स्थापित हो जाने के पश्चात ऐसे लाइसेंस को प्रतिसंभृत कर सकती है।</p> <p>(4) जहाँ कोई व्यक्ति, जिसे लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, अधिनियम की किन्ही उपबन्धों या नियमावली का उल्लंघन करता है या लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अक्षमता, दुराचार या किसी गंभीर कारणों से अनुपयुक्त हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये प्रपत्र-क-7 में एक नोटिस दी जायेगी कि उसे अर्हित अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिये स्वीकृत लाइसेंस को क्यों न निलम्बित या निरस्त कर दिया जाना चाहिए या अधिनियम की धारा 39 और इस नियमावली के अधीन उसके विरुद्ध दण्डित कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये।</p>

54-किसी भवन या उसके किसी भाग में अग्नि की रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों के अनुपालन के सम्बन्ध में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथापेक्षित एक प्रमाण पत्र अर्हित अभिकरण द्वारा “प्रपत्र-क-4” में जारी किया जायेगा।

अर्हित अभिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र

55- (1) प्रत्येक स्वामी या अध्यासी, प्रभावी अग्नि की रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों के प्रयोजन से, इस नियमावली की अनुसूची-सात के अनुसार अधिनियम के प्रारम्भ होने के छह माह की अवधि के भीतर एक अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जिसके पास राज्य सरकार या महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा गठित समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विहित योग्यतायें और अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में अनुभव हो।

अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति

(2) इस आशय की एक अनुपालन रिपोर्ट अधिकारिता वाले अग्निशमन जिला या अग्निशमन उपजिला के प्रभारी अधिकारी को अग्निशमन जिला या अग्निशमन उपजिला के प्रभारी अधिकारी को स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र-क-4 में भेजी जायेगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन दी गयी अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति पर अग्निशमन जिला का प्रभारी अधिकारी अभ्यर्थी की प्रमाणिकताओं का सम्यक सत्यापन करने के पश्चात अग्निशमन केन्द्र पर एक सप्ताह का अनुकूलन कार्यक्रम/प्रशिक्षण प्रारम्भ करेगा और नियुक्ति के नामांकन का प्रमाण पत्र “प्रपत्र-क-9” में अपनी मोहर और हस्ताक्षर के साथ जारी करेगा।

(4) उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने में विफल रहने पर अधिकारिता वाले अग्निशमन जिला का प्रभारी अधिकारी सुनवाई का एक अवसर दिये जाने के पश्चात यथास्थिति भवन या परिसर या कारखाना का उपयोग बन्द करने या समाप्त करने के लिये समुचित कार्यवाही करने के लिये सुसंगत प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण:- इस प्रयोजन के लिये “सुसंगत प्राधिकारी” का तात्पर्य,-

(एक) संस्थागत भवन के लिये- मुख्य चिकित्साधिकारी, भारतीय चिकित्सा परिषद आदि;

(दो) शैक्षिक भवन के लिये- बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक आदि;

(तीन) औद्योगिक भवन के लिये कारखाना निदेशक, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन आदि;

(चार) अन्य कोई अध्यासन- अधिष्ठान को प्रचालित करने के लिये लाइसेन्स देने वाला प्राधिकारी;

(5) इस नियम के अधीन परिसर/भवन के लिये इस प्रकार नियुक्त सुरक्षा अधिकारी, अर्हित अग्निशमन व्यवसायी होगा जिसके पास पर्याप्त विषय का ज्ञान और अग्नि सुरक्षा में अनुभव हो। ऐसे अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी जिसके पास राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा विद्यालय, नागपुर और उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी प्रशिक्षण संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से डिप्लोमा/प्रमाण पत्र हो।

56-(1) किसी भवन या परिसर का यथा स्थिति स्वामी या अध्यासी अधिनियम के अधीन नियुक्त अर्हित अभिकरण से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात अधिनियम की धारा 26 के अधीन उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रपत्र-क-8 में प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई माह में यह उद्घोषणा करेगा कि भवन या परिसर में लगाये गये अग्नि की रोकथाम और अग्नि से सुरक्षा के उपाय अविकल और प्रचालनीय है।

अग्नि सुरक्षा उपायों के अनुरक्षण का दायित्व

(2) किसी अग्निशमन केन्द्र अधिकारी या किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अग्निशमन अधिकारियों के समूह के लिये, जैसा भी स्थिति हो, नियम-40 के अधीन की गयी घोषणा की सच्चाई का सत्यापन करने की दृष्टि से किसी भवन या परिसर में प्रवेश करना निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा और वह इसमें किसी कमी को, यदि कोई हो, अग्निशमन जिला के प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा।

(3) अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रभारी जिला अधिकारी के निर्देशों का पालन दिये गये विशिष्ट समय-सीमा के भीतर यदि नहीं किया जाता है तो ऐसे भवन को अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त/असुरक्षित घोषित कर दिया जायेगा और अधिनियम की धारा 36 और 39 के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(4) भवन या परिसर का स्वामी या अध्यासी, जैसी भी स्थिति हो जिसके विरुद्ध इस नियमावली के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस की नियत समयावधि में इस प्रकार दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा और यथा अपेक्षित सुरक्षा उपायों का यदि अनुपालन किया गया पाया जाये तो नियम-40 में विस्तृत निरीक्षण प्रक्रिया के पश्चात पुनः स्थापित कर दिया जायेगा।

अग्नि लगने का
खतरा होने की
संभावित वस्तुओं
और सामग्रियों को
हटाये जाने के लिए
नोटिस

निर्देशों का
अनुपालन

57-जब किसी भी क्षेत्र के अधिकारिता वाले अग्निशमन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि अधिनियम की धारा 23 और 25 के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है, कोई निरीक्षण किया जाता है तो अधिकारिता वाले अग्निशमन जिला के प्रभारी अधिकारी को प्रपत्र-क-16 में ऐसी निरीक्षण रिपोर्ट दी जायेगी जो ऐसी रिपोर्ट के सावधानीपूर्वक अनुशीलन के पश्चात् प्रपत्र-क-15 में भवन या परिसर के स्वामी या अध्यासी को ऐसी सामग्री को, जिससे अग्नि लगने की आशंका हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी सुरक्षित जगह पर हटाने के लिये नोटिस जारी करेगा।

58-(1) नियम-57 और अधिनियम की धारा 23 और धारा 25 के अधीन दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहने पर अग्निशमन जिला का प्रभारी क्षेत्र में अधिकारिता वाले उप जिला मजिस्ट्रेट को भवन और/या परिसर में अग्नि लगने का खतरा होने की संभावित वस्तुओं और सामग्री को हटाने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट भेजेगा, क्षेत्र में अधिकारिता वाला उप जिला मजिस्ट्रेट 15 दिनों के भीतर ऐसी कार्यवाही करेंगे जैसी अधिनियम की धारा 25 में दी गई है।

(2) जहाँ अग्नि के खतरे की किसी वस्तु या सामग्री को जब्त करने की आवश्यकता हो तो निरीक्षण और अग्रतर जब्त करने और विरुद्ध करने की प्रक्रिया निम्नलिखित रीति से की जायेगी:-

(क) उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण की नोटिस दी जायेगी और अग्निशमन अधिकारी तथा क्षेत्र में अधिकारिता वाले पुलिस थाना के प्रभारी के साथ निरीक्षण किया जायेगा;

(ख) सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता सुनिश्चित होने और अग्नि तथा विस्फोटक का तत्काल खतरा जैसा पूर्वोक्त वस्तुओं या सामग्री से हो सकता हो, उप जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर या उसके किसी भाग के कब्जाधारी व्यक्तियों या अध्यासियों से अपेक्षा करेगा कि उसे वहाँ से तत्काल स्वयं हटा दें।

(ग) उक्त सामग्रियों या वस्तुओं, जिनके कारण अग्नि लगने या विस्फोट होने का खतरा हो सकता है, का एक विवरण सूची प्रपत्र-क-17 में दिये गये प्रारूप (पंचनामा) में तैयार किया जायेगा और वस्तुओं और सामग्रियों की प्रकृति के अनुसार यथा आवश्यकता सुरक्षित रीति से ऐसे भवन या परिसर से उक्त सामग्री को हटा दिया जायेगा और उक्त पंचनामा की एक प्रति को अग्निशमन जिला के प्रभारी को भेज दी जायेगी।

अस्थायी संरचनाओं
आदि के लिये अग्नि
रोकथाम और अग्नि
सुरक्षा के लिये
न्यूनतम मानदण्ड

59-(1) अस्थायी संरचनाओं जैसे मण्डप, शमियाना, या तम्बू या पण्डाल के लिये अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के लिये अधिनियम के प्रयोजन के लिये न्यूनतम मानदण्ड भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित आई0एस0-15:8758:1993 के अनुसार होंगे।

(2) पण्डाल, शमियाना, तम्बू या पण्डाल के स्वामी/संयोजक/बनाने वाले द्वारा उपरोक्त मानदण्डों का पालन किया जायेगा और वे निम्नलिखित से सम्बन्धित होंगे, अर्थात:-

(एक) अस्थायी संरचना तक पहुंच आदि;

(दो) अस्थायी संरचना के चारों ओर खुला स्थान आदि;

(तीन) मध्यम और उच्च वोल्टेज वाले संकटमय स्थानों से दूरी;

(चार) निकास के साधन;

(पांच) निर्माण की सामग्री;

(छ:) अग्नि रोकथाम की प्राथमिक सहायता और अग्निरोगी सामग्री का छिड़काव आदि;

(सात) अग्नि की रोकथाम के लिये जल का भण्डार

(आठ) सम्बन्धित विभाग/प्राधिकृत विद्युत ठेकेदार द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित विद्युत वायरिंग;

(नौ) प्रशिक्षित अग्नि रोकथाम के कर्मचारियों की उपलब्धता;

अस्थायी संरचना
आदि के अग्नि के
रोकथाम और अग्नि
सुरक्षा उपायों के
लिये घोषणा प्रपत्र

60-(1) अस्थायी संरचनाओं जैसे मण्डप, शमियाना, तम्बू या पण्डाल के स्वामी/संयोजक/ बनाने वाले इस अधिनियम के अनुपालन के प्रयोजन से प्रस्तावित मण्डप, शमियाना, तम्बू या पण्डाल के खुला स्थान के पहुंच, खुले स्थान और निकास के रास्तों को प्रदर्शित करने वाले अभिविन्यास नक्शा के साथ प्रपत्र-क-18 में इस आशय की एक घोषणा करेंगे कि नियम-59 में यथा उपबन्धित पर्याप्त जीवन सुरक्षित उपाय कर लिये गये हैं और घोषणा को कार्यक्रम के 24 घण्टे पहले अग्निशमन जिला के प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे।

(2) अस्थायी संरचना जैसे मण्डप/शमियाना/तम्बू/ पण्डाल का स्वामी या संयोजक इस घोषणा को मण्डप/शमियाना/तम्बू/पण्डाल में सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करेंगे।

61-(1) मण्डप/शामियाना/तम्बू/पण्डाल को बनाने वाले की स्वाधोषणा का सत्यापन करने के उद्देश्य से निदेशक या अग्निशमन केन्द्र द्वितीय अधिकारी से अनिम्न रैंक के अपने क्षेत्र में अधिकारिता वाला अग्निशमन केन्द्र या निदेशक द्वारा प्राधिकृत नीचे सारणी में यथा उल्लिखित कोई अग्निशमन अधिकारी इस प्रकार के कार्यक्रम के स्वामी/संयोजक द्वारा घोषणा में दावा किये गये सुरक्षा उपायों में किसी/कमी या विचलन का पता लगाने के लिये ऐसे मण्डप/शामियाना/तम्बू/पण्डाल में प्रवेश कर सकता है।

अस्थायी संरचना
आदि अग्नि के
रोकथाम और
अग्नि सुरक्षा
उपायों का
सत्यापन

सारणी

क्र० सं०	अस्थायी संरचना आच्छादित क्षेत्र	निरीक्षण प्राधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	लाइसेंस निर्गमन प्राधिकारी	अभियुक्ति
1	2000 वर्गमीटर तक	एफ०एस०एस०ओ० से अनिम्न रैंक का अग्निशमन केन्द्र प्रभारी	उप अग्निशमन जिला प्रभारी	उप अग्निशमन जिला प्रभारी	वर्ग 'ख' के अग्निशमन जिला के मामलों में अग्निशमन जिला प्रभारी लाइसेंस निर्गमन प्राधिकारी होगा।
2	2000 वर्गमीटर से अधिक या राष्ट्रीय ख्याति का विशेष अवसर जिसमें वीआईपी सम्मिलित होने वाले हों	एफ०एस०एस०ओ० से अनिम्न रैंक का अग्निशमन केन्द्र प्रभारी	उप अग्निशमन जिला प्रभारी या अग्निशमन जिला प्रभारी	अग्निशमन जिला प्रभारी	वर्ग 'ख' के अग्निशमन जिला के मामलों में अग्निशमन प्रक्षेत्र का प्रभारी अधिकारी लाइसेंस निर्गमन प्राधिकारी होगा।

(2) कमियों का पता चलने पर प्रपत्र-क-3 और प्रपत्र-क-10 में पण्डाल बनाने वाले को कमियों के सम्बन्ध में ऐसी नोटिस के प्राप्ति के समय से 04 घण्टे के भीतर इन कमियों को दूर करने के निर्देशों के संबंध में नोटिस जारी किया जायेगा।

62-(1) पण्डाल, मण्डप, शामियाना या तम्बू या अस्थायी संरचना का स्वामी/ संयोजक/बनाने वाला, निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा इंगित की गई कमियों को पूरा या सही करने में यदि विफल रहता है तो अग्निशमन जिला प्रभारी और/या उपजिला प्रभारी द्वारा अग्निशमन केन्द्र अधिकारी की जाँच रिपोर्ट के आधार पर पण्डाल, मण्डप, शामियाना या तम्बू या अस्थायी संरचना को अग्नि और सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त/असुरक्षित घोषित कर दिया जायेगा।

अग्नि रोकथाम
और अग्नि सुरक्षा
उपबन्धों के
अनुपालन न करने
के लिये अस्थायी
संरचना को सील
करना

(2) उक्त पण्डाल, मण्डप, शामियाना या तम्बू के असुरक्षित होने की रिपोर्ट को अग्निशमन जिला प्रभारी द्वारा उपजिला मजिस्ट्रेट जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में पण्डाल, मण्डप, शामियाना या तम्बू या अस्थायी संरचना स्थित है, को अस्थायी संरचना को सील करने के लिये भेज दिया जायेगा।

(3) नियम 61 और इस नियम के उपनियम 2 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उप जिला मजिस्ट्रेट इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट का अनुमोदन प्राप्त होने पर अतिक्रमण या अग्नि का खतरा बनने वाले वस्तुओं या सामग्री या अग्नि की रोकथाम में आ रही बाधा को हटाने के विरुद्ध एक तामीली नोटिस जो कि ऐसी रीति से तामील करायी जाये, जैसा वह उचित समझे, देगा और कारण बताने का युक्तिसंगत अवसर देगा।

(4) उपनियम 3 के अधीन प्रत्यावेदन करने के लिये यथास्थिति स्वामी/संयोजक या बनाने वाले को युक्ति संगत अवसर देने के पश्चात् और अग्निशमन और जीवन सुरक्षा उपायों की न्यूनतम आवश्यकता के निरन्तर उल्लंघन के कारण जनसामान्य को व्यापक रूप से आसन्न खतरा को संज्ञान लेने पर, उपजिला मजिस्ट्रेट ऐसे अतिक्रमण या वस्तुओं या सामग्री को जब्त करने, रोक लेने या हटाने के लिये आदेश कर सकते हैं और ऐसी अस्थायी संरचना को सील भी कर सकते हैं।

(5) उपनियम 4 के अधीन किये गये आदेश के निष्पादन के लिये प्रभारित व्यक्ति ऐसे वस्तुओं और सामग्री जिसे उसने ऐसे आदेश के अधीन जब्त किया है, के लिये तत्काल एक विवरण सूची बनायेगा और उसी समय इस सम्बन्ध में एक लिखित नोटिस उस व्यक्ति को, जिसके पास से जब्त करते समय उक्त वस्तु और सामग्री थी, देगा कि उक्त नोटिस में नियत अवधि के भीतर यदि वापस प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसे नोटिस में उल्लिखित के अनुसार नीलाम कर दिया जायेगा।

(6) यदि उपनियम-5 के अधीन दी गयी नोटिस के अनुसरण में वह व्यक्ति जिसके पास जब्ती के समय वस्तुएं या सामग्री थी, जब्त की गयी सामग्री वापस प्राप्त करने में विफल रहता है तो उप जिला मजिस्ट्रेट और अग्निशमन जिला और/या उपजिला प्रभारी संयुक्त रूप से राज्य सरकार सार्वजनिक नीलामी रीति के अनुसार उसे विक्रय कर देंगे।

अस्थायी बनायी
गयी संरचना या
बनायी जाने वाली
योजना के लिये
अग्नि सुरक्षा प्रमाण
पत्र जारी करना

63- बनाये गये या बनाये जाने वाले मण्डप, शामियाना या तम्बू या पण्डाल या किसी अस्थायी संरचना के लिये अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के अग्निशमन अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से जारी किये जायेंगे जैसी नीचे सारणी में दी गयी है।

सारणी

क्र० सं०	अस्थायी संरचना आच्छादित क्षेत्र	निरीक्षण प्राधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	लाइसेन्स निर्गमन प्राधिकारी	अभियुक्ति
1	2000 वर्गमीटर तक	एफ०एस०एस०ओ० से अनिम्न रैंक का अग्निशमन केन्द्र प्रभारी	उप अग्निशमन जिला प्रभारी	उप अग्निशमन जिला प्रभारी	वर्ग 'ख' के अग्निशमन जिला के मामलों में अग्निशमन जिला प्रभारी लाइसेंस निर्गमन प्राधिकारी होगा।
2	2000 वर्गमीटर से अधिक या राष्ट्रीय ख्याति का विशेष अवसर जिसमें वीआईपी सम्मिलित होने वाले हों	एफ०एस०एस०ओ० से अनिम्न रैंक का अग्निशमन केन्द्र प्रभारी	उप अग्निशमन जिला प्रभारी या अग्निशमन जिला प्रभारी	अग्निशमन जिला प्रभारी	वर्ग 'ख' के अग्निशमन जिला के मामलों में अग्निशमन प्रक्षेत्र का प्रभारी अधिकारी लाइसेंस निर्गमन प्राधिकारी होगा।

द्विस्तरीय समिति द्वारा पर्यवेक्षण

64-अधिनियम और नियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के नियमित पर्यवेक्षण और समीक्षा और उसके आनुषंगी मामलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित द्विस्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

(क) जिला स्तरीय शिकायत निवारण और अनुश्रवण समिति:-

(1) अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही, जिसमें अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का अनुमोदन और निरस्तीकरण, अर्हित अभिकरण के रूप में कार्य का लाइसेन्स स्वीकृत करना, अग्नि लगने का खतरा होने की संभावित वस्तुओं और सामग्री को हटाना अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाहियों और निर्णीत मामले सम्मिलित हैं, कि जिला स्तरीय शिकायत समाधान और अनुश्रवण समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।

(2) अग्निशमन अधिकारी, जिन्होंने अधिनियम के अधीन किसी प्रकरण में समव्यवहार किया है या जो समव्यवहार कर रहे हैं, सभी सुसंगत अभिलेखों और सूचना के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त जिलास्तरीय शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण समिति, ऐसे अग्निशमन अधिकारियों से गठित की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर विनिश्चित किया जाय।

(4) आवश्यक कार्यवाही करने के लिये और अग्निशमन अधिकारियों के कार्य के सम्बन्ध में किसी शिकायत के समाधान के सम्बन्ध में समिति सशक्त होगी।

(5) उक्त जिला स्तरीय शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण समिति में लिये गये विनिश्चयों और की गयी समीक्षा का कार्यवृत्त संकलित किया जाएगा और अग्निशमन तथा आपात सेवा निदेशालय स्तरीय शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण समिति और गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को उक्त समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से यथा सम्भव शीघ्र भेजा जाएगा।

(ख) निदेशालय स्तरीय शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण समिति:-

(1) अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही जिसमें जिला स्तरीय शिकायत समाधान एवं अनुश्रवण समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा और जिलास्तरीय शिकायत समाधान एवं अनुश्रवण समिति के निर्णयों के विरुद्ध हितधारकों की शिकायतें सम्मिलित हैं, के लिये निदेशालय स्तर पर एक शिकायत समाधान और अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा।

(2) निदेशालय स्तरीय शिकायत समाधान और अनुश्रवण समिति जिला स्तरीय शिकायत समाधान और अनुश्रवण समिति की त्रैमासिक संवीक्षा रिपोर्ट और अधिनियम के अधीन इसके द्वारा की गयी कार्यवाही पर विचार करेगी।

(3) निदेशालय स्तरीय शिकायत समाधान और अनुश्रवण समिति निस्तारित मामलों की प्रत्येक 03 माह में अनिवार्य रूप से समीक्षा की जायेगी यदि अध्यक्ष ऐसा करना समीचीन समझते हैं तो वह उक्त अवधि के पूर्व ही बैठक आहूत कर सकते हैं।

(4) उक्त निदेशालय स्तरीय शिकायत समाधान और अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत किया जायेगा:-

- (एक) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यक्ष
(दो) निदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा सदस्य
(तीन) संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा सदस्य, और
(चार) अग्निशमन प्रक्षेत्र का प्रभारी सदस्य

(5) यह समिति सभी आवश्यक कार्यवाही करने और अग्निशमन अधिकारियों के कार्य के सम्बन्ध में किसी शिकायत के समाधान के लिये सशक्त होगी।

(6) उक्त निदेशालय स्तरीय शिकायत निवारण और अनुश्रवण समिति में लिये गये निर्णयों और की गयी संवीक्षा का कार्यवृत्त तैयार किया जायेगा और गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से यथासंभव शीघ्र भेजा जायेगा।

अध्याय-दस**अपराधों का प्रशमन**

65-अधिनियम की धारा 40 के अधीन निम्नलिखित उल्लंघन का, इसके लिये प्रोद्भूत जुर्माना की सीमा तक प्रशमन किया जायेगा :

अपराधों का
प्रशमन

परन्तु यह कि नियम 40 तथा 59 के अधीन यथा अपेक्षित अनिवार्य उपबन्धों की संस्थापना का लोप करने के लिये कोई प्रशमन लागू नहीं होगा।

क्र० सं०	अधिनियम का उल्लंघन	संस्तुत करने वाले प्राधिकारी	प्रशमन करने वाला प्राधिकारी	प्रशमन की जाने वाली अधिकतम धनराशि (रूपये में)
1	अधिनियम का अध्याय-चार	अपनी अधिकारिता में अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी	अग्निशमन जिला का प्रभारी	20,000/-
2	अधिनियम की धारा 33	अपनी अधिकारिता में अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी	अग्निशमन जिला का प्रभारी	20,000/-
3	अधिनियम की धारा 34	संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा	निदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा	50,000/-
4	अधिनियम की धारा 35	अपनी अधिकारिता में अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी	अग्निशमन जिला का प्रभारी	1,000/-
5	अधिनियम की धारा 36	अग्निशमन जिला का प्रभारी	अग्निशमन प्रक्षेत्र का संयुक्त निदेशक	10,000/-
6	अधिनियम की धारा 37	अपनी अधिकारिता में अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी	अग्निशमन जिला का प्रभारी	10,000/-
7	अधिनियम की धारा 38	अपनी अधिकारिता में अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी	अग्निशमन जिला का प्रभारी	10,000/-
8	अधिनियम की धारा 39	निदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा	-

अध्याय-ग्यारह

अपील

अपील

66-(1) नीचे सारणी में यथा प्रगणित अधिकारी अधिनियम की धारा 45 के प्रयोजनार्थ अपीलीय प्राधिकारी होंगे: -

क्र० सं०	जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जानी है	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
1	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन तथा आपात सेवा	संयुक्त निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा	निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा
2	उप जिला मजिस्ट्रेट	जिला मजिस्ट्रेट	मण्डलीय आयुक्त
3	उपनिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा	संयुक्त निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा	निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा
4	संयुक्त निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा	निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा	महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा
5	निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा	महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा	सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
6	महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा	सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

(2) अधिनियम की धारा 45 के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को कोई अपील प्रपत्र-क-21 में की जायेगी और इसके साथ आदेश या नोटिस, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, की प्रतिलिपि और अपीलीय प्राधिकारी के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) की फीस संलग्न की जायेगी।

(3) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और आवश्यक जाँच करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह न्यायोचित और उचित समझे।

(4) यदि क्षुब्ध व्यक्ति प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को भी, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि के साथ और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पक्ष में आहरित और सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को देय एक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) की फीस जमा करके, अपील कर सकता है।

(5) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और आवश्यक जाँच करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह न्यायोचित और उचित समझे और उसका आदेश अंतिम होगा।

(6) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को की जाने वाली द्वितीय अपील प्रपत्र-क-22 में की जायेगी।

(7) वह प्राधिकारी, जिसने आदेश किया था या नोटिस जारी की थी जिस पर अपील की गयी थी, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित करेगा।

अध्याय-बारह

प्रशिक्षण

67-(1) राज्य सरकार न्यूनतम एक उत्तर प्रदेश राज्य अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान और एक या उससे अधिक क्षेत्रीय अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान का अनुरक्षण कर सकती है।

अग्निशमन तथा
आपात संस्थान की
स्थापना

(2) राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान के सुचारू संचालन के लिए अग्निशमन तथा आपात सेवा के सक्षम रैंक के एवं अपेक्षित संख्या में अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती कर सकती है।

68-(1) बाह्य प्रशिक्षु जो उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाएं के रोल पर नहीं हैं, उन्हें प्रवेश के समय, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाएं प्रशिक्षण मैनुअल में वर्णित प्रशिक्षण प्रभागों का संदाय सेनानायक, उत्तर प्रदेश राज्य अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान को संदेय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा :

प्रशिक्षण प्रभाग

परन्तु यह कि प्रशिक्षु जो उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाएं के रोल पर हैं वे प्रशिक्षण प्रभागों का संदाय करने के लिये दायी नहीं होंगे।

(2) सेनानायक, राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवाएं प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक पाठ्यक्रम के अन्त में अध्यापन शुल्क प्रयोगशाला प्रभार, अग्निशमन स्थल ऑपरेशन प्रभार तथा आवासन प्रभार शीर्षों के अधीन प्राप्त प्रशिक्षण प्रभागों की कुल राशि निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवाएं को प्रेषित करेगा या प्रेषित करवाएगा।

(3) निदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाएं, प्राप्त प्रशिक्षण प्रभागों के प्रेषण के लिए एक पृथक शीर्ष रखेगा और उसका उपयोग प्रशिक्षुओं के खेल सुविधाएं (इनडोर और आउटडोर) और इनडोर मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए करेगा।

(4) यदि कोई प्रशिक्षु किसी भी कारण से प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के दिनांक से पूर्व पाठ्यक्रम से हटने का विनिश्चय करता है या प्राचार्य/सेनानायक राज्य अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम से निष्काशित कर दिया जाता है तो वह अपने द्वारा प्रेषित प्रशिक्षण प्रभाग या उसके किसी भाग की वापसी का हकदार नहीं होगा।

(5) किसी प्रशिक्षु के पाठ्यक्रम में प्रवेश पर, यदि उसको आवास आवंटित किया जाता है तो उसे प्राचार्य राज्य अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षा जमा के रूप में मात्र दो हजार रुपये की राशि जमा करनी होगी:

परन्तु यह कि प्रशिक्षु जो उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा पर रोल हो, ऐसी सुरक्षा जमा राशि के भुगतान के लिये दायी नहीं होगा।

(6) पूर्वोक्त सुरक्षा जमा राशि पाठ्यक्रम के अन्त में यह सत्यापित करने के पश्चात वापस कर दी जायेगी कि प्रशिक्षु को उपलब्ध करायी गयी सभी वस्तुएं अच्छी स्थिति में हैं और प्रशिक्षण के दौरान उसके आचरण के कारण राजकोष को कोई हानि नहीं हुयी है।

69-(1) अग्निशमन केन्द्र अधिकारी के रैंक से ऊपर के समस्त अग्निशमन अधिकारियों को प्रत्येक तीन वर्ष में किसी भी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान में अग्नि प्रबन्धन और प्रशासन कौशल सहित अग्नि इंजीनियरिंग के संबंध में न्यूनतम तीन दिनों से कम से कम दो पुनश्चर्या प्रशिक्षण सत्र से गुजरना होगा, जिसमें उन्नत और विकसित अग्निशमन या अन्य आपात सेवा वाले विभिन्न देशों में अग्निशमन और आपात सेवा के सदस्यों के तकनीकी और वृत्तिक कुशलता के वृद्धि के लिए अध्ययन दौरे और विनिमय कार्यक्रम सम्मिलित हैं, और प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत स्थानीय/राज्य अग्निशमन सेवा के साथ कम से कम सात दिनों के जुड़ाव से गुजरना होगा।

विभागीय कर्मचारियों
का प्रशिक्षण कार्यक्रम

(2) अग्निशमन केन्द्र अधिकारी और उससे नीचे रैंक के समस्त अग्निशमन अधिकारियों को प्रत्येक पाँच वर्ष में किसी भी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान में अग्नि प्रबन्धन कौशल सहित अग्नि इंजीनियरिंग के संबंध में कम से कम तीन दिनों का एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण सत्र से गुजरना होगा, जिसमें उन्नत और विकसित अग्निशमन या अन्य आपात सेवाओं वाले विभिन्न देशों में अग्निशमन तथा आपात सेवा के सदस्यों के तकनीकी और वृत्तिक कुशलता की वृद्धि के लिए अध्ययन दौरे तथा विनिमय कार्यक्रम सम्मिलित हैं और प्रत्येक सात वर्ष में एक बार राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत स्थानीय/राज्य अग्निशमन सेवा के साथ कम से कम पन्द्रह दिनों के जुड़ाव से गुजरना होगा।

(3) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के सभी सदस्यों को विभाग में अपने प्रथम पद ग्रहण के समय उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण मैनुअल में यथा उल्लिखित एक विशिष्ट अवधि के लिये और सस्थानों में प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा।

(4) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के सभी सदस्यों को पदोन्नति पर उच्च पद पर अपने पद ग्रहण के समय उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण मैनुअल में यथा उल्लिखित संस्थानों में एक विशिष्ट अवधि के लिये पुनश्चर्चा प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा।

(5) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के सभी सदस्यों को एक विशिष्ट अवधि के लिये समय-समय पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण मैनुअल में उल्लिखित संस्थानों में पुनश्चर्चा प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा।

अग्निशमन तथा आपात सेवा के राजपत्रित अधिकारियों का प्रशिक्षण

70-(1) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के सभी नवनियुक्त राजपत्रित अधिकारियों को राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव या किसी अन्य क्षेत्रीय अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण संस्थान, यथास्थिति छह मास की अवधि का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, मुरादाबाद या अग्निशमन एवं बचाव प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यवसायिक संस्थान में तीन मास का प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ में एक मास का प्रशासनिक प्रशिक्षण और विभिन्न अग्निशमन सेवाओं में दो मास का क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(2) हालांकि, राज्य सरकार आवश्यकतानुसार नई तकनीकी सीखने, और राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा के मानकों को अद्यतन करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मेलनों, सेमिनारों और प्रशिक्षण आदि में अग्निशमन अधिकारियों को भेज सकती है।

(3) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा विनिश्चित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

प्रशिक्षण मैनुअल

71- महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा इन नियमों के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः माह के भीतर उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण मैनुअल प्रकाशित करेंगे।

अध्याय-तेरह

अग्निशमन कर, फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण

अग्निशमन कर का उद्ग्रहण

72-जिन भूमियों और भवनों पर सम्पत्ति कर उद्गृहीत किया जाता है, उन पर अधिभार के रूप में गृह कर की कुल राशि के एक प्रतिशत की दर से या राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश द्वारा यथा विनिश्चित अग्निशमन कर उद्गृहीत किया जायेगा। इसकी वसूली उसी तरह की जायेगी जैसे कि यह भू-राजस्व का बकाया हो।

अध्याय-चौदह

अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि

अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि

73-(1) "अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि" के रूप में ज्ञात एक निधि का गठन किया जायेगा। अधिनियम और इस नियमावली के अधीन वसूल की गयी अग्निशमन फीस, कर और शास्तियों (जुर्माने से भिन्न) के अग्निमों को प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जायेगा और इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् रूप से कृत विनियोजन से तथा तद्दीन संग्रहण और वसूली के व्ययों की कटौती के पश्चात् "अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि" में प्रविष्ट कर अन्तर्गत कर दिया जायेगा।

(2) उक्त निधि का उपयोग उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के उन सदस्यों के कल्याण जैसे चिकित्सा उपचार, वित्तीय सहायता आदि के लिये किया जायेगा जो अग्निशमन और बचाव कार्यों के दौरान घायल हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के ऐसे सदस्यों के आश्रित, जो अग्निशमन और बचाव कार्यों के दौरान अपनी जान गवां देते हैं।

अग्निशमन और आपात अनुसूचक निधि

74-(1) अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के अधीन अग्नि बुझाने वाले उपस्करों तथा उपयोगिता वाहनों की मरम्मत और अनुसूचक के लिये अग्निशमन जिले और/या उप जिला के प्रभारी और अग्निशमन प्रक्षेत्र के संयुक्त निदेशक के निपटारे में एक अनुसूचक निधि होगी, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के अग्निशमन वाहनों, आपात सेवा वाहनों और उपस्करों, विशेष वाहनों और उपस्करों और उपयोगिता वाहनों आदि की मरम्मत और अनुसूचक हेतु आवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों का विनिश्चय राज्य सरकार कर सकती है।

(2) ऐसी निधि की सीमा और प्रत्येक अधिकारी के लिये व्यय की पात्रता राज्य सरकार के आदेश के अनुसार होगी।

अध्याय-पन्द्रह

प्रकीर्ण

75-(1) प्रत्येक जिले में एक हिन्दी आदेश पुस्तिका रखी जायेगी। इसमें उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के आन्तरिक वित्तीय मामलों से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यकारी आदेश को प्रविष्ट किया जायेगा, उदाहरणार्थ नियुक्ति, दण्ड, स्थानान्तरण, छुट्टी पोस्टिंग आदि। यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान और अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं में भी अपनाई जायेगी।

हिन्दी आदेश पुस्तिका

(2) हिन्दी आदेश पुस्तिका प्रतिदिन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी से अनिम्न रैंक के अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी और अग्निशमन जिले और/ या उप जिले के प्रभारी अधिकारी द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में अग्निशमन जिला के प्रभारी से अगले प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन हस्ताक्षरित की जायेगी।

(3) अग्निशमन जिले का प्रभारी, जिले में लौटने पर, प्रविष्टियों की जाँच करेगा और प्रमाणित करेगा कि उसने अपनी अनुपस्थिति की अवधि के लिए उनकी जाँच कर ली है।

(4) पुस्तिका पूरी होने के बाद पैंतालीस वर्षों तक रखी जायेगी।

76- प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र एक सामान्य डायरी/घटना पुस्तिका/लॉग बुक बनाए रखेगा। सभी प्रकार की प्रविष्टियाँ और रिपोर्ट प्रत्येक घटना के घटित होने पर तुरन्त दर्ज की जायेगी, जिसका वे उल्लेख करते हैं।

सामान्य डायरी/घटना पुस्तिका/लाग बुक

77-(1) राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष (महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवाएं) या अग्निशमन अधिकारी, जो यथा स्थिति उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के महानिदेशक या संयुक्त निदेशक या अग्निशमन जिले और/या उप जिले के प्रभारी द्वारा प्राधिकृत हो एक साइट जाँच टीम का गठन कर सकता/सकती है या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अग्नि फॉरेंसिक प्रयोगशाला के माध्यम से यदि आवश्यक हुआ तो अग्नि की घटना की उत्पत्ति और कारण के बारे में पूछ-ताछ करने के लिए अग्निशमन अधिकारी को नाम निर्दिष्ट कर सकती/सकता है, और इस तरह के कदम उठायेगी/उठायेगा जैसी आवश्यक हो ताकि भविष्य में अग्नि लगने की घटनाएं न हो।

अग्नि लगने की घटना या उत्पत्ति के संबंध में पूछ-ताछ

(2) यदि भवन या परिसर या अस्थायी संरचना के स्वामी या अध्यासी की ओर से कोई गलत कार्य पाया जाता है, तो अग्निशमन अधिकारी जिसकी अधिकारिता में उक्त भवन या परिसर या अस्थायी संरचना आती है, सक्षम न्यायालय में अपराधियों के खिलाफ अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अभियोजन प्रारम्भ करेगा।

78-(1) राज्य सरकार ऐसे परिसरों के लिए स्टैण्ड बाई ड्यूटी प्रभार लगायेगी जहाँ अग्निशमन तथा आपात सेवा को अग्नि को रोकने या अग्नि सुरक्षा को प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए बुलाया गया है।

अग्नि सुरक्षा के लिये स्टैण्ड बाई ड्यूटी और घटना के लिये पम्पिंग प्रभार

(2) राज्य सरकार के कार्यक्रम और कृत्यों में ड्यूटी करने के लिए ऐसा कोई प्रभार नहीं लगाया जायेगा।

(3) राज्य सरकार गैर आवासीय भवनों और परिसरों में अग्नि बुझाने के लिए अनुसूची-5 में यथा वर्णित तरीके से अग्निशमन और पम्पिंग प्रभार उदगृहीत कर सकती है।

(4) ऐसी भवनों का स्वामी या अधिभोगी ऐसी घटना घटित होने के एक सप्ताह के भीतर प्रभारों को प्रेषित कर देगा, अन्यथा ऐसे प्रभार ऐसे वसूल किया जायेंगे जैसा कि यह भू-राजस्व का बकाया हो।

79-अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रत्येक सदस्य को इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए छुट्टी को छोड़कर हमेशा ड्यूटी पर समझा जायेगा।

अग्निशमन तथा आपात सेवा के सदस्य छुट्टी को छोड़ कर हमेशा ड्यूटी पर समझे जायेंगे

रिपोर्ट और विवरण
मांगना

80-(1) राज्य सरकार, महानिदेशक, निदेशक या कोई मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन या द्वारा, यथा स्थिति राज्य सरकार, महानिदेशक, निदेशक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी को अग्नि रोकथाम, जीवन सुरक्षा तथा किसी आपात सेवाओं सहित पदतत् कृत्यों से जुड़े किसी विषय पर किसी भी विभाग या इकाई प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण से रिपोर्ट और विवरण मांग सकती/सकता है।

(2) जहां इस नियम के अधीन कोई रिपोर्ट या विवरण मांगा जाता है, वहां यथा स्थिति इकाई प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या कोई भी विभाग यथा स्थिति राज्य सरकार या महानिदेशक, निदेशक या किसी मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर इसे प्रस्तुत करेगा।

अग्निशमन बचाव
और आपात पुकारों
के दौरान अन्य केन्द्र
या अग्निशमन जिला
से अग्नि बुझाने वाले
और बचाव संसाधनों
की मांग

81-(1) अग्नि लगने की घटना का प्रभारी अधिकारी इन नियमों के प्रयोजन के लिए अग्नि बुझाने और बचाव संसाधनों के लिए अनुरोध का पहल कर सकता है।

(2) अग्नि लगने, बचाव या आपात के जवाब में कमांडिंग अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर और अग्निशमन केन्द्र के वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर उसके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर के अग्निशमन केन्द्र की सहायता प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

(3) उप नियम (1) और (2) के अनुसार अग्नि, बचाव या आपात पुकार प्राप्त होने पर अग्निशमन केन्द्र प्रभारी अधिकारी उपस्कर, उपकरण और कर्मिकों या उसके किसी भाग को भेजेगा यदि उसे लगता है कि आवश्यक अग्निशमन इकाइयों को भेजने के बाद भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध होगी और वह इसके बारे में अग्निशमन जिले और/या उप जिले के प्रभारी को सूचित करेगा।

(4) अन्य सभी आपात स्थितियों से सम्बन्धित पुकारों, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नियमों या अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, उन पर भी इस नियमों के अनुसार अग्निशमन और आपात सेवा द्वारा प्रतिक्रिया दी जायेगी।

(5) अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी, ऐसी समस्त पुकारों तथा पुकारों की प्रतिक्रियाओं का डेटा बनाये रखेगा या रखवायेगा और कार्यवाही रिपोर्ट के साथ इसे उच्च अधिकारियों को या जब भी उच्च अधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, प्रस्तुत करेगा।

(6) इस नियम के प्रयोजन के लिए, घटना स्थल पर पहुंचने वाला वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी घटना स्थल के कामण्डिंग अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, और अग्निशमन बचाव और आपात सेवा संचालन में लगी अन्य सभी इकाइयों, कर्मचारीवृंद उपस्कर और उपकरण उसके आदेश के अधीन कार्य तथा कृत्य करेंगे।

अग्निशमन तथा
आपात सेवा को
समुदाय के लिये एक
आवश्यक सेवा
घोषित करना

82-किसी विषय पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अग्निशमन तथा आपात सेवाओं समुदाय के लिये एक आवश्यक सेवा माना जायेगा, जबतक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अन्यथा विनिश्चय न करें।

बजट

83-(1) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, अग्निशमन एवं आपात सेवा के सभी मामलों के प्रबन्धन के लिए वार्षिक अनुमानित बजट तैयार करेगा और उसके आधार पर राज्य सरकार, सीधे उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा निदेशालय को बजट आवंटित करेगी।

(2) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा निदेशालय इसके बाद महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के कार्यालय, क्षेत्र के संयुक्त निदेशक, के कार्यालय वर्ग क जिले के उप निदेशक, वर्ग ख जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण संस्थान के प्रचार्यों के कार्यालय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों को राज्य सरकार की पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन बजट आवंटित करेगा।

84-(1) अधिनियम के अधीन नामांकित अधिकारियों, कर्मचारियों और पुरुषों को, नशे की हालत उत्तर प्रदेश

में पाये जाने, शराब और नशीली दवायें, जो उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकारिक तौर पर प्रतिबन्धित है, के सेवन करने पर किसी भी नजदीकी सरकारी चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र के पास चिकित्सीय परीक्षण के लिए लाया जायेगा।

(2) अग्निशमन केन्द्र प्रभारी अधिकारी एक पर्वी में तारीख, समय, कर्मचारी का नाम और उसके विभाग की सरकारी पहचान संख्या दर्ज करेगा और नशे में धुत कर्मचारी को सरकारी चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र में भेजेगा।

(3) चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र में मौजूद चिकित्सा अधिकारी ऐसे कर्मचारी के नशे की चिकित्सीय जाँच करेगा और अपनी रिपोर्ट तथा नुस्खा अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को देगा।

(4) अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी, अधिकारी, सम्बन्धित कर्मचारी की रिपोर्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रभारी अग्निशमन, उप-जिला को भेजेगा।

(5) अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट या पर्वी या पत्र पर कार्यवाही करना चिकित्सा अधिकारी, सरकारी चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र का कर्तव्य होगा।

(6) यदि किसी अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी का नशे में हाने का सन्देह है, तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी या कोई अन्य वरिष्ठ, चिकित्सा जाँच के लिए सरकारी चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को पर्वी या पत्र भेजेगा और यह चिकित्सा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो नशे और शराब के दुरुपयोग के लिए उसका चिकित्सीय जाँच करे।

(7) चिकित्सा अधिकारी फिर अपनी रिपोर्ट मुख्य अग्निशमन अधिकारी को सौंपेगा और यदि वह नशे में पाया जाता है, तो ऐसे नशे में धुत अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जायेगी।

85-(1) तकनीकी कठिनाई या भारतीय मानकों, राष्ट्रीय भवन संहिता या तकनीकी मामलों पर अन्य संहिता तथा मानकों के निर्वचन से उत्पन्न होने वाली तकनीकी कठिनाई या विवादों के मामलों में तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए एक विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति होगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में निदेशक, सदस्य सचिव के रूप में एक अपर निदेशक और सदस्य के रूप में एक संयुक्त निदेशक सम्मिलित होंगे।

(2) अग्निशमन अधिकारी और जनता प्रपत्र-क, 23 में दिये गये तरीके से अपने भवन या परिसर या अस्थायी संरचना के सम्बन्ध में तकनीकी सलाह ले सकते हैं, और पूर्वोक्त समिति एक महीने के भीतर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उस पर सलाह देगी।

86-(1) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाएं, 'सहायक अग्निशमन तथा आपात सेवा' को स्वयंसेवक सेवा के रूप में या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित पैटर्न पर एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आयोजित कर सकते हैं।

(2) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाएं अपने क्षेत्र में अग्नि बुझाने और लोगों को बचाने और अग्निशमन तथा आपात सेवा कर्मिकों को अग्नि बुझाने जीवन सुरक्षा बचाव तथा आपात सेवा ऑपरेशन में सहायता करने की दृष्टि से बाहरी लोगों, होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को एक विशिष्ट अवधि के लिए सहायक अग्निशमन तथा आपात सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और अग्नि रोकथाम हेतु जनजागरूकता के लिए कदम उठा सकते हैं।

87-अधिनियम में निहित उपबंधों के अधीन, अग्निशमन बचाव या अन्य आपात सेवा संचालन के अवसर पर अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी सदस्य के रूप में निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अग्निशमन अधिकारी मौके पर उपस्थित होंगे, यदि परिस्थितिजन्य आवश्यकता हो तो निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:-

(एक) साधारणतया ऐसा उपाय करना जो आवश्यक प्रतीत हो जैसा साइट कार्यालय में शान्ति और विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस कर्मियों, मजिस्ट्रेट की मॉग करना या अग्नि उपकरणों की सुरक्षा और जीवन और संपत्ति के संरक्षण के लिए बचाव अभियान चलाना।

(दो) स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियरिंग संगठन, नगर निगम और राजस्व, कृषि, पशु चिकित्सा, वन और उत्पाद शुल्क विभागों जैसी सरकारी अभिकरणों से सहायता और सहयोग लेना जो अग्नि बुझाने, बचाव और बचाव कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी की मांग पर उसके निपटारे में उपलब्ध संसाधनों के साथ सहयोग बढ़ाएंगे।

(तीन) अग्नि बुझाने वाले उपस्करों की मॉग करना, और सभी निजी और सरकारी निकायों के लिए यह विधिपूर्ण कर्तव्य होगा कि वे अपने निपटारे में उपलब्ध अग्नि बुझाने वाले उपस्कर उपलब्ध करायेगें।

(चार) कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट के पास मॉग दर्ज करना, जो प्रभावी अग्नि बुझाने, बचाव और बचाव कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार उपस्कर या मशीनरी किराए पर लेंगे।

अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नशे एवं शराब के सेवन आदि की स्थिति हेतु किया जाने वाले चिकित्सीय परीक्षण

विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति

सहायक अग्निशमन तथा आपात सेवा

अग्निशमन बचाव या अन्य आपात अवसरों पर सहायता के लिये अन्य अभिकरण

राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवाएं द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिए प्रभारों के संदाय करने हेतु सूचना असाधारण पेंशन

88-जहाँ राज्य सरकार ने अग्नि बुझाने, बचाव, अन्य आपात स्थितियों और अतिरिक्त ड्यूटी के लिए अग्निशमन तथा आपात सेवा वाहनों के अभिनियोजन के लिए सेवाएं प्रदान की है, वहां अग्निशमन जिले के प्रभारी, भवन या परिसर या अस्थायी संरचना के स्वामी या अध्यासी को राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश या अनुदेश द्वारा यथा उपबंधित पूर्वोक्त सेवाओं को प्रदान करने में उपगत व्यय के संदाय करने के लिये नोटिस जारी कर सकता है।

89-उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के जिन सदस्यों की मृत्यु अग्नि बुझाने / बचाव कार्यों/ड्यूटी पर दुर्घटना आदि के दौरान हुई है, उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली, 1961 (समय-समय पर यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुरूप असाधारण पेंशन प्रदान की जायेगी।

अग्निशमन अधिकारियों का गोपनीय लेखन

90-अग्निशमन अधिकारियों के विभिन्न रैंकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित सक्षम रैंक के अग्निशमन अधिकारियों द्वारा लिखी जाएगी।

अध्याय-सोलह

अग्नि रोकथाम हेतु सामान्य उपाय

अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रतिक्रिया का एक आपात स्थिति होना

91-अग्नि लगने या अन्य किसी आपात के कारण उत्पन्न स्थिति में जहाँ अग्निशमन तथा आपात सेवा के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, अग्निशमन तथा आपात सेवा की प्रतिक्रिया, अग्निशमन जिले के प्रभारी या परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

अग्निशमन रिपोर्ट जारी करना

92-(1) अग्नि की घटना के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर अग्निशमन की रिपोर्ट अग्निशमन तथा आपात सेवा के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी। स्वामी या अध्यासी जिसकी सम्पत्ति अग्नि से या अन्यथा किसी तरीके से प्रभावित हुई थी, वह रु0- 50/- और पम्पिंग शुल्क, यदि अनुसूची-पांच के अनुसार लागू हो, का भुगतान करने के बाद अग्निशमन और आपात सेवा के ऑनलाइन पोर्टल से रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर सकता है।

(2) प्रपत्र एफ आर-1 में अग्निशमन की रिपोर्ट अग्निशमन जिले और/उप जिले के प्रभारी द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदक को जारी की जायेगी।

(3) यदि स्वामी या अध्यासी को अग्निशमन रिपोर्ट 'प्रपत्र एफ आर-1' में बताए गये तथ्यों में किसी बदलाव की आवश्यकता है, तो उसे जिला मुख्य अग्निशमन कार्यालय को आवेदन करना होगा।

अग्निशमन अधिकारी एवं कर्मचारिवृंद के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

93-अधिनियम तथा तद्वीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अध्याधीन महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवाएं को राज्य सरकार के अनुमोदन से अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के कार्मिकों के किये जाने वाले कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को प्रगणित करने की शक्ति होगी।

अग्नि बुझाने के दौरान परिसर को हुई क्षति की रिपोर्ट और प्रतिकर का निर्धारण तथा संदाय

94-अधिनियम की धारा 17 (ग) और 34 के अधीन दिये गये क्षति और प्रतिकर के मामले को निपटाने के लिए, उक्त मामलों को अग्निशमन जिले के प्रभारी द्वारा निम्नलिखित समिति को भेजा जायेगा:-

(एक) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर जिला मजिस्ट्रेट- अध्यक्ष;

(दो) अग्निशमन जिले के प्रभारी- सदस्य सचिव;

(तीन) स्थानीय प्राधिकारी/इकाई प्राधिकारी के वरिष्ठ प्रतिनिधि- सदस्य;

(चार) लोक निर्माण विभाग या आवास विकास परिषद या जल निगम उत्तर प्रदेश से ज्येष्ठ वेतनमान के इन्जीनियर- सदस्य।

अग्नि या आपात के दौरान अग्निशमन अधिकारी या अग्निशमन कर्मी या अन्य कर्मचारिवृंद को दुर्घटना की रिपोर्ट और प्रतिकर का संदाय

95-अग्निशमन का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, ऐसे अग्निबुझाने या बचाव कार्य संचालनों या आपात संचालनों के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना की रिपोर्ट मुख्य अग्निशमन अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारियों को तुरन्त देगा, और संदेय प्रतिकर और/या दुर्घटना की स्थिति में किसी भी अग्निशमन अधिकारी या अग्निशमन कर्मी या अन्य कर्मचारिवृंद के अन्तिम संस्कार का खर्च, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में उनके आश्रितों को संदेय प्रतिकर ऐसा होगा जैसा कि यथास्थिति महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से अवधारित किया जाय।

अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ कार्मिक या उपस्कर या दोनों को प्राप्त करने की शर्तें

96-वे शर्तें जिन पर महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अग्निशमन अधिकारी, समझौते द्वारा, अग्निशमन उपस्करों या कार्मिकों को किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है, जो अग्नि बुझाने के प्रयोजन के लिए कार्मिकों या उपस्करों या दोनों को नियोजित और बनाए रखता है, इस प्रकार होंगी:-

(एक) अग्निशमन अभियान समाप्त होने के बाद, शीघ्रातिशीघ्र अग्निशमन अभियान का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, इस प्रकार प्राप्त किए गये कर्मिकों या उपस्करों को कार्यमुक्त कर देगा और उस व्यक्ति, फर्म संस्थान या व्यक्ति को बहाल कर देगा जिससे कर्मिकों की सेवाएं और ऐसे उपस्करों का कब्जा प्राप्त किया गया था।

(दो) यदि किसी कर्मिक को कोई चोट लगती है या किसी उपस्कर को कोई क्षति होती है और यथा स्थिति कर्मचारी या उपस्कर का स्वामी, उसके सम्बन्ध में अलग से किसी प्रतिकर की मांग करता है, और कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो मामला ऐसे अवधारण के लिये राज्य सरकार को भेजा जायेगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

97-(1) अग्निशमन सेवा के विभिन्न रैंको के राजपत्रित अधिकारी, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात पुरस्कार सेवा के कर्मिकों को, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित अपने अधिकारिता के क्षेत्र में उनसे अधीनस्थ रैंको के लिये, कर्तव्यों के सराहनीय प्रदर्शन हेतु प्रमाण पत्र या नगद पुरस्कार या दोनों के रूप में पुरस्कार स्वीकृत कर सकते हैं।

(2) उपनियम(1) के अधीन उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के सदस्यों को दिये जाने वाले पुरस्कारों को, ऐसा पुरस्कार देने वाले प्राधिकारी द्वारा सेवा पुस्तिका में हरी स्याही से अभिलिखित किया जाएगा।

अनुसूची-एक

क्षेत्रीय गठन में विभिन्न कार्यालयों की संरचना

1. अग्निशमन केन्द्र पर प्रकोष्ठ/अनुभाग, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

क्रम संख्या	अग्निशमन केन्द्र(प्रवर्ग)	जनशक्ति की आवश्यकता	ऑपरेशन प्रकोष्ठ	नियन्त्रण कक्ष कर्तव्य	पहरेदारी का कार्य	एमटी अनुभाग	सामाग्री भण्डार	केन्द्र भोजनालय	कुल	कुल योग
1	इकाई-2	एफएसओ	1						1	26
		एफएसएसओ	1						1	
		एलएफएम	2						2	
		एफएसडी	2						2	
		एफएम	16						16	
		कुक/कहार	2						2	
		स्वीपर	1						1	
		एसआई(एम)	1						1	
2	इकाई-3	एफएसओ	1						1	34
		एफएसएसओ	2						2	
		एलएफएम	3						3	
		एफएसडी	3						3	
		एफएम	21						21	
		कुक/कहार	2						2	
		स्वीपर	1						1	
		एसआई(एम)	1						1	
3	इकाई-4	एफएसओ	1						1	40
		एफएसएसओ	2						2	
		एलएफएम	4						4	
		एफएसडी	4						4	
		एफएम	25						25	
		कुक/कहार	2						2	
		स्वीपर	1						1	
		एसआई(एम)	1						1	
4	इकाई-7	एफएसओ	1						1	69
		एफएसएसओ	3						3	
		एलएफएम	8						8	
		एफएसडी	9						9	
		एफएम	44						44	
		कुक/कहार	2						2	
		स्वीपर	1						1	
		एसआई(एम)	1						1	

2- उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा की फील्ड ऑपरेशन संरचना

क्रम संख्या	अग्निशमन सीमा	अग्निशमन जिला	अग्निशमन केन्द्रों की संख्या	उप-अग्निशमन जिलों की संख्या	अग्निशमन जिला वर्ग
1	आगरा	आगरा	9	2	क
		अलीगढ़	6	1	क
		एटा	3	1	ख
		फिरोजाबाद	4	1	ख
		हाथरस	4	1	ख
		कासगंज	2	1	ख
		मैनपुरी	5	1	ख
		मथुरा	4	1	क
2	इलाहाबाद	इलाहाबाद	9	2	क
		फतेहपुर	3	1	ख
		कौशाम्बी	4	1	ख
		प्रतापगढ़	9	2	क
		बांदा	4	1	ख
		चित्रकूट	4	1	ख
		हमीरपुर	3	1	ख
		महोबा	2	1	ख
3	बरेली	बरेली	7	2	क
		बदायूं	4	1	ख
		पीलीभीत	4	1	ख
		शाहजहांपुर	4	1	ख
		अमरोहा	3	1	ख
		बिजनौर	5	1	ख
		मुरादाबाद	6	1	क
		रामपुर	7	2	क
		संभल	3	1	ख
4	गोरखपुर	बस्ती	4	1	ख
		संतकबीरनगर	3	1	ख
		सिद्धार्थनगर	3	1	ख
		बहराइच	6	1	क
		बलरामपुर	3	1	ख
		गोण्डा	3	1	ख
		श्रावस्ती	2	1	ख
		देवरिया	3	1	ख
		गोरखपुर	9	2	क
		कुशीनगर	6	1	क
		महराजगंज	4	1	ख

क्रम संख्या	अग्निशमन सीमा	अग्निशमन जिला	अग्निशमन केन्द्रों की संख्या	उप-अग्निशमन जिलों की संख्या	अग्निशमन जिला वर्ग
5	कानपुर	जालौन	5	1	ख
		झांसी	6	1	क
		ललितपुर	1	1	ख
		औरैया	3	1	ख
		इटवा	4	1	ख
		फतेहगढ़	2	1	ख
		कन्नौज	3	1	ख
		कानपुर देहात	5	1	ख
		कानपुर नगर	11	3	क
6	लखनऊ	अम्बेडकरनगर	4	1	ख
		अमेठी	7	2	क
		बाराबंकी	6	1	क
		फैजाबाद	7	2	क
		सुल्तानपुर	5	1	ख
		हरदोई	5	1	ख
		खीरी	6	1	क
		लखनऊ	11	3	क
		रायबरेली	6	1	क
		सीतापुर	8	2	क
		उन्नाव	6	1	क
7	मेरठ	बागपत	3	1	ख
		बुलन्दशहर	7	2	क
		गौतमबुद्धनगर	9	2	क
		गाजियाबाद	5	1	क
		हापुड़	3	1	क
		मेरठ	5	1	क
		मुजफ्फरनगर	3	1	ख
		सहारनपुर	4	1	क
		शामली	1	1	ख
8	वाराणसी	आजमगढ़	7	2	क
		बलिया	6	1	क
		मऊ	5	1	ख
		मिर्जापुर	3	1	ख
		संतरविदासनगर	3	1	ख
		सोनभद्र	3	1	ख
		चंदौली	3	1	ख
		गाजीपुर	5	1	ख
		जौनपुर	6	1	क
		वाराणसी	5	1	क

अनुसूची-दो

अग्निशमन केन्द्र के लिए न्यूनतम सुविधाओं की आवश्यकता

1- ग्रामीण क्षेत्र अग्निशमन केन्द्र पर उपस्करों की संभावित सूची

क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर
1	वाटर टेण्डर(4500 एवं 5000)	41	सक्शन वॉशर	81	फोम कंपाउंड(ए एफएफएफ-3 प्रतिशत)
2	वाटर टेण्डर(2000 एवं 2500)	42	स्टैण्ड पाइप	82	फोम कॉम्प (ए-आर एफएफएफ-3 प्रतिशत)
3	वन टनर वाटर मिश्र विद हाई प्रेशर	43	हाईड्रेंट कैप	83	सक्शन एडाप्टर
4	पंपिंग यूनिट के साथ बोलेरो कैम्पर	44	कलेक्टिंग हेड एडाप्टर	84	धातु छलनी (आकार-4)
5	जीप टोइंग वाहन	45	हौज पिचिंग मशीन	85	धातु छलनी (आकार-3)
6	टोइंग कम रेस्क्यू वैन एम्बुलेन्स	46	एक्सटेंशन सीढ़ी (35)	86	बकेट छलनी
7	लाइफ सपोर्ट प्रणाली वाली एम्बुलेन्स	47	हुक सीढ़ी	87	डिलिवरी हौज 63 मिमी
8	फायर रजिस्ट्रेंट ओवर ऑल (डांगरी)	48	घंटा(पीतल)	88	डिलिवरी हौज युग्मन 63 मिमी
9	स्मोक एक्जस्टर पेट्रोल चालित	49	बैट्री चालित रसायन	89	डिलिवरी हौज वॉशर 63 मिमी
10	बोल्ट कटर	50	हूटर	90	सक्शन कपलिंग आकार-4
11	डी0एस0यू0 के साथ बी0ए0 सेट	51	हैंड ऑपरेटेड सायरन	91	सक्शन कपलिंग आकार-3
12	चेहरे के लिए मास्क	52	फायर हुक	92	मेल टू मेल एडाप्टर
13	लाइफ बॉय जैकेट	53	प्राक्सीमिटी सूट	93	फीमेल टू फीमेल एडाप्टर
14	लाइफ बॉय रिंग	54	एल्युमिनाइज सूट	94	सिम्पल ब्रान्च
15	हाईड्रेंट एडाप्टर	55	एम्बेस्टस सूट	95	डिफ्यूजर ब्रान्च
16	कलेक्टिंग ब्रीचिंग	56	रबर के दस्ताने	96	जंबो कर्टेन ब्रान्च
17	हाई प्रेशर पी0टी0ओ0 वाटर मिस्ट फायर फाइटिंग मोटर बाइक विद हेलमेट	57	एम्बेस्टस दस्ताने	97	फॉग ब्रान्च
18	हाई प्रेशर बैक पैक मोटर बाइक हेलमेट के साथ	58	रासायनिक सूट	98	रिवाल्विंग ब्रान्च
19	पोर्टेबल पम्प	59	गैस टाइट सूट	99	फोम मेकिंग ब्रान्च(विभिन्न प्रकार)
20	पलोट पम्प	60	डीसीपी अग्निशामक	100	बहुउद्देशीय हाथ नियंत्रित ब्रान्च

क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर
21	बचाव हुक	61	सीओटू अग्निशामक	101	नैप सैप टैंक
22	मनीला रस्सी	62	एएफएफएफ अग्निशामक यंत्र	102	वाटर सीओटू अग्निशामक यंत्र
23	नायलॉन की रस्सी	63	ट्रेलर पम्प	103	एबीसी अग्निशामक यंत्र
24	फावड़ा	64	उच्च क्षमता पोर्टेबल पम्प	104	वाटर मिष्ट अग्निशामन सिस्टम (ट्राली पर लगा हुआ अग्निशामक-50एल)
25	कुल्हाड़ी	65	स्मोक एक्जस्टर	105	आग बाल्टी (फायर बकेट)
26	हथौड़ा	66	एयर कंप्रेसर	106	इन-लाइन इंडक्टर
27	फावड़ा (बेलचा)	67	बैट्री चार्जर	107	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स
28	डोर ब्रेकर	68	हाईड्रोलिक दबाव परीक्षण मशीन	108	बीसीएफ अग्निशामक यंत्र
29	क्रो बार	69	जनरेटर	109	इलेक्ट्रिक सायरन
30	हैक सॉ	70	उठाने और खींचने की मशीन	110	हाईड्रेंट कनेक्टर 63 मिमी
31	ड्रैगन टार्च	71	फोम जनरेटर	111	कुंजी एवं बार
32	आपातकालीन टार्च	72	आईसी इंजन सर्कलर सॉ	112	बी0ए0 कंप्रेसर
33	इम्पलेटिव लाइटिंग टावर	73	लकड़ी की आरी	113	ट्राली
34	बड़ी कुल्हाड़ी	74	कंक्रीट आरा	114	बस
35	संरचना	75	कंक्रीट तोड़ने वाला	115	ट्रक
36	लाल कंबल	76	एयर कूल्ड पेट्रोल ड्रिवेन इलेक्ट्रॉनिक टाइप डायमण्ड चेन सॉ	116	सहायक उपकरण सहित कम्प्यूटर
37	सक्शन हौज (आकार-4)	77	हाई प्रेशर बी0ए0 कंप्रेसर पेट्रोल चालित	117	कॉम्बी टूल सेट बिद हाइड्रोलिक पम्प
38	सक्शन हौज (आकार-3)	78	हौज बांधने की मशीन	118	हाइड्रोलिक स्व निहित काम्बी उपकरण
39	सक्शन वॉशर (आकार-4)	79	अग्नि नौका (फायर बोट)	119	एयरलिफ्टिंग बैग (कैप-2-40 टन)
40	वॉशर (आकार-3)	80	फायर फाइटिंग हेलमेट	120	डिवाइडिंग ब्रीचिंग

(2) शहरी क्षेत्र अभिगमन केन्द्र पर उपस्करों की संभावित सूची:-

क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर
1	हाईड्रोलिक प्लेटफार्म	45	सक्शन एडाप्टर	89	फेस मास्क
2	टीटीएल/बान्टो	46	धातु छलनी (4'')	90	लाइफ बॉय जाकेट
3	वाटर बाउजर-12000	47	स्टैण्ड पाइप	91	धातु छलनी
4	फोम टेण्डर	48	हाईड्रेन्ट कैप	92	बकेट छलनी
5	इमरजेन्सी टेण्डर	49	कलेक्टिंग हेड एडाप्टर	93	डिलिवरी हौज 63 मिमी
6	एडवांस रेस्क्यू टेण्डर	50	हौज पिचिंग मशीन	94	डिलिवरी हौज कपलिंग 63 मिमी
7	फायर टेण्डर (4500 एवं 5000)	51	एक्सटेंशन सीढ़ी (35'')	95	डिलिवरी हौज वाशर 63 मिमी
8	फायर टेण्डर (2000 एवं 2500)	52	हुक सीढ़ी	96	सक्शन कपलिंग-4''
9	वन टनल वाटर मिस्ट विद हाई प्रेशर	53	घंटा (पीतल)	97	सक्शन कपलिंग आकार-3''
10	पंपिंग यूनिट के साथ बोलेरो कैम्पर	54	बैटरी चालित सायरन	98	मेल टू मेल एडाप्टर
11	जीप टोइंग वाहन	55	हूटर	99	फीमेल टू फीमेल एडाप्टर
12	टाटा सूमो/बोलेरो हल्का वाहन	56	हैंड सायरन	100	सिम्पल ब्रान्च
13	स्कार्पियो हल्का वाहन	57	फायर हुक	101	डिफ्यूजर ब्रान्च
14	टोइंग सह रेस्क्यू वैन एम्बुलेन्स	58	प्राक्सीमिटी सूट	102	जंबो कर्टेन ब्रान्च
15	लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेन्स	59	एल्यूमिनियम सूट	103	फॉग ब्रान्च
16	हाईड्रा क्रेन	60	एसबेस्टस सूट	104	रिवाल्विंग ब्रान्च
17	आपदा वैन (डिजास्टर वैन)	61	रबर के दस्ताने	105	फोम मेंकिंग ब्रान्च (अलग-अलग प्रकार)
18	हाई प्रेशर पी0टी0ओ0 वाटर मिस्ट फायर फाइटिंग बाइक विद हेलमेट	62	एसबेस्टस दस्ताने	106	बहुउद्देशीय हैंड कंट्रोल ब्रान्च
19	हेलमेट के साथ हाईप्रेशर बैकपैक मोटर	63	रासायनिक सूट	107	फोम कम्पाउन्ड (एएफएफएफ-3 प्रतिशत)
20	पोर्टेबल पंप	64	गैस टाइट सूट	108	फोम कम्पाउन्ड ए0आर0 एएफएफएफ-3 प्रतिशत
21	फ्लोट पंप	65	डीसीपी अभिशामक यंत्र	109	नैप सैप टैंक

क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर
22	ट्रेलर पम्प	66	सीओटू अग्निशामक यंत्र	110	डिवाइडिंग ब्रीचिंग
23	उच्च क्षमता पोर्टबल पंप	67	एएफएफए अग्निशामक यंत्र	111	क्लेक्टिंग ब्रीचिंग
24	बचाव हुक	68	वाटर सीओटू अग्निशामक यंत्र	112	वाटर मिस्ट फायर फाइटिंग सिस्टम (ट्राली माउंटेड अग्निशामक-50 एल)
25	मनीला रस्सी	69	एबीसी अग्निशामक यंत्र	113	आग बाल्टी (फायर बकेट)
26	नायलॉन की रस्सी	70	स्मोक एक्जस्टर	114	इन लाइन इंडक्टर
27	फावड़ा (फावड़ा)	71	एयर कंप्रेसर	115	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स
28	कुल्हाड़ी	72	बैट्री चार्जर	116	बीसीएफ अग्निशामक यंत्र
29	हथौड़ा	73	हाइड्रोलिक दबाव परीक्षण मशीन	117	इलेक्ट्रिक सायरन
30	फावड़ा (बेल्ला)	74	जनरेटर	118	हाइड्रेंट कनेक्टर-63 मिमी
31	डोर ब्रेकर	75	उठाने और खींचने की मशीन	119	कुंजी एवं बार
32	क्रो बार	76	फोम जनरेटर	120	बीए कम्प्रेसर
33	हैक सॉ	77	आईसी इंजन सर्कुलर सॉ	121	ट्राली
34	ड्रेगन टार्च	78	लकड़ी की आरी(सॉ)	122	बस
35	आपातकालीन टार्च	79	कंकरीट आरी(सॉ)	123	ट्रक
36	इन्फ्लेटिव लाइटिंग टावर	80	कंकरीट तोड़ने वाला	124	सहायक उपकरण सहित कम्प्यूटर
37	बड़ी कुल्हाड़ी	81	एयरकूल्ड पेट्रोल ड्रिवेन इलेक्ट्रानिक टाइप डायमण्ड चैन सॉ	125	काम्बी टूल सेट के साथ हाइड्रोलिक पम्प
38	संरचना (स्ट्रक्चर)	82	हाई प्रेशर बी0ए0 कम्प्रेसर पेट्रोल ड्रिवेन	126	हाइड्रोलिक स्व निहित कॉम्बी उपकरण
39	लाल कम्बल	83	हौज बांधने की मशीन	127	एयर लिफ्टिंग बैग (कैप-2-40 टन)
40	सक्शन हौज (4'')	84	अग्नि नौका(फायर बोट)	128	एफआर डांगरी
41	सक्शन हौज (3'')	85	फायर फाइटिंग हेलमेट	129	लाइफ बॉय रिंग
42	सक्शन वाशर (4'')	86	स्मोक एक्जस्टर पेट्रोल ड्रिवेन	130	हाइड्रेंट एडाप्टर
43	सक्शन वाशर (3'')	87	बोल्ट कटर		
44	सक्शन रिंच	88	डीएसयू के साथ बी0ए0 सेट		

(3) औद्योगिक क्षेत्र अग्निशमन केन्द्र पर उपस्करों की संभावित सूची:-

क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर
1	हाईड्रोलिक प्लेट फार्म	45	सक्शन एडाप्टर	89	फेस मास्क
2	टीटीएल/बान्टो	46	धातु छलनी (4'')	90	लाइफ बॉय जाकेट
3	वाटर बाउजर-12000	47	स्टैंड पाइप	91	लाइफ बॉय रिंग
4	फोम टेण्डर	48	हाईड्रेंट कैप	92	धातु छलनी
5	इमरजेन्सी टेण्डर	49	कलेक्टिंग हेड एडाप्टर	93	बकेट छलनी
6	एडवांस रेस्क्यू टेण्डर	50	हौज पिचिंग मशीन	94	डिलिवरी हौज 63 मिमी
7	फायर टेण्डर (4500 एवं 5000)	51	एक्सटेंशन सीढ़ी (35'')	95	डिलिवरी हौज कपलिंग 63 मिमी
8	फायर टेण्डर (2000 एवं 2500)	52	हुक सीढ़ी	96	डिलिवरी हौज वाशर 63 मिमी
9	वन टनल वाटर मिस्ट विद हाई प्रेशर	53	घंटा (पीतल)	97	सक्शन कपलिंग-4''
10	पंपिंग यूनिट के साथ बोलेरो कैम्पर	54	बैटरी चालित सायरन	98	सक्शन कपलिंग आकार-3''
11	जीप टोइंग वाहन	55	हूटर	99	मेल टू मेल एडाप्टर
12	टाटा सूमो/बोलेरो हल्का वाहन	56	हैंड सायरन	100	फीमेल टू फीमेल एडाप्टर
13	स्कार्पियो हल्का वाहन	57	फायर हुक	101	सिम्पल ब्रान्च
14	टोइंग सह रेस्क्यू वैन एम्बुलेन्स	58	प्राक्सीमिटी सूट	102	डिफ्यूजर ब्रान्च
15	लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेन्स	59	एल्यूमिनियम सूट	103	जंबो कर्टेन ब्रान्च
16	हाईड्रॉ क्रेन	60	एसबेस्टस सूट	104	फॉग ब्रान्च
17	आपदा वैन (डिजास्टर वैन)	61	रबर के दस्ताने	105	रिवाल्विंग ब्रान्च
18	हाई प्रेशर पी0टी0ओ0 वाटर मिस्ट फायर फाइटिंग बाइक विद हेलमेट	62	एसबेस्टस दस्ताने	106	फोम मेंकिंग ब्रान्च (अलग-अलग प्रकार)
19	हेलमेट के साथ हाईप्रेशर बैकपैक मोटर	63	रासायनिक सूट	107	बहुउद्देशीय हैंड कंट्रोल ब्रान्च
20	पोर्टेबल पंप	64	गैस टाइट सूट	108	फोम कम्पाउन्ड (एएफएफएफ-3 प्रतिशत)
21	पलोट पंप	65	डीसीपी अग्निशामक यंत्र	109	फोम कम्पाउन्ड ए0आर0 एएफएफएफ-3 प्रतिशत
22	ट्रेलर पम्प	66	सीओटू अग्निशामक यंत्र	110	नैप सैप टैंक

क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर	क्रम संख्या	उपस्कर
23	उच्च क्षमता पोर्टबल पंप	67	एफएफएफ अग्निशामक यंत्र	111	डिवाइडिंग ब्रीचिंग
24	बचाव हुक	68	वाटर सीओटू अग्निशामक यंत्र	112	कलेक्टिंग ब्रीचिंग
25	मनीला रस्सी	69	एबीसी अग्निशामक यंत्र	113	हाइड्रेन्ट एडाप्टर
26	नायलॉन की रस्सी	70	स्मोक एक्जस्टर	114	वाटर मिस्ट फायर फाइटिंग सिस्टम (ट्राली माउंटेड अग्निशामक-50 एल)
27	फावड़ा (फावड़ा)	71	एयर कंप्रेसर	115	आग बाल्टी (फायर बकेट)
28	कुल्हाड़ी	72	बैट्री चार्जर	116	इन लाइन इंडक्टर
29	हथौड़ा	73	हाइड्रोलिक दबाव परीक्षण मशीन	117	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स
30	फावड़ा (बेलचा)	74	जनरेटर	118	बीसीएफ अग्निशामक यंत्र
31	डोर ब्रेकर	75	उठाने और खींचने की मशीन	119	इलेक्ट्रिक सायरन
32	क्रो बार	76	फोम जनरेटर	120	हाइड्रेन्ट कनेक्टर-63 मिमी
33	हैक सॉ	77	आईसी इंजन सर्कुलर सॉ	121	कुंजी एवं बार
34	ड्रेगन टार्च	78	लकड़ी की आरी(सॉ)	122	बीए कम्प्रेसर
35	आपातकालीन टार्च	79	कंकरीट आरी(सॉ)	123	ट्राली
36	इनफ्लोटेव लाइटिंग टावर	80	कंकरीट तोड़ने वाला	124	बस
37	बड़ी कुल्हाड़ी	81	एयरकूल्ड पेट्रोल ड्रिवेन इलेक्ट्रानिक टाइप डायमण्ड चेन सॉ	125	ट्रक
38	संरचना (स्ट्रक्चर)	82	हाई प्रेशर बी0ए0 कम्प्रेसर पेट्रोल ड्रिवेन	126	सहायक उपकरण सहित कम्प्यूटर
39	लाल कम्बल	83	हौज बांधने की मशीन	127	काम्बी टूल सेट के साथ हाइड्रोलिक पम्प
40	सक्शन हौज (4'')	84	अग्नि नौका(फायर बोट)	128	हाइड्रोलिक स्व निहित कॉम्बी उपकरण
41	सक्शन हौज (3'')	85	फायर फाइटिंग हेलमेट	129	एयर लिफ्टिंग बैग (कैप-2-40 टन)
42	सक्शन वाशर (4'')	86	स्मोक एक्जस्टर पेट्रोल ड्रिवेन	130	एफआर डांगरी
43	सक्शन वाशर (3'')	87	बोल्ट कटर		
44	सक्शन रिंच	88	डीएसयू के साथ बी0ए0 सेट		

अनुसूची-तीन

(अग्निशमन सेवा में रैंक के बैज)

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा वर्दी विनियमावली-2023

रैंको के बैज, पीक कैप, कॉलर पैच और हेमेट मार्किंग

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाओं में विभिन्न पदों के लिए कैप, कॉलर पैच और हेमेट मार्किंग नीचे दी गयी सारणी के अनुसार होगी:-

क्रम संख्या	पद का नाम	रैंक के बैज	कॉलर पैच	शिखर टोपी	हेलमेट
1	महानिदेशक	क्रॉस तलवार और डंडा अशोक प्रतीक के साथ सेवा शीर्षक “आईपीएस” नीली डोरी के साथ सिल्वर रंग का	चांदी हार नीले ब्लेजर जैसा कपड़े के आधार पर डीजीपी के लिए पैच लागू होते हैं। कार ध्वज एवं सितारा जैसा कि पुलिस महानिदेशक के लिये लागू है	सिल्वर ओक की दो पंक्तियों के साथ पीक कैप पत्तियां और कढ़ाई वाला बैज और सिर के स्तर पर खाली के चारो ओर नीली पट्टी लगाई गई रंग पीक टोपी या नीले रंग की कढ़ाई वाली बरेट टोपी बिछा	सफेद हेलमेट साथ विभागीय नाम चिन्ह
2	निदेशक	क्रॉस तलवार और डंडा चांदी रंग का एक स्टार के साथ चार सेन्टीमीटर व्यास सेवा शीर्षक “यूपीएफएस”, नीली डोरी	नीली ब्लेजर कपड़े के आधार- पर आईजीपी के लिये लागू चांदी के हार का पैच यूपीएफएस का कार ध्वज एवं तारा जैसा कि आईजीपी के लिये लागू है	”	”
3	अपर निदेशक	अशोक प्रतीक और चांदी रंग के तीन सितारे चार सेन्टीमीटर व्यास एक रूप में सेवा शीर्षकों के साथ शीर्ष ऊपर की ओर समबाहू त्रिभुज “यूपीएफएस, नीली डोरी डीआईजीपी	नीले ब्लेजर कपड़े के आधार पर डीआईजीपी के लिये चांदी के हार पैच लागू यूपीएफएस का कार ध्वज एवं तारा जैसा कि डीआईजीपी के लिये लागू है	नीले रंग का ब्लेजर चारो ओर कपड़े की पट्टी खाकी रंग की कढ़ाईदार बैज वाली पीक टोपी या नीली बरेट टोपी, जो लागू हो, डीआईजीपी पर	”
4	संयुक्त निदेशक	अशोक प्रतीक और चांदी रंग के दो सितारे सेवा शीर्षकों के साथ चार सेन्टीमीटर व्यास “यूपीएफएस”, नीली डोरी	चांदी हार नीले ब्लेजर जैसा कपड़े के आधार पर एसएसपी के लिए लागू पैच	नीले रंग की बरेट टोपी या खाकी रंग की पीक कशीदाकारी बैज के साथ टोपी	”
5	उप निदेशक	अशोक प्रतीक और सेवा शीर्षक “यूपीएफएस”, नीली डोरी के साथ चांदी के रंग का एक सितारा	लागू नहीं	”	”
6	मुख्य अग्निशमन अधिकारी(ज्येष्ठ वेतनमान)	अशोक का प्रतीक चांदी के रंग के साथ सेवा शीर्षक “यूपीएफएस”, नीली डोरी	लागू नहीं	नीले रंग की बरेट टोपी या खाकी रंग की पीक चांदी वाली टोपी रंग धातु बिछा	”
7	मुख्य अग्निशमन	चांदी रंग का तीन सितारा	लागू नहीं	नीले रंग की बरेट	”

क्रम संख्या	पद का नाम	रैंक के बैज	कॉलर पैच	शिखर टोपी	हेलमेट
	अधिकारी	चार सेन्टीमीटर व्यास सेवा शीर्षकों के साथ “यूपीएफएस”, नीली डोरी		टोपी या खाकी रंग की पीक चांदी वाली टोपी रंग धातु बिछा	
8	मुख्य अग्निशमन अधिकारी (दौरान परीक्षा)	चांदी रंग का एक सितारा चार सेन्टीमीटर व्यास सेवा शीर्षकों के साथ “यूपीएफएस”, नीली डोरी	लागू नहीं	नीले रंग की बरेट टोपी या खाकी रंग की पीक चांदी वाली टोपी रंग धातु बिछा	”
9	अग्निशमन अधिकारी या समकक्ष	सुनहरे रंग का तीन सितारा सेवा शीर्षक “यूपीएफएस” खाकी डोरी के साथ लाल और नीले रिबन के साथ चार सेन्टीमीटर व्यास	लागू नहीं	सांवला साया खाकी रंग पीक कैप के साथ सुनहरे रंग का धातु बैज	पीली हेलमेट के साथ विभागीय नाम चिन्ह
10	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी या समकक्ष	चार सेन्टीमीटर व्यास के सुनहरे रंग के दो सितारे लाल और नीले रंग के साथ सेवा शीर्षकों वाला रिबन “यूपीएफएस” खाकी डोरी	लागू नहीं	”	”
11	लीडिंग फायरमैन/अग्निशमन सेवा चालक या समकक्ष (लीडिंग फायरमैन/अग्निशमन सेवा चालक या समकक्ष के पद पर 07 वर्षों की सेवा के पश्चात)	लाल और नीले रंग के साथ चार सेन्टीमीटर व्यास का सुनहरे रंग का एक सितारा सेवा के साथ रिबन शीर्षक “यूपीएफएस” खाकी डोरी	लागू नहीं	सुनहरे रंग के धातु बैज के साथ खाकी रंग की बरेट टोपी	”
12	लीडिंग फायरमैन अग्निशमक सेवा चालक या समकक्ष	सेवा शीर्षक “यूपीएफएस” के साथ दाहिनी आस्तीन पर तीन सफेद बिन्दु नीचे पट्टियां, खाकी डोरी	लागू नहीं	”	”
13	फायरमैन/फायरमैन ऑपरेटर	सेवा खिताब “यूपीएफएस” खाकी डोरी	लागू नहीं	”	”

1. कार ध्वज और स्टार प्लेट:-

- (1) महानिदेशक और निदेशक द्वारा उपयोग की जाने वाली स्टाफ कार के बोनट पर एक झंडा लगा होना चाहिए क्रमशः डीजीपी और एडीजीपी पर लागू स्टाफ कार के आगे और पीछे के बम्पर पर लाल नीले ब्लेजर कपड़े और स्टार प्लेट से बना है।
- (2) अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक द्वारा उपयोग की जाने वाली स्टाफ कार के बोनट पर लाल नीले ब्लेजर कपड़े से बना एक झंडा और स्टाफ कार के आगे और पीछे के बम्पर पर क्रमशः आईजीपी और डीआईजीपी पर लागू स्टार प्लेट प्रदर्शित होनी चाहिए।

अनुसूची-चार

अग्नि और/या आपातकालीन पुकार पर प्रतिक्रिया की कार्यवाही

अग्निशमन केन्द्र से टर्नआउट इस प्रकार होगा:-

क्रम संख्या	आपात की प्रकृति	पहली प्रतिक्रिया के लिये न्यूनतम इकाइयां	साइट प्रभारी
1	बचाव पुकार- मानव के अलावा अन्य प्राणी	बचाव निविदा/बचाव वाहन	लीडिंग फायरमैन
2	बचाव पुकार- मानव	बचाव निविदा/बचाव वाहन	प्रभारी अग्निशमन केन्द्र
3	सड़क दुर्घटना जिसमें मानव क्षति सम्मिलित हो	बचाव निविदा/बचाव वाहन फायर टेण्डर	प्रभारी अग्निशमन केन्द्र
4	बम विस्फोट	बचाव निविदा/बचाव वाहन फायर टेण्डर-02 नग	<ul style="list-style-type: none"> प्रभारी अग्निशमन केन्द्र प्रभारी उप अग्नि जिले एवं अग्नि जिला संयुक्त निदेशक, अग्नि क्षेत्र
5	आतंकवादी हमला	बचाव निविदा/बचाव वाहन फायर टेण्डर-02 नग	<ul style="list-style-type: none"> प्रभारी अग्निशमन केन्द्र प्रभारी उप अग्नि जिले एवं अग्नि जिले संयुक्त निदेशक, अग्नि क्षेत्र
6	हवाई दुर्घटना/यात्री ट्रेन दुर्घटना	बचाव निविदा/बचाव वाहन फायर टेण्डर-02 नग	<ul style="list-style-type: none"> प्रभारी अग्निशमन केन्द्र प्रभारी उप अग्नि जिले एवं अग्नि जिले संयुक्त निदेशक, अग्नि क्षेत्र
7	उच्च जोखिम भवन में अग्नि (ऊंची इमारतें, स्कूल, अस्पताल और सभी सरकारी भवन)	बचाव निविदा/बचाव वाहन फायर टेण्डर-02 नग	<ul style="list-style-type: none"> प्रभारी अग्निशमन केन्द्र प्रभारी उप अग्नि जिले एवं अग्नि जिले
8	छोटी-छोटी अग्नि की घटनाएं	फायर टेण्डर	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी/लीडिंग फायरमैन
9	मध्यम अग्नि घटनाएं	फायर टेण्डर-2 नग	प्रभारी अग्निशमन केन्द्र
10	प्रमुख अग्निकाण्ड	बचाव निविदा/बचाव वाहन फायर टेण्डर-02 पानी का बाउजर फोम टेण्डर	<ul style="list-style-type: none"> प्रभारी अग्निशमन केन्द्र प्रभारी उप अग्नि जिले एवं अग्नि जिले संयुक्त निदेशक, अग्नि क्षेत्र
11	जहरीली गैस का रिसाव घनी आबादी वाले प्रमुख क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है	बचाव निविदा/बचाव वाहन फायर टेण्डर पानी का बाउजर फोम टेण्डर	<ul style="list-style-type: none"> प्रभारी अग्निशमन केन्द्र प्रभारी उप अग्नि जिले एवं अग्नि जिले संयुक्त निदेशक, अग्नि क्षेत्र
12	कोई भी गम्भीर अग्नि/बचाव/ आपातकालीन स्थिति(जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जीवन और/ या बड़ी संपत्ति हानि और/ या गम्भीर पर्यावरण हानि को प्रभावित कर सकती है)	बचाव निविदा/बचाव वाहन फायर टेण्डर पानी का बाउजर फोम टेण्डर	<ul style="list-style-type: none"> प्रभारी उप अग्नि जिले एवं अग्नि जिले संयुक्त निदेशक, अग्नि क्षेत्र अपर निदेशक

अनुसूची-पाँच

नियम-79,93 देखें

अग्निशमन तथा आपात सेवा संसाधनों को उपलब्ध कराने/किराए पर लेने के लिए प्रभार

- 1- गैर आवासीय भवनों द्वारा संदेय प्रभार: नियम-35(3) में उल्लिखित भवनों/प्रतिष्ठानों से आपातकालीन स्थिति में अग्नि और आपातकालीन संसाधनों की तैनाती और/ या स्टैंडबाय ड्यूटी के सापेक्ष नीचे दी गयी सारणी के अनुसार प्रभार लिया जायेगा:

सारणी-1

क्रम संख्या	अग्निशमन का प्रकार उपकरण चालक दल के साथ	तैनाती प्रति बुलावा प्रभार (रूपये)	माइलेज प्रभार (रूपये प्रति किमी)	पम्पिंग/ऑपरेशन प्रति घड़ी घंटा	अन्य प्रभार (रूपये)
1	वाटर टेण्डर/वाटर बाउजर/फोम टेण्डर सूखा रासायनिक पाउडर टेण्डर	5000/-	100/-	1000/-	एक- 300/- प्रति लीटर फोम कन्सेन्ट्रेट खपत किया हुआ दो- 300/- प्रति किलोग्राम डीसीपी खपत न्यूनतम 25000/- रूपये के अधीन तीन- 500/- प्रति बीए सेट प्रयुक्त
2	हवाई सीढ़ी/ प्लेट फार्म/ हजामत वैन/बचाव निविदा/ बचाव प्रत्युत्तर	10000/-	250/-		
3	मोटर पम्प	2000/-	25/-	500/-	
4	बैक पैक के साथ मोटरसाइकिल	2000/-	-	-	
5	अन्य संसाधन				महानिदेशक द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित

2- उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाओं द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों से संसाधन किराए पर लेने का प्रभार:-

निम्नलिखित प्रभार उस स्थानीय प्राधिकारी का देय होंगे जिनसे संसाधन लिए गये हैं:-

क्रम संख्या	किराये पर लिए जाने वाले संसाधन का नाम	प्रभार(रु0)	टिप्पणी
1	अग्नि बुझाने के लिए पानी	10/केएल	पानी पोर्टेबल पम्प से खींचा जायेगा/सीधे फायर टेण्डर में भरा जायेगा इत्यादि
2	फायर टेण्डर या अन्य अग्नि/बचाव उपकरण	उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा ली गयी दरें अनुसूची-पाँच की सारणी-1 के अनुसार सेवा	
3	खाली टैंकर/ट्रक/अन्य वाहन आदि	स्थानीय आरटीओ द्वारा निर्धारित लागू दरें	
4	श्रमशक्ति	मनरेगा कार्यक्रम में निर्धारित दरें	
5	अग्निशमन रसायन/अग्निशामक यंत्र आदि	बाजार दर के अनुसार (जेम पोर्टल दर लागू होगी)	

अनुसूची-छह

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए निरीक्षण, समीक्षा और जारी करने वाला प्राधिकारी

क्रम संख्या	भवन का प्रकार-प्रथम	निरीक्षण प्राधिकारी	समीक्षा प्राधिकारी	एनओसी जारीकर्ता प्राधिकारी	टिप्पणी
एक- आवासीय भवन (ए)					
क	आवास एवं आवास गृह (ए-1) अग्निशमन केन्द्र की ऊँचाई 15 मीटर से कम	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
ख	1 या 2 परिवारों के लिए निजी घर	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
ग	छात्रावास [ए-3 और अपार्टमेंट (ए-4)]				
1	15 मीटर से कम ऊँचाई या 4 मंजिल तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
2	ऊँचाई 15 मीटर से 60 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
3	ऊँचाई 60 मीटर से 100 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि सह जिला/प्रभारी अग्निशमन जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
4	100 मीटर से अधिक ऊँचाई	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि जिला/प्रभारी अग्निशमन श्रेणी	निदेशक	
घ	होटल (ए-5)				
1	30 मीटर तक ऊँचाई	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
2	30 मीटर से अधिक ऊँचाई 60 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
3	ऊँचाई 60 मीटर से अधिक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि जिला/प्रभारी अग्निशमन श्रेणी	निदेशक	
ङ	होटल (ए-6)	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
दो- शैक्षणिक भवन (बी)					
1	24 मीटर ऊँचाई तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
2	ऊँचाई 24 मीटर से 30 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
तीन- संस्थागत भवन (सी)					
(ए) अस्पताल, नर्सिंग होम आदि (सी-1)					
1	30 मीटर ऊँचाई तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	

2	ऊँचाई 30 मीटर से 45 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला /प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
(बी) अभिरक्षा (सी-2) दण्डात्मक अत्येष्टि (सी-3)					
	30 मीटर ऊँचाई तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
चार एसेम्बली भवन (डी)					
(ए) भवन (डी-1 से डी-5)					
1	24 मीटर ऊँचाई तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
2	ऊँचाई 24 मीटर से 30 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
(बी)	डी-6	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि जिला/प्रभारी अग्निशमन श्रेणी	निदेशक	
(सी)	डी-7	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि जिला/प्रभारी अग्निशमन श्रेणी	निदेशक	
पांच- बिजनेस बिल्डिंग (ई)					
1	अग्निशमन केन्द्र में 15 मीटर से कम ऊँचाई या जी+3 मंजिल तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
2	ऊँचाई 15 मीटर से 30 मीटर तक या जी+4 और उससे ऊपर	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
3	ऊँचाई 30 मीटर से अधिक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
छह- मर्केन्टाइल बिल्डिंग (एफ)					
1	अग्निशमन केन्द्र में 15 मीटर से कम या जी+3 तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
2	ऊँचाई 15 मीटर से 30 मीटर तक या जी+4 और उससे ऊपर	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
3	अण्डर ग्राउण्ड शापिंग कॉम्प्लेक्स	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
सात- इण्डस्ट्रियल बिल्डिंग (जी)					
(ए) कम जोखिम (जी-1)		18 मीटर से ऊपर की इमारतों की अनुमति नहीं है-			
1	ऊँचाई 15 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
2	ऊँचाई 15 मीटर से अधिक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	

(बी)	मध्यम जोखिम (जी-2)	18 मीटर से ऊपर की इमारतों की अनुमति नहीं है-			
1	ऊँचाई 15 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
2	ऊँचाई 15 मीटर से अधिक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
(सी)	उच्च जोखिम (जी-3)	15 मीटर से ऊपर की इमारतों की अनुमति नहीं है-			
1	ऊँचाई 7 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
2	ऊँचाई 7 मीटर से अधिक 10 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
3	ऊँचाई 10 मीटर से अधिक 15 मीटर तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि जिला/प्रभारी अग्निशमन श्रेणी	निदेशक	
आठ- स्टोरेज बिल्डिंग (एच)- ग्रुप एच-अधिभोग के लिए 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली इमारतों की अनुमति नहीं है और 45 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली इमारतों को मल्टी लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) अधिभोग के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी					
1	जी+1 मंजिल तक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
2	जी-1 से अधिक	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
3	मल्टीलेवल कार पार्किंग	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	
नौ- खतरनाक भण्डारण भवन (जे)- ग्रुप जे अधिभोग के लिये 15 मीटर से ऊँची इमारतों की अनुमति नहीं है और 45 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली इमारतों को मल्टी लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) अधिभोग के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी					
1	सिंगल स्टोरी बिल्डिंग	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला	प्रभारी अग्नि जिला	
2	एक से अधिक मंजिल लेकिन ऊँचाई 15 मीटर से कम	अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	प्रभारी अग्नि उप जिला/ प्रभारी अग्नि जिला	प्रभारी अग्नि परिक्षेत्र	

नोट:- अनुमोदन प्राधिकारी के पास भवन/परिसर में अग्नि सुरक्षा प्रणालियों का अनुपालन न करने पर किसी भी माध्यम से नोटिस पर जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार होगा।

अनुसूची-सात

अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति हेतु भवनों का वर्गीकरण

नीचे दिये गये अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को नीचे सूचीबद्ध विभिन्न श्रेणी के भवनों के लिए नियुक्त किया जायेगा-

भवन की श्रेणी	भवन	अग्नि सुरक्षा अधिकारी
एक	1- 500 व्यक्ति से अधिक बैठने की क्षमता वाले सिनेमा घर/हॉल 2- व्यवसायिक काम्प्लेक्स वाले सभी सिनेमा घर/हॉल 1000 वर्ग मीटर से अधिक कवर किया गया क्षेत्र। 3- एक स्क्रीन से अधिक वाले सभी सिनेमा घर/हॉल/मल्टीप्लेक्स 10000 वर्गमीटर से अधिक के कुल निर्माण क्षेत्र के साथ बेसमेन्ट सहित भूमिगत शॉपिंग काम्प्लेक्स, जिला केन्द्र, उप केन्द्रीय व्यापार जिले। 4- बड़े तेल और प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठान जैसे-रिफाइनरियां, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और इसी तरह की अन्य सुविधाएं 5- 25000 व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले खुले स्टेडियम और 5000 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले इनडोर स्टेडियम। 6- सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक, निजी भवनों आदि जैसे बड़े सतह और उप सतह रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या मास-रैपिड ट्रांजिट स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल, हवाई अड्डे, मनोरंजन पार्क और अन्य समान भवन।	24 घण्टे अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सहायक कर्मचारियों के साथ अग्नि सुरक्षा अधिकारी।
दो	1- 100 या अधिक कमरों वाले होटल/गेस्ट हाउस/धर्मशाला आदि; होटल/गेस्ट हाउस/धर्मशाला आदि 4 सितारा और उससे ऊपर के होटल श्रेणी। 2- 24 मीटर और उससे ऊंची बहुमंजिला गैर आवासीय इमारतें। 3- 45 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के आवासीय भवन। 4- 500 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, नर्सिंग होम, 15 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई का संस्थागत भवन 5000 वर्गमीटर से अधिक कुल कवर क्षेत्र का संस्थागत भवन। 5- 15 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई का शैक्षिक भवन, 10000 वर्गमीटर से अधिक कुल कवर क्षेत्र वाला संस्थागत भवन, 2500 से अधिक छात्रों के पंजीकरण वाला शैक्षणिक भवन। 6- 24 मीटर से अधिक ऊंचाई के व्यापारिक/व्यावसायिक भवन, 10000 वर्ग मीटर से ऊपर कुल कवर क्षेत्र वाला व्यापारिक/व्यावसायिक भवन। 7- कुल कवर क्षेत्र 10000 वर्गमीटर और उससे अधिक के भण्डारण अधिभोग भवन। 8- 15 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के सभी असेम्बली भवन; असेम्बली भवन जिसका कुल आच्छादित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक है। 9- कुल कवर क्षेत्र 2500 वर्गमीटर या अधिक ऊंचाई वाले खतरनाक भवन। 10- 10000 वर्गमीटर से अधिक कुल कवर क्षेत्र के कम जोखिम वाले उद्योग; 5000 वर्गमीटर से अधिक कुल कवर किये गये क्षेत्र के मध्यम खतरनाक उद्योग, 1000 वर्गमीटर से अधिक कुल कवर किये गये क्षेत्र के उच्च जोखिम वाले उद्योग।	24 घण्टे अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सहायक कर्मचारियों के साथ अग्नि सुरक्षा अधिकारी।

प्रपत्र-क-1**पानी की मांग और अन्य संसाधनों को पूरा करने के लिये समझौता**

संख्या:

दिनांक:-

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 की धारा-19 एवं तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अधीन, मैं.....(नियम में परिभाषित नामित अग्निशमन अधिकारी)..... संसाधनों को उधार लेने के लिए आपके साथ एक समझौता करना चाहता हूँ (अध्यासी / स्वामी का नाम) (परिसर / भवन) आपातकालीन स्थिति के समय किसी भी अग्निशमन अधिकारी / प्रभारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रैंक से नीचे न हो, के द्वारा मेरी या मेरी ओर से संदेश प्राप्त होने के 30 मिनट के भीतर, नियमों में परिभाषित दरों पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक है।

क-

ख-

ग-

घ-

ङ-

स्थान:

(प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)

दिनांक:

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

घोषणा

मैं..... (स्वामी / अध्यासी परिसर / भवन)..... आपके और आपकी ओर से अन्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उल्लिखित संसाधन उपलब्ध कराने के लिये अपनी सहमति देता हूँ।

मैं.....(परिसर/भवन का स्वामी/अध्यासी).....नियम के अधीन विहित प्रभारों या निःशुल्क आधार पर आपके और आपकी ओर से अन्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा जब भी आवश्यकता हो उल्लिखित संसाधन उपलब्ध कराने की सहमति देता हूँ।

स्थान:

स्वामी / अध्यासी का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक:

प्रपत्र-क-2**संसाधनों को अपने कब्जे में लेने हेतु नोटिस**

संख्या:.....

दिनांकित:.....

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 की धारा-19 तथा तद्वर्धित बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अधीन, मैं.....(नियमावली में यथा परिभाषित अभिहित अग्निशमन अधिकारी)..... एतद्वारा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये, आपके कब्जे में (अधिष्ठाता/ स्वामी का नाम) (परिसर / भवन) को (दिनांक)..... को..... समय पर संसाधनों का अधिग्रहण किया जाता है।

क-

ख-

ग-

घ-

ङ-

स्थान:

(प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

दिनांक:

प्रपत्र-क-3**प्रवेश एवं निरीक्षण हेतु नोटिस**

सूचना संख्या:

सेवा में,

.....

.....

मैंउत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16, 2022) तथा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के नियम-17 के उप-नियम (1) के अधीन सशक्त हूँ, और एतद्वारा आपको नोटिस देता हूँ कि इस नोटिस की प्राप्ति के समय से अन्यून तीन घण्टे की समाप्ति पर, इस दिनांक को, मैं अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता और उल्लंघन का पता लगाने के उद्देश्य से आपके नम्बर वाले भवन / परिसर में प्रवेश करूँगा और निरीक्षण करूँगा। जैसा कि उक्त अधिनियम द्वारा प्रदान किया जाना या के उपबंधों के अधीन आवश्यक है।

चूँकि आप इस भवन / परिसर में हैं, एतद्वारा मैं आपको यह नोटिस देता हूँ कि आप पूर्वोक्त प्रवेश और निरीक्षण से पहले वहां से हटने के लिये स्वतंत्र हैं और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप अभी हट सकते हैं।

हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी का नाम और पदनाम

स्थान:

दिनांक:

प्रपत्र-क-4

अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए लाइसेंस प्राप्त योग्य तृतीय पक्षकार अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने निम्नलिखित भवन या परिसर में अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए स्थापना / रख-रखाव / कार्य निष्पादित किया है और आवश्यक अन्य संबंधित गतिविधियां निष्पादित की है, जैसा कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2022) के उपबंधों के अधीन आवश्यक है।

भवन या परिसर का विवरण और अवस्थिति

क्र० सं०	जॉब/कार्य का नाम	मात्रा/संख्या/ विवरण आदि	बी आई एस / एन बी सी / एन एफ पी ए / उप विधि / आदि का अनुपालन (जी एस टी बिल सहित, विनिर्माता से प्राप्त प्रमाणीकरण, क्रम संख्या, आपूर्ति का प्रमाण संलग्न करें)
1	भवन निर्माण हेतु संरचनात्मक सुरक्षा उपाय- (क) भवन का पहुंच (ख) संख्या, चौड़ाई, निकास के प्रकार और व्यवस्था (ग) अग्नि जांच दरवाजे और या दबाव के माध्यम से निकास की सुरक्षा। (घ) अन्य		
2	निष्क्रिय अग्नि संरक्षण प्रणाली- (क) कम्पार्टमेन्ट (ख) धुँआ प्रबंधन प्रणाली (ग) शरणार्थी क्षेत्र (घ) अन्य.....		
3	सक्रिय अग्नि संरक्षण प्रणाली- (क) अग्निशामक दमकल (ख) प्राथमिक उपचार नली रील (ग) स्वाचालित अग्नि का पता लगाने और अलार्मिंग प्रणाली (घ) सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली (ङ) स्वाचालित स्प्रिंकलर प्रणाली (च) आंतरिक हाईड्रेंट और यार्ड हाईड्रेंट (छ) पंपिंग व्यवस्था (ज) आग बुझाने के लिए कैप्टिव जल भण्डारण (झ) निकास साइनेज (ञ) मैनुअल रूप से संचालित इलेक्ट्रानिक अग्नि अलार्म सिस्टम (एम ओ ई एफ ए)		
4	जोखिम के संरक्षण के लिए विशेष अग्नि संरक्षण प्रणाली		
5	लिफ्टों का प्रावधान		
6	स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति		
7	अग्निशमन नियंत्रण कक्ष		
8	विद्युत सुरक्षा लेखा- परीक्षा अनुपालन		
9	अग्निशमन सुरक्षा अधिकारी नियुक्त (विवरण)		
10	अन्य प्रावधान.....		

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त कार्य और संबंधित क्रियाकलाप, जिन्हें मैंने / हमने निष्पादित किया है, अधिनियम की धारा 26 के अनुरूप है। अग्नि सुरक्षा और जीवन सुरक्षा कार्य (ऊपर उल्लिखित) के अनुपालन में कोई विचलन नहीं लिया गया है।
उपरोक्त उल्लिखित प्रणाली / उपकरणों का अनुरक्षण मेरे / हमारे द्वारा
..... को किया जायेगा।

स्थान:

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक:

अर्हित लाइसेंसधारी तृतीय पक्षकार का नाम

अभिकरण

दिनांक

लाइसेंस संख्या:

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने भवन स्थापना में अग्नि संरक्षण और जीवन सुरक्षा उपायों और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में अनुपालन के लिए स्थापना / रख-रखाव / कार्य..... की कड़ी निगरानी में और उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (अधिनियम संख्या 16 सन् 2022) के अधीन यथा अपेक्षित अर्हित लाइसेंसधारी तृतीय पक्षकार अभिकरण प्राप्त लाइसेंस संख्या.....के माध्यम से पूरा कर लिया है।

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार स्थापित समस्त अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय सर्वोत्तम परिचालन स्थिति में हैं।

उपरोक्त स्थापित अग्नि सुरक्षा और / या जीवन सुरक्षा प्रणाली / उपकरणों का रख-रखाव मेरे / हमारे द्वारा किया जायेगा / अर्हित तृतीय पक्षकार अभिकरण जिसके पास लाइसेंस संख्या दिनांक से दिनांकतक है।

स्थान	मुहर एवं हस्ताक्षर
दिनांक	प्रतिष्ठान के स्वामी / अधिष्ठाता का नाम

प्रपत्र-क-5**अर्हित तृतीय पक्षकार अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन**

सेवा में,

महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

विषय:- अर्हित लाइसेंसधारी तृतीय पक्षकार अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन।

एतद्वारा अधोहस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किसी भी स्थान, भवन या उसके भाग में उपकरणों की स्थापना और रख-रखाव और अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों को प्रदान करने का कार्य करने और निष्पादन करने के लिए एक अर्हित लाइसेंसधारी तृतीय पक्षकार अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए आवेदन करता है।

अभिकरण से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	क्या अर्हित तृतीय पक्षकार अभिकरण एक मालिकाना संस्था होगी या कोई फर्म या कम्पनी आदि जैसे व्यक्तियों का संघ होगी	
3	फर्म या कम्पनी का (रजिस्ट्रीकरण संख्या) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, एसोसिएशन का लेख या अन्य सुसंगत दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करें।	
4	पता	
5	यदि अर्हित तृतीय पक्षकार अभिकरण (क) संबंधित व्यक्ति का स्वायत्त, उसी संचालन करने वाले व्यक्ति का नाम, अर्हताएँ और पता (ख) फर्म या कम्पनी, यथा स्थिति प्रत्येक भागीदार या उसके निदेशकों के नाम, अर्हताएँ और पता होगी।	
6	कार्यालय पता जहाँ से एजेंसी एक लाइसेंसधारी अभिकरण के रूप में कार्य करेगी।	
7	नियमावली की सारणी ई-1 में यथा विहित वर्षों की संख्या में अर्हित लाइसेंसधारी तृतीय पक्षकार अभिकरण का आवर्त (टर्नओवर) प्रत्येक वर्ष के लिए तुलन-पत्र की संपरीक्षित प्रमाणित प्रति प्रदान की जायेगी।	
8	वर्ग जिसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है।	
9	प्रमोटर या साझेदारों या निदेशकों की तकनीकी अर्हताएँ और आवेदक के या उसके साथ काम करने वाले तकनीकी अधिकारियों या कर्मचारियों का अनुभव।	
10	प्रमोटर या साझेदारों या निदेशकों का और आवेदक के साथ काम करने वाले तकनीकी अधिकारियों या कर्मचारियों का अनुभव।	
11	चाहे वह किसी अन्य राज्य में किसी अन्य विभाग या संगठन में सूचीबद्ध हो। यदि हाँ तो किस श्रेणी में। (क) क्या आवेदक या उसके साझेदारों या निदेशकों को पहले किसी सरकारी विभाग / संगठन / अन्य राज्य द्वारा काली सूची में डाला गया है? (ख) क्या आवेदक ने कहीं और अपने नाम पर या साझेदार, निदेशक या फर्म या कम्पनी के नाम पर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है? यदि हाँ, तो क्या आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है? विवरण दीजिये।	
12	अग्नि सुरक्षा और जीवन सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना और रख-रखाव के लिए अर्हित लाइसेंसधारी तृतीय पक्षकार अभिकरण का पूर्व अनुभव कार्य आदेश और उसके पूरा होने के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।	
13	इसके साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या व दिनांक.....द्वारा प्रेषितरु0-.....का शुल्क.....बैंक पर आहरित किया हो।	
14	यदि आवेदन विद्यमान लाइसेंस के नवीकरण के लिए है, तो लाइसेंस के संबंध में विवरण और इसकी विधिमान्यता की अवधि। (लाइसेंस की प्रति संलग्न है)	
15	क्या, पहले कभी दिया गया लाइसेंसधारी अभिकरण के रूप में कार्य करने का लाइसेंस निलम्बित या रद्द कर दिया गया है; और यदि हाँ, तो उसके कारण	

टिप्पणी: नियमावली की सारणी ई-1 निर्दिष्ट।

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि मैं / हम विभाग में एक से अधिक नाम से ठेकेदार के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं और न ही कराएंगे।

धन्यवाद

भवदीय,

प्रपत्र-क-6**अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों के लिए अर्हित लाइसेंसधारी तृतीय पक्षकार अभिकरण के रूप में कार्य करने का लाइसेंस**

लाइसेंस संख्या-

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 2022) की धारा 26 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन मेसर्स / श्री / श्रीमती..... को लाइसेंस जिनका पंजीकृत कार्यालय है प्रदान/नवीनीकृत किया जाता है। के प्रयोजनों के लिए लाइसेंस प्राप्त योग्य अभिकरण के रूप में कार्य करना उक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश के किसी भी भाग में स्थित श्रेणी क/ख/ग/घ/ङ प्रतिष्ठानों की अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा की स्थापना / रख-रखाव के कार्य के निष्पादन के लिए है।

अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) के उपबंधों के / अध्यक्षीन, लाइसेंस..... सेतक की अवधि के लिए मान्य होगा।

स्थान :

जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु

दिनांक :

प्रपत्र-क-7**लाइसेंस निलम्बित या रद्द करने के लिए अर्हित लाइसेंसधारी तृतीय पक्षकार अभिकरण को नोटिस**

को,

.....

.....

चूँकि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2022) के प्रयोजनों के लिए एक अर्हित लाइसेंसधारी तृतीय पक्षकार अभिकरण के रूप में कार्य करने का लाइसेंस संख्या..... के नाम का दिनांक..... को लाइसेंस प्रदान / नवीनीकरण किया गया है। और इस प्रकार प्रदान किया गया / नवीनीकृत लाइसेंस उक्त अधिनियम की धारा 26 के उपबंधों और उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024 के नियम 43, 46, 47 और 53 में विनिर्दिष्ट लाइसेंस की शर्तों के अध्वधीन था, और चूँकि यह देखा गया है कि आप निम्नलिखित कृत्यों के दोषी हैं, अर्थात:-

1-

2-

3-

4-

5-

6-

इस लिए, अब उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप धारा (5) द्वारा मुझ पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा आपसे इस नोटिस की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में कारण बताने के लिए कहता हूँ की आपके पक्ष में इस प्रकार प्रदान / नवीनीकरण किया गया लाइसेंस क्यों नहीं निलम्बित या रद्द किया जाना चाहिए या दण्डात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जायेगी।

स्थान :

(जारीकर्ता / प्राधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)

दिनांक :

महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु

प्रपत्र-क-8**अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा के अनुपालन के लिए स्वामी / अध्यासी की द्वि-वार्षिक घोषणा****घोषणा**

- 1-हमे अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अन्तिम / नवीकरण संख्या प्रदान की जाती है। संख्या..... दिनांक पते पर स्थित हमारे / मेरे प्रतिष्ठान के के लिए अधिभोग श्रेणी..... के अधीन तक विधि मान्यता है।
- 2-हमने / मैंने लाइसेंस संख्या..... वाली योग्य तृतीय पक्ष अभिकरण के माध्यम से जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र द्वारा यथा अनुमोदित सभी अग्नि / रोकथाम जीवन सुरक्षा उपायों की स्थापना कर लिया है।
- 3-मैं / हम लाइसेंस संख्या..... दिनांक..... से प्रभावी वाली योग्य तृतीय पक्ष अभिकरण के माध्यम से प्रचलित मानदण्डों के अनुसार पूरी तरह से कार्य करने की स्थिति में जारी किये गये अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र द्वारा यथा अनुदेशित सभी अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों को रख रहे हैं।
- 4-मैंने / हमनेप्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक..... तक विद्युत सुरक्षा आडिट करवाया है,
ऊपर उल्लिखित मेरा / हमारा परिसर..... मान्य है।
- 5-मेरे / हमारे परिसर में स्थापित लिफ्ट / लिफ्टों की संख्या..... है। लिफ्टों की सुरक्षा आडिट मेसर्स..... द्वारा प्रमाण-पत्र संख्या..... के माध्यम से कराया गया है जो दिनांक तक विधिमान्य है।
- 6-मैंने / हमने उल्लिखित परिसर के लिए अग्नि सुरक्षा अधिकारी के रूप में श्री को नियुक्त किया है।
- मैं / हम घोषणा करते हैं कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2022) के उपबंधों के अधीन मेरे / हमारे भवनों के लिए सभी शर्तों का संकलन कर लिया गया है।

प्रमाणीकरण

मैं / हम आगे प्रमाणित करते हैं कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (अधिनियम संख्या 16 सन् 2022) के उपबंधों के अधीन उपरोक्त उल्लिखित भवनों / परिसरों स्थापना..... अवधि के दौरान अच्छी मरम्मत और कुशल परिस्थितियों में बनाये रखी गयी है। उक्त भवन में सिस्टम / प्रावधानों की स्थापना / रख-रखाव मेरे / हमारे द्वारा किया गया जो दिनांक..... से प्रभावी है।

स्थान

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक

(योग्य तृतीय पक्ष अभिकरण का नाम)

लाइसेंस संख्या:

प्रपत्र-क-9

अग्नि सुरक्षा अधिकारी के नामांकन प्रमाण-पत्र

प्राधिकृत	अग्निशमन
अधिकारी द्वारा	सत्यापित
सदस्य का पासपोर्ट आकार	
का फोटो	

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र / पुत्री श्री.....
 निवासी..... जिनकी तस्वीर दाहिने कोने पर दिखायी देती है, उन्हे उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा
 आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 2022) की धारा 28 के अधीन अग्नि सुरक्षा अधिकारी के रूप
 में नामांकित किया गया है,उसका नामांकन संख्या..... है।
 श्री..... को स्वामी / अध्यासी श्री / श्रीमती / सुश्री..... द्वारा नियुक्त किया
 गया है, जिसके लिए उसके / उनके भवन / परिसर है।

दिनांक:

मुहर एवं हस्ताक्षर

स्थान:

सक्षम अग्निशमन अधिकारी का नाम और पदनाम

प्रपत्र-क-10

नोटिस संख्या:.....

निरीक्षण के दौरान देखी गयी अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों के संबंध में अपर्याप्त या उल्लंघन के संबंध में सूचना

.....

.....

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2022) के अधीन नोटिस संख्या..... दिनांक को श्री/श्रीमती/सुश्री पद का नाम..... ने..... स्थित आपके परिसर/भवन/अस्थायी संरचना का निरीक्षण किया है। उक्त दिनांक..... को समय अधिभोग के लिए उपयोग किया जा रहा है.....

अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता या उल्लंघन का पता लगाने के प्रयोजन से जो प्रदान किये गये हैं या प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

.....

निरीक्षण के दौरान नियमों में यथा विनिर्दिष्ट अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के न्यूनतम मानकों के संबंध में भवन या परिसर या अस्थायी संरचना में देखी गयी अपर्याप्तता या उल्लंघन निम्नानुसार है।

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-

इस लिए उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मैं एतद्वारा आपको निदेशित करता हूँ कि इस नोटिस की प्राप्ति के पश्चात्..... दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित अपर्याप्तता या उल्लंघनों पर पर्याप्त सुधारात्मक उपाय करें और इस संबंध में अनुपालन की रिपोर्ट..... दिनों में अधोहस्ताक्षरी को दें।

स्थान:

(मुहर एवं हस्ताक्षर)

दिनांक:

सक्षम अधिकारी का नाम और पदनाम

प्रपत्र-क-11**अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन**

सेवा में,

प्रभारी अग्निशमन तथा आपात सेवा, जिला.....उत्तर प्रदेश

विषय:- अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (भवन / परिसर का पता) प्रदान करने के लिए आवेदन।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (अनन्तिम / अन्तिम / नवीकरण) के लिए जारी किया जाना आवश्यक है..... (भवन / परिसर का नाम) पता..... में बेसमेंट और उपरी मंजिल सम्मिलित है..... (प्रस्तावित स्वामित्व / अध्यासन..... द्वारा किया जायेगा) (कम्पनी का नाम / स्वामी / अध्यासी का नाम) और अध्यासन होना / होगा

इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 की धारा- 26 के अधीन सभी अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं, या आपके द्वारा अनुशंसित पत्र क्रमांक..... दिनांकितभवन / परिसर में प्रस्तावित / प्रदान किया गया है / किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किया गया है:-

- (क) भवन / परिसर और अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए विधिवत भरी हुयी चेक लिस्ट
- (ख) योग्य तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
- (ग) नियुक्त / नियुक्त किये जाने वाले अग्नि सुरक्षा अधिकारी / अधिकारियों का नियुक्ति-पत्र।
- (घ) भवन / परिसर की विद्युत सुरक्षा का प्रमाण-पत्र
- (ङ) लिफ्टों का सुरक्षा प्रमाण-पत्र
- (च) जारी किये गये अन्तिम अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
- (छ) अन्य.....

आपसे अनुरोध है कि कृपया भवन / परिसर के अधिभोग के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

स्थान :

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक :

पता ईमेल आइडी.....

मोबाइल संख्या.....

S

प्रपत्र-क-12**अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र
(अनन्तिम)**

प्रमाणित किया जाता है कि (भवन या परिसर का नाम, पते) पर बेसमेण्ट
..... और ऊपरी मंजिल..... का स्वामित्व कब्जा किये जाने हेतु प्रस्तावित और (कम्पनी का नाम /
स्वामी / अध्यासी का नाम) द्वारा किया जायेगा।

एतद्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 की धारा 26 के अनुसार अग्नि की रोक थाम और अग्नि सुरक्षा
आवश्यकताओं को प्रदान करने और प्रस्तुत किये गये सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्तावित भवन / परिसर के चित्र / नक्शे / दस्तावेज आदि और स्थल निरीक्षण अग्निशमन तथा आपात सेवा से संबंधित अधिकारी /
कर्मचारी द्वारा..... (निरीक्षण का दिनांक) पर किया गया है।

और यह की भवन / परिसर को से अनन्तिम अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के अधीन बनाये गये
नियमों के अनुसार और जारीकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी भी विशिष्ट शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन..... वर्ष
के लिए प्रदान किया जाता है।

दिनांक:

मुहर एवं हस्ताक्षर

स्थान:

सक्षम अग्निशमन अधिकारी का

नाम.....

कम्प्यूटर आईडी.....

*जो लागू न हो उसे काट दें

ध्यान दे: यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जीवन और सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिए अग्नि सुरक्षा और जीवन सुरक्षा
उपायों की उपस्थिति का प्रमाणित कर रहा है। यह भवन या परिसर के अधिभोग पर लागू प्रासंगिक कोड और मानकों द्वारा अनिवार्य है,
जिसके लिए इसे जारी किया गया है और यह उंचाई, आच्छादित क्षेत्र पर आधारित है जैसा कि अपलोड किये गये दस्तावेजों में दिखाया
गया है। अपलोड की गयी जानकारी गलत पाये जाने पर इसे रद्द किया जा सकता है। इसे भवन परिसर आदि भूमि उपयोग, स्वामित्व
या कानूनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए नहीं माना जायेगा।

.....

पृष्ठांकन

अनन्तिम अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र संख्या-..... अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा जारी किये गये को
रद्द और निरस्त कर दिया गया है।

.....

.....

.....(कारण दर्ज किया जाना है।)

दिनांक

मुहर एवं हस्ताक्षर

स्थान

सक्षम अग्निशमन अधिकारी का नाम और पदनाम

प्रपत्र-क-13**अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र****(अन्तिम / नवीकरण)**

संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि (भवन या परिसर का नाम, पते) में और शामिल है बेसमेण्ट और ऊपरी मंजिल..... का स्वामित्व / कब्जा..... (कम्पनी का नाम / नाम स्वामी / अध्यासी का) के पास प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम- 2022 की धारा 26 के अनुसार अग्नि की रोक थाम और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और इसे (अग्निशमन तथा आपात सेवा से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों) द्वारा सत्यापित किया गया..... को (तारीख निरीक्षण)

और यह की भवन / परिसर को अन्तिम / नवीकरण अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र दिनांक..... से वर्ष की अवधि के लिए अन्तिम / नवीकरण अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार और जारीकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी विशिष्ट शर्तों के अनुपालन के अध्वधीन जारी किया जाता है:

दिनांक:

मुहर एवं हस्ताक्षर

स्थान:

सक्षम अग्निशमन अधिकारी का नाम.....

कम्प्यूटर आईडी.....

*जो लागू न हो उसे काट दें

ध्यान दे; यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जीवन और सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिए अग्नि सुरक्षा और जीवन सुरक्षा उपायों की उपस्थिति का प्रमाणित कर रहा है। यह भवन या परिसर के अधिभोग पर लागू प्रासंगिक कोड और मानकों द्वारा अनिवार्य है, जिसके लिए इसे जारी किया गया है और यह उंचाई, आच्छादित क्षेत्र पर आधारित है जैसा कि अपलोड किये गये दस्तावेजों में दिखाया गया है। अपलोड की गयी जानकारी गलत पाये जाने पर इसे रद्द किया जा सकता है। इसे भवन परिसर आदि भूमि उपयोग, स्वामित्व या कानूनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए नहीं माना जायेगा।

.....

पृष्ठांकन

अन्तिम नवीकरण अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र संख्या-..... अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा जारी किये गये को रद्द और निरस्त कर दिया गया है।

.....

.....

.....(कारण दर्ज किया जाना है।)

दिनांक

मुहर एवं हस्ताक्षर

स्थान

सक्षम अग्निशमन अधिकारी का नाम और पदनाम

प्रपत्र-क-14

अध्यासन की जोखिम श्रेणी (अग्नि जोखिम सहित)

जोखिम श्रेणी	अध्यासन श्रेणी
कम जोखिम	(एक) कम जोखिम वाले उद्योग (एनबीसी गाइडलाइन के अनुसार) (दो) निचले मकान, दुकानें आदि (तीन) जी-1 मंजिल तक अध्यासन यथा आवासीय, शैक्षणिक, संस्थागत, व्यापारिक, असेम्बली।
मध्यम जोखिम	(एक) मध्यम खतरे वाले उद्योग (एनबीसी गाइड लाइन के अनुसार) (दो) होटल, आवास और गेस्ट हाउस (क) जमीनी स्तर से 12 मीटर या उससे अधिक उंचाई या (ख) सभी भूमिगत, बेसमेण्ट, स्टिल्ट और मेजनाइन फर्श सहित चार या अधिक मंजिले हो; या (ग) तीन सितारा या उससे उपर की श्रेणी; या (घ) पच्चीस और उससे उपर अतिथि कमरे; या (ङ) दो हजार वर्ग फुट या अधिक के संयुक्त निर्मित क्षेत्र के एक या अधिक सम्मेलन या समारोह या असेम्बली हॉल, या तीन सौ या अधिक व्यक्तियों की संयुक्त क्षमता वाले (तीन) आडिटोरियम, कन्वेंशन हॉल, असेम्बली हॉल, मनोरंजन हॉल जैसा सभा स्थल जहाँ मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक आदि और इसी तरह के उद्देश्यों के लिए पचास से कम संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं होते हैं। (चार) व्यवसायिक या कार्यालय भवन (पाँच) सभी नैदानिक प्रतिष्ठान (छः) सभी प्रकार के शैक्षणिक भवन (सात) मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और व्यापारिक भवन - (क) जमीनी स्तर से नौ मीटर या उससे अधिक उंचाई; (ख) तीन या अधिक मंजिल हो, जिसमें सभी भूमिगत बेसमेण्ट, स्टिल्ट और मेजनाइन फर्शें सम्मिलित हैं। (आठ) आवासीय (होटल, आवास और गेस्ट हाउस के अलावा)- (क) जमीनी स्तर से पन्द्रह मीटर या उससे अधिक उंचाई; (ख) सभी भूमिगत, बेसमेण्ट स्टिल्ट और मेजनाइन फर्श सहित पाँच या अधिक मंजिले हो, (नौ) अस्थायी संरचनाएं; (दस) सभी भूमिगत या आंशिक रूप से भूमिगत संरचनाओं का उपयोग किसी उद्देश्य या अधिभोग के लिए किया जाता है। (ग्यारह) वेयरहाउस;
उच्च जोखिम	(एक) उच्च जोखिम वाले उद्योग (एनबीसी गाइडलाइन के अनुसार) (दो) विमान पत्तन, हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां (तीन) विस्फोटक या आतिशबाजी या खतरनाक पदार्थ (विनिर्माण भण्डारण, परिवहन, प्रदर्शन, बिक्री आदि) (चार) पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के डिपो और रिफाइनरियां (भण्डारण, प्रबंधन, शोधन, मिश्रण और खुदरा दुकानें आदि) (पाँच) सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स (छः) परमाणु प्रतिष्ठान, रक्षा प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय गौरव के अन्य प्रतिष्ठान।

प्रपत्र-क-15

अग्नि लगने का खतरा पैदा करने वाली सम्भावित वस्तुओं या सामग्री को हटाने के लिए नोटिस

सूचना क्रमांक

सेवा में,

श्री

.....

.....

मैं.....उत्तर प्रदेश अग्निशमन के उपबंधों के अधीन निरीक्षण प्राधिकारी नाम निर्देशित हूँ एवं उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 16 सन् 2022) के अन्तर्गत आपके परिसर / भवन का निरीक्षण किया है जो स्थित है दिनांक को,

और जबकि, पूर्वोक्त भवन / परिसर के निरीक्षण पर, यह देखा गया है कि उल्लिखित वस्तुयें / सामान / स्थितियां ऐसी है जिनसे अग्नि लगने का खतरा होने की सम्भावना है और जैसा भी मामला हो, उन्हें हटाया / सही किया जाना आवश्यक है।

1-

2-

3-

4-

5-

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 16 सन् 2022) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, मैं एतद्वारा आपको नोटिस देता हूँ कि आप यथास्थिति उक्त वस्तुओं / माल / शर्तों को तुरन्त हटा देंगे / सही कर देंगे और ऐसा किये जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

दिनांक:

(हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम)

स्थान:

नोटिस जारी करने हेतु सक्षम अग्निशमन अधिकारी

प्रपत्र-क-16**निरीक्षण रिपोर्ट**

निरीक्षण रिपोर्ट संख्या-

दिनांक-

श्री / श्रीमती/ सुश्री के परिसर / भवन / अस्थायी संरचना में प्रवेश करने परदिनांक
 समय..... अधिभोग के लिए उपयोग किया जा रहा है..... पर्याप्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
 यह अग्नि की रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का उल्लंघन, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश
 अधिनियम संख्या, 16 सन् 2022) के उपबंधों के अधीन, उक्त भवन या परिसर या अस्थायी संरचना में प्रदान किये जाते हैं या प्रदान
 किये जाने के लिए आवश्यकता है। निरीक्षण के दौरान नियमावली में विनिर्दिष्ट अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के न्यूनतम मानकों
 के संबंध में भवन या परिसर या अस्थायी संरचना में देखी गयी अपर्याप्तता या उल्लंघन निम्नानुसार है:-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-

हस्ताक्षर और मुहर

नाम एवं पदनाम

निरीक्षणकर्ता अधिकारी

प्रपत्र-क-17**पंचनामा**

मामला संख्या-

स्थान-

दिनांक-

समय-

1- स्वामी / अध्यासी का नाम और पता

2- उपस्थित व्यक्ति का नाम और पता

3- पंचों का नाम और पता

(क)

(क) श्री / श्रीमती

(ख) पुत्र/पुत्री/पत्नी

(ग) निवासी

(घ) आयु (वर्ष)

(ङ) व्यवसाय

(ख)

(क) श्री / श्रीमती

(ख) पुत्र/पुत्री/पत्नी

(ग) निवासी

(घ) आयु (वर्ष)

(ङ) व्यवसाय

हम..... उपर्युक्त पंच, आज दिनांक..... को श्री/श्रीमती..... पदनाम
..... द्वारा बुलाये गये

स्थान..... से तक भवन / परिसर / अस्थायी संरचना के पते से कुछ वस्तुओं
या सामानों को जब्त करने के कार्य का गवाह बने जो स्वामी / अध्यासी के परिसर / भवन / अस्थायी संरचना में रखे और उजागर
किये गये थे हमारी उपस्थिति में उक्त अधिकारी का नाम और पदनाम ने निम्नलिखित वस्तुओं / सामानों को जब्त कर लिया, जिनके
सही होने की हम गवाही देते हैं।

क्र०सं०	वह स्थान जहाँ से जब्त किया गया	जब्त की गयी वस्तुओं या वस्तुओं का विवरण	मात्रा	जबती और हिरासत के कारण
---------	--------------------------------	---	--------	------------------------

पंचनामा पढ़कर सुनाया जाता है और हमें समझाया गया है और जब हमने देखा तो यह उसका सही विवरण है।

पंचों के हस्ताक्षर (माल जब्त करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

1-

2-

पंचनामों की प्रति प्राप्त

स्वामी / अध्यासी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-क-18

(अस्थायी संरचना के निर्माता द्वारा घोषणा का प्रपत्र)

अधिनियम के अधीन अस्थायी संरचना के निर्माता द्वारा घोषणा

मैं (अस्थायी संरचना के निर्माणकर्ता का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय..... है एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि अस्थायी संरचना खड़ी की गई है / बनाई जायेगी..... माप.....मीटर (आच्छादित क्षेत्र), प्रभावी रहेगा..... से तक, और उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अग्नि रोकथाम एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का उपबंध किया गया है / किया जायेगा और अग्रतर यह कि अस्थायी संरचना और विद्युत तारों और विद्युत सेवाओं का पूर्ण निर्माण मानकों के अनुरूप है।

साथ ही यह घोषित किया जाता है कि अस्थायी संरचना में ज्वलनशील तरल पदार्थ या गैसों का कोई भण्डारण / उपयोग नहीं किया जाता है और विद्युत तारों, उपकरणों और विद्युत सेवाओं आदि के लिए, विद्युत सुरक्षा प्रमाण-पत्र संख्या.....सेप्राप्त किया जायेगा (भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी)।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित प्रशिक्षण अग्निशमन कर्मचारी वृंद अस्थायी संरचना के अधिभोग के दौरान ज्यूटी पर रहेंगे।

क-

ख-

ग-

स्थान:

दिनांक:

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

पता.....

ईमेल आईडी.....

मोबाइल संख्या.....

प्रपत्र-क-19**विद्युत आपूर्ति विच्छेदन हेतु नोटिस**

नोटिस क्रमांक

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (विद्युत वितरण)

.....

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 2022) के प्रावधानों की गैर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर श्री..... द्वारा अपने भवन / परिसर स्थित..... और दोषों / आपत्तियां आदि का अनुपालन करने में स्वामी / अध्यासी की विफलता के कारण उक्त भवन / परिसर अग्नि एवं जीवन सुरक्षा के दृष्टि से असुरक्षित हो गया है।

मैं..... पदनाम....., उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 2022) के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा आपको इस नोटिस की प्राप्ति के तीन घण्टे के भीतर श्री..... के उक्त परिसर में बिजली आपूर्ति बंद करने और बिजली आपूर्ति और उपयोग के लिए उपयोग किये जा रहे सभी संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का नोटिस देता हूँ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

अग्निशमन अधिकारी नोटिस जारी करने में सक्षम है

प्रमाणीकरण

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 2022) के अनुसार अग्नि एवं जीवन सुरक्षा के उपबंधों को श्री..... द्वारा अपने भवन / परिसर में संकलित किया गया है, जो..... पर स्थित है, अतः उक्त भवन / परिसर की विद्युत आपूर्ति फिर से शुरू की जा सकती है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

नोटिस जारी करने हेतु में सक्षम अग्निशमन अधिकारी

प्रपत्र-क-20**अग्नि रिपोर्ट का प्रपत्र**

- 1- वर्तमान दिनांक-
 - 2- अग्नि रिपोर्ट संख्या-
 - 3- अग्निशमन केन्द्र का परिचालन अधिकारिता-
 - 4- से प्राप्त जानकारी-
 - 5- दूरभाष करने वाले का नाम-
 - 6- दूरभाष करने वाले का फोन नं०-
 - 7- घटना स्थल का पूरा पता-
 - 8- दूरभाष प्राप्त होने का दिनांक-
 - 9- दूरभाष प्राप्त होने का समय-
 - 10- अग्निशमन केन्द्र से प्रस्थान का समय/अग्निशमन केन्द्र से अनुमानित दूरी-
 - 11- अग्नि स्थल पहुंचने का समय-
 - 12- मृत्यु (मृत्युओं) का विवरण-
 - 13- दूरभाष की प्रकृति-
 - 14- अग्नि स्थल से निकलने की तिथि-
 - 15- अग्नि स्थल से निकलने का समय-
 - 16- अधिभोग का प्रकार-
 - 17- अन्य के मामले में अधिभोग विवरण
 - 18- अग्नि की श्रेणी-
 - 19- अग्नि लगने का सम्भावित कारण-
 - 20- भवन का प्रकार-
 - 21- अन्य के मामले में भवन का विवरण-
 - 22- प्रभावित क्षेत्र का विवरण-
 - 23- चोट लगने का विवरण-
 - 24- मृत्यु (मृत्युओं) और बचाए गये जीवन का विवरण-
 - 25-हानि, बचायी गयी सम्पत्ति का विवरण-
 - 26- घटना की टिप्पणी एवं उचित विवरण-
- निदेशक द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी-

अस्वीकरण: यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है न तो विभाग और न ही उसके सहयोगी, सूचना प्रदाता या सामग्री प्रदाता, समय बद्धता, अनुक्रम का वारंट / गारण्टी देते हैं।

प्रपत्र-क-21**प्रथम अपील की प्राधिकारी के समक्ष अपील का प्रपत्र**

अपील संख्या.....सन् 20.....

अपीलकर्ता:

श्री.....पुत्र श्रीनिवासी.....
..... बनाम

अग्निशमन अधिकारी / निदेशक / उप विभागीय मजिस्ट्रेट / अन्य — प्रतिवादी श्री नोटिस / आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 2022) की धारा-45 के अधीन अपील श्री..... अग्निशमन अधिकारी / उप मण्डल मजिस्ट्रेट / निदेशक / अन्य दिनांक

महोदय

अपीलकर्ता सादर दर्शित करता है -

- 1- तथ्यों का विवरण
- 2- अपील का आधार
- 3- 1000/- रुपये का शुल्क का भुगतान रसीद क्रमांक..... द्वारा किया गया है दिनांक.....
- 4- अपील समय के भीतर है।
- 5- इस अपील की विषय वस्तु से संबंधित कोई अन्य अपील या कोई मामला किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।
- 6- दावा किया गया राहत

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, यदि कोई हो.

सत्यापन

मैं,..... अपीलकर्ता, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैंने कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया है।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, यदि कोई हो.

आज सत्यापित.....दिन.....20

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

प्रपत्र-क-22**द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को द्वितीय अपील का प्रपत्र**

अपील संख्या.....सन् 20.....

अपीलकर्ता:

श्री.....पुत्र श्रीनिवासी.....
..... बनामअग्निशमन अधिकारी / निदेशक / उप विभागीय मजिस्ट्रेट / अन्य — प्रतिवादी श्री नोटिस / आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश
अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 2022) की धारा-45 के तहत अपील
श्री..... अग्निशमन अधिकारी / उप मण्डल मजिस्ट्रेट / निदेशक / अन्य दिनांक

महोदय

अपीलकर्ता सादर दर्शित करता है:-

- 1- तथ्यों का विवरण
- 2- अपील का आधार
- 3- 5000/- रुपये का शुल्क का भुगतान रसीद क्रमांक..... द्वारा किया गया है दिनांक.....
- 4- अपील समय के भीतर है।
- 5- इस अपील की विषय वस्तु से संबंधित कोई अन्य अपील या कोई मामला किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।
- 6- राहत का दावा किया गया

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, यदि कोई हो

सत्यापनमैं,..... अपीलकर्ता, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी व्यक्तिगत जानकारी और
विश्वास के अनुसार सत्य है और मैंने कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया है।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, यदि कोई हो.

.....

आज सत्यापित.....दिन.....20

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

प्रपत्र-क-23

विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति को प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों हेतु प्रारूप

SN	बिन्दु	Remarks				
1-	भवन का नाम एवं पता					
2-	भवन स्वामी / प्रबन्धक का नाम एवं पता व मो०नं०-					
3-	भवन का अधिभाग विवरण तथा प्रयुक्त मैटीरियल का विवरण (एमएसडीएस)					
4-	भवन कब से निर्मित है।					
5-	भवन का प्लॉट एरिया वर्ग मीटर।					
6-	भवन में तलों की संख्या।					
7-	भवन की ऊंचाई मीटर।					
8-	भवन किस प्राधिकरण / नोटिफाइड एरिया में है।					
9-	भवन के सामने रोड की चौड़ाई मीटर।					
10-	भवन के सैटबैक का विवरण।					
11-	अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का विवरण।					
12-	स्टेयरकेस की संख्या व चौड़ाई मीटर।					
13-	सत्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र का विवरण					
14-	भवन को अग्निशमन विभाग से कब-कब एनओसी / प्रमाण पत्र जारी किया गया है।					
15-	किन अधिनियमों और नियमावलियों के उपबन्ध परस्पर विरोधी संप्रेषित किये जा रहे हैं। (उदाहरणार्थ एनबीसी 2016, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 स्थानीय भवन उपविधि या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य अधिनियम, नियमावली, शासनादेश के कौन से उपबन्ध परस्पर विरोधी पाये गये हैं।	क्र० सं०	विरोधाभास के बिन्दु	किस नियम के अनुसार	किस अधिनियम के अनुसार	किस शासनादेश के अनुसार
16-	अन्य बिन्दु					

1-निरीक्षणकर्ता अधिकारी का अभिमत-

हस्ताक्षर
प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी,
अग्निशमन केन्द्र।

2- अग्निशमन उप जिला प्रभारी का अभिमत -

हस्ताक्षर

3- अग्निशमन जिला प्रभारी का अभिमत -

हस्ताक्षर

4- अग्निशमन परिक्षेत्र प्रभारी का अभिमत -

हस्ताक्षर

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 181/VI-Pu-8-2024-801(1)-2023, dated January 18, 2024:

No. 181/VI-Pu-8-2024-801(1)-2023

Dated Lucknow, January 18, 2024

IN exercise of the powers under section 64 of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no.16 of 2022) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to provide for the maintenance of fire and emergency services for the State of Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

THE UTTAR PRADESH FIRE AND EMERGENCY SERVICES RULES, 2024

CHAPTER-I

Preliminary

Short title, extent and commencement	<p>1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Rules, 2024.</p> <p>(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.</p>
Definitions	<p>2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-</p> <p>(a) "Act" means the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022);</p> <p>(b) "Director" means the Director of the Fire and Emergency Services appointed by the State Government under section 6 of the Act;</p> <p>(c) "Director General" means the Director General of the Fire and Emergency Services appointed by the State Government under section 6 of the Act;</p> <p>(d) "Directorate of Uttar Pradesh Fire and Emergency services" means Directorate of Uttar Pradesh Fire and Emergency Service, Lucknow functioning under the superintendence and control of State Government under section-4 of Act under the command and control of Director General -Uttar Pradesh Fire and Emergency Service;</p> <p>(e) "Existing buildings" means the buildings having their super structure completed prior to the commencement of these rules subject to the proof of existence issued by the local authority as defined under clause (r) of section 2 of the Act or Entity Authority as defined under clause (k) of section 2 of the Act;</p> <p>(f). "External Trainee" means a trainee admitted to any course run at State Fire and Emergency Training Institute, Unnao or other training institutes established under section 46 of the Act, not on the roll of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services including private candidates from local bodies, industrial undertakings, other state fire services, hotels, multi-storied buildings and similar other government and non-government establishments;</p> <p>(g). "Fire, Rescue or Emergency Call" means a request for assistance in the form of supply of equipment, appliances or personnel to effectively deal with the outbreak of a fire, rescue or emergency made in accordance with the provisions of the Act;</p> <p>(h). "Explosive" shall means "explosive substance" as defined under the Explosive Substance Act, 1908 (Act no. 6 of 1908) "Petroleum Class A, Petroleum Class-B or Petroleum Class-C" and "dangerously inflammable substances" shall have the meaning respectively assigned to them in the Explosive Act, 1884 (Act no. 4 of 1884), the Petroleum Act, 1934 (Act no. 30 of 1934) and the Inflammable Substance Act, 1952 (Act no. 20 of 1952);</p>

- (i). **“Fire District Class ‘A’** means a field formation, comprising of six or more of fire stations in a revenue district as constituted by the State Government in this behalf and any other districts that have greater fire risk and vulnerability as the State Government may decide in this regard;
- (j). **“Fire District Class ‘B’** means a field formation comprising of less than six fire stations in a revenue district as constituted by the State Government in this behalf;
- (k). **“Fire Sub-District”** means a field formation in **Class ‘A’** fire district as constituted by the State Government in this behalf;
- (l). **“Field Formation”** means officer(s) having jurisdiction over fire district, fire region, State and regional training centers and fire services Directorate, as the case may be;
- (m). **“Fire Officers”** means fire officers appointed under section 9 and section 10 of the Act and shall include Officer IN-Charge of a fire station, Chief Fire Officer, Chief Fire Officer (Senior Scale), Deputy Director, Joint Director, Additional Director, having jurisdiction in the area of their appointment;
- (n). **“Fire Safety Certificate”** means the Fire Safety Certificate issued by the Fire and Emergency Services indicating and certifying the presence of firefighting and life safety measures in order to minimize the life and property damages and as mandated by the relevant code and standards applicable to that particular height and occupancy of the building or the premises for which it is issued. It shall not be considered for certifying -land use, ownership *etc*;
- (o). **“Form”** means a form appended to these rules;
- (p). **“Inspecting Authority”** means Officer in charge of a fire station not below the rank of Fire Station Second officer or a Fire Officer having jurisdiction in the area or any other Fire Officers as authorized by the State Government in this behalf;
- (q). **“Investigating Authority ”** means Officer IN- charge of the Fire District or Sub Fire District not below the rank of Chief Fire Officer or any Fire Officer or group of Fire Officers as authorized by the Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services or any other Fire Officer authorized by the State Government in this behalf;
- (r). **“Multi Storied Building”** means building of height 15 meters or more as defined in Building bye- laws ;
- (s). **“Prescribed Authority”** means the District Magistrate of the concerned district;
- (t). **“Principal”** means a Fire Officer not below the rank of Deputy Director IN-charge of the State Fire and Emergency Training Institute, Unnao and other regional Fire and Emergency Training Centres established under sub-section (1) of section 46 of the Act;
- (u). **“Private Entity”** means an individual or group of individuals having lawful possession over resources in their personal capacity.
- (v). **“Premises”** means any land or any building or part of a land or building or appurtenant thereto which is used for storing explosive substance, petroleum products and dangerously inflammable substances;
- (w). **“Regional Fire and Emergency Training Center or Academy”** means training academy and advance training center/regional training centers as established by State Government.
- (x). **“State Fire and Emergency Training Institute”** means State Fire and Emergency Training Institute, Unnao (SFETI, Unnao) and other regional Fire and Emergency Training Centers established under sub-section (1) of section 46 of the Act;
- (y). **“Schedule”** means a Schedule appended to these rules;

(z). “**Training Charges**” means the charges to be paid by the trainee for admission to courses of instruction or training programmes provided under sections 46 and 47 of the Act and shall include tuition fee, laboratory charges, fire ground operation charges, trainee amenities fund, and accommodation charges *etc*;

(aa). “**Temporary Structure**” means all structures with roof or walls made of such material as permissible as per IS: 8758:1993 for use as a place on temporary basis for a specific period, where public may assemble but which is not adopted for permanent or continuous occupancy including Pandals, Tents, Shamiyanas, Mandaps, Cottages *etc*;

(2) Words and expressions not defined in these rules but define in the Act or Bye-laws or National Building Code of India or Oil Industry Safety Directorate, the Petroleum Act, 1934 (Act no. 30 of 1934) and the Petroleum Rules, 2002, Explosive Act, 1884 (Act no. 4 of 1884) and Rules made thereunder, National Fire Protection Association, relevant Indian Standards or specifications published by Bureau of Indian Standards, shall have the meanings as assigned to them in the said Acts, rules, Bye-laws, Building Bye-laws or National Building Code of India or relevant Indian Standards or specifications published by the Bureau of Indian Standards for construction and fire safety of buildings or premises and pandals.

CHAPTER II

Organization, Superintendence, Control and Maintenance of Fire and Emergency Services at Directorate Level

Constitution of Directorate of Fire and Emergency Services

3. (1) The State Government may pass a Government Order/Office Memorandum for the formation of Directorate of Fire and Emergency Services consisting of Director General of Fire and Emergency Services and such other Fire Officers as Directors, Additional Directors, Joint Directors, Deputy Directors, Chief Fire Officers (Senior Scale), Chief Fire Officers and subordinate officers of Fire and Emergency Services.

(2) The State Government may establish various Cells and/or branches such as Fire Prevention Cell, Fire Safety Enforcement Cell, Disaster Management Cell, Research and Development Cell, Expressways Accident and Trauma Cell, Regional Connectivity Scheme Airport Fire and Emergency Service Cell, Special buildings and premises Fire and Emergency Service Cell or any other branch or Cell as may be deemed necessary. The State Government shall appoint fire officers of various ranks as deemed fit from time to time for the functioning of the such Cells.

(3) The Head of the Directorate of Fire and Emergency Services shall be the Director General of Fire and Emergency Services, who shall function under the administrative control of the State Government.

Constitution of Office of the Director-General, Director, Additional Director of fire and Emergency Services.

4. The Offices of Director-General, Director and other fire officers of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall be constituted with the staff of such competent ranks of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services and in such number as the State Government may decide from time to time.

Constitution of the Cells/Sections at Directorate of Fire and Emergency Services

5. For the smooth functioning of the Directorate of Fire and Emergency Services, various Cells/Sections consisting of such staff as deemed necessary, may be constituted by the State Government from time to time, such as :

A. Administration Cell :

It shall be headed by an officer not below the rank of Joint Director and with the staff that shall be of such competent ranks of Accounts and Uttar Pradesh Fire and Emergency Services and in such number as the State Government may decide from time to time.

B. Purchase, Modernization, Training, Research & Development Cell :

It shall be headed by an officer not below the rank of Joint Director and with the staff that shall be of such competent ranks of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services and in such number as the State Government may decide from time to time

C. Operation, Fire Prevention Cell :

It shall be headed by an officer not below the rank of Joint Director and with the staff that shall be of such competent ranks of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services and in such number as the State Government may decide from time to time

6. (1) The Director General, Fire and Emergency Services shall execute his power and functions as defined under sub-sections (1) and (2) of section 7 of the Act and as directed by the State Government from time to time.

(2) The Director Fire and Emergency Services shall execute his power and functions as defined in the Act and as directed by the State Government from time to time.

7. (1) The Cells and Sections at Directorate level shall function under the administrative control of Director General Fire and Emergency Services through Director Fire and Emergency Services.

(2) The functioning of the Cells and Sections at Directorate level shall be in line with the Fire and Emergency Services Departmental Manual to be released from Directorate.

Power,
Duties and
Functions of
the Director
General and
Director Fire
and
Emergency
Services.
Duties and
Functions of
various Cells
and Sections
at
Directorate
level.

CHAPTER-III**Organization, Superintendence, Control and Maintenance of Fire and Emergency Services at Fire Region Level**

8. (1) The State Government may create Fire Regions within the State ,on the basis of number of fire stations and fire risk such as Meerut, Agra, Kanpur, Bareilly, Lucknow, Prayagraj, Varanasi and Gorakhpur, or any other Fire Region as may be created by the State Government from time to time by a general or special order depending upon the exigencies of work.

(2) The State Government shall appoint a Fire Officer of such rank to head a fire region as may be decided and assisted by such officers as deemed fit.

(3). The officiating Fire region in-charge shall be directly under the command and control of Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services through such Fire Officers as appointed by the State Government.

9. The State Government shall appoint a Fire Officer of such rank to head a fire region as may be decided and with such staff of competent ranks of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services and in such number as the State Government may decide from time to time.

10. The Disaster Management and Fire Prevention Cell at Fire Region shall be constituted with the staff that shall be of such competent ranks of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services and in such number as the State Government may decide from time to time. This shall include Leading Fireman/Fire Operator (&) who shall be trained specially as Rescue Commandos.

11. The in-charge Fire Region shall execute his power and functions as defined in the Act and as directed by the State Government from time to time.

12. The functioning of the Disaster Management and Fire Prevention Cell at Fire Region level shall be in line with the Fire and Emergency Services Departmental Manual to be released from Directorate.

Constitution
of Fire
Regions

Constitution
of Office of
In-charge
Fire Region

Constitution
of Disaster
Management
and Fire
Prevention
Cell at Fire
Region.

Power,
Duties and
Functions of
In-charge
Fire Region

Duties and
Functions of
Disaster
Management
and Fire
Prevention
Cell.

CHAPTER-IV**Organization, Superintendence, Control and Maintenance of Fire and Emergency****Services at Fire District Level**

Constitution of Fire Districts	<p>13. (1) Depending upon the prevailing fire risk and number of fire stations, each revenue district of State of Uttar Pradesh may be divided in Sub Fire Districts.</p> <p>The Prescribed Authority, being the Chairperson of District Disaster Management Authority and Head of District Administration, shall be the general supervision authority of fire district.</p> <p>(2) The categories of Fire District and Sub Fire Districts shall be as follows:-</p> <p>(a) (i) Class “A” Fire District shall have 06 or more numbers of fire stations or such numbers of fire station as the State Government deems fit and shall be under the command and control of such fire officer as may be decided by the State Government from time to time.</p> <p>(ii) Each class ‘A’ fire district shall be divided into one or more sub-fire districts as per the fire risk prevailing. Each fire sub district shall have not more than 05 numbers of fire stations.</p> <p>(iii) Any district having less than 06 number of fire station but having significant fire hazard and/or other disaster exigencies may be considered as class ‘A’ fire district.</p> <p>(b) (i) Class ‘B’ Fire District shall have less than 06 number of fire stations and shall be under the command and control of fire officer not below the rank of Chief Fire Officer.</p> <p>(ii) In case the number of fire stations in a fire district becomes more than 05 then that particular class ‘B’ fire district shall qualify as class ‘A’ fire district.</p> <p>(3). Classification of Fire district shall be as per Schedule-I of these rules.</p>
Constitution of Office of In-charge Fire District	14. The Office of In-charge Fire District, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall be constituted with the staff that shall be of such competent ranks of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services and in such number as the State Government may decide from time to time.
Constitution of Fire Prevention Cell at Fire District.	15. Fire Prevention Cells shall be constituted with the staff that shall be of such competent ranks of Uttar Pradesh Fire and Emergency and in such number as the State Government may decide from time to time.
Power, Duties and Functions of In-charge Fire District.	16. The in-charge Fire District shall execute his power and functions as defined in the Act and as directed by the State Government from time to time.
Duties and Functions of Fire Prevention Cell at Fire District.	17. The functioning of the Fire Prevention Cell at Fire District level shall be in line with the Fire and Emergency Services Departmental Manual to be released from Directorate.

CHAPTER-V**Organization, Superintendence, Control and Maintenance of Fire and Emergency****Services at Sub Fire District Level**

Constitution of Sub Fire Districts	<p>18. (1) Each class ‘A’ Fire District shall be divided into one or more sub Fire Districts as per the fire risk prevailing.</p> <p>(2) Each fire sub-district shall have not more than five Fire Stations and shall be under the command and control of Fire Officer not below the rank of Chief Fire Officer.</p> <p>(3) Each Fire Sub-Districts shall have fire stations as specified under these rules or as specified by State Government from time to time.</p>
------------------------------------	--

19. The Office of In-charge Sub Fire District, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall be constituted and with the staff that shall be of such competent ranks Uttar Pradesh Fire and Emergency Services and in such number as the State Government may decide from time to time.	Constitution of Office of In-charge Sub Fire District
20. The Fire Prevention Cell at Sub Fire District shall be constituted with the staff that shall be of such competent ranks of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services and in such number as the State Government may decide from time to time.	Constitution of Fire Prevention Cell at Sub Fire District.
21. The in-charge Sub Fire District shall execute his power and functions as defined in the Act and as directed by the State Government from time to time.	Power, Duties and Functions of In-charge Sub Fire District
22. The functioning of the Fire Prevention Cell at Fire District level shall be in line with the Fire and Emergency Services Departmental Manual to be released from Directorate.	Duties and Functions of Fire Prevention Cell at Sub Fire District
23. There shall be three types of fire stations based on emergency exigencies in the area of jurisdiction namely,-	Classification of Fire Stations
<p>(i) Rural Area Fire Station : Mostly all the fire stations shall be at teshil level, which may be expand up to block level and/or at vicinity of any specific location having considerable risk posed to the society as and when required by the Government. There may be 02 types of Fire Station in rural area viz- Unit-2 and Unit-3, which may be changed by the Government at any point of time considering the area specific requirements. The indicative list of equipment required to be maintained at these Fire Stations shall be as per Schedule-II, which may be amended by the Director General considering the applicability and usability of equipment. The quantities of the equipments shall be fixed by the Director General through a general order considering the type of fire station.</p>	
<p>(ii) Urban Area Fire Station: Fire stations in urban area including district headquarter shall be located in such manner so that response time of the fire tender may be minimized in accordance with the standing fire advisory committee recommendation. There may 05 types of fire station in urban area viz- Unit-2, Unit-3, Unit-4, Unit-5 and Unit-7, which may be changed by the Government at any point of time considering the area specific requirements. The indicative list of equipment required to be maintained at these Fire Stations shall be as per Schedule-II, which may be amended by the Director General considering the applicability and usability of equipment. The quantities of the equipments shall be fixed by the Director General through a general order considering the type of fire station.</p>	
<p>(iii) Industrial Area Fire Station: Fire stations in industrial area shall be located in such manner so that response time of the fire tender may be minimized. There may be 05 types of fire station in industrial area viz- Unit-2, Unit-3, Unit-4, Unit-5 and Unit-7, which may be changed by the Government at any point of time considering the area specific requirements. The indicative list of equipment required to be maintained at these Fire Stations shall be as per Schedule-II, which may be amended by the Director General considering the applicability and usability of equipment. The quantities of the equipments shall be fixed by the Director General through a general order considering the type of fire station.</p>	

CHAPTER-VI**Organization, Superintendence, Control and Maintenance of Fire and Emergency Services at Fire Station Level**

Constitution of Fire Station	<p>24. (1) Each Fire District and Fire Sub-Districts shall have fire stations as specified under these rules or as specified by the State Government.</p> <p>(2) Based on location requirements, the State Government shall establish Unit-2, Unit-3, Unit-4, Unit-7 Fire Stations or as it may deem fit in the State.</p> <p>(3) The minimum facilities shall be maintained at each Fire Station for firefighting and rescue work as per Schedule-II of these rules.</p> <p>(4) Each Fire Station shall be under the charge of a Fire Officer not below the rank of a Fire Station Second Officer who may be assisted by one or more Fire Officers in the discharge of his duties.</p> <p>(5) A Fire Station above three Units as mentioned in the Schedule-I shall be headed by an officer not below the rank of Fire Station Officer.</p> <p>(6) All officers of subordinate rank except the station in-charge may be deputed in shift duties to enhance the efficiency.</p>
Constitution of Office of In-charge Fire Station	<p>25. The Office of In-charge Fire Station shall be constituted with the staff that shall be of such competent ranks of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services and in such number as the State Government may decide from time to time.</p>
Constitution of various Cells/ Sections at Fire Station and Duties and Functions of Fire Station	<p>26. (1) Each Fire Station shall have Operation Cell, Material Store Section, Motor Transport Section, Employee Mess Section <i>etc.</i></p> <p>(2) Based on the requirement, the Cells /Sections at Fire Station shall be changed by the Government from time to time.</p> <p>(3) Each Fire Station shall function in line with the Fire and Emergency Services Departmental Manual to be released from Directorate.</p>
Limits and extent of Fire Region, Fire Districts and Fire sub District	<p>27. (1) The limits and extents of Fire Regions, Fire Districts, Fire Sub-District and Fire stations for the purposes of sub-section (1) of section 8 of the Act shall be as per these rules or as State Government may provide:</p> <p>Provided that where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for the speedy attendance of Fire and Emergency Services, it may, by general or special order modify the limits and extend to Fire Regions, Fire Districts, Fire Sub-district and Fire Stations or other similar arrangements for field formation as may be done by the State government for different Cells as constituted by State Government.</p> <p>(2) In order to provide a holistic and comprehensive safety umbrella to the State, the Fire Services personnel shall be thoroughly trained in paramedics, accident and trauma relief operations and such other rescue operations as may arise in an emergency situation and to tackle such large scale emergency.</p> <p>(3) The State Government shall create Specially Trained Rescue Group (STRG) of rescue personnel under the command and control of District Fire in-charge at the designated Fire District having extensive hazard and one reserve group at each region under the command and control of Joint Director. This Specially Trained Rescue Group (STRG) shall be available to cater the disaster relief operation requirement for efficient and effective relief operations in emergency situation arising in the region.</p>

28. (1) The Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall determine the requirement of equipment and appliances for fire-fighting, personal protection, rescue, paramedics and other emergencies in such numbers and with such specifications taking into consideration the apprehension of fire risk in the area for effective measures of safety and efficient response in times of emergency and / or disasters situations.

Equipment and
appliances for
Fire and
Emergency
Services

(2) The Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services with the previous sanction of the Government, shall procure equipment and appliances determined under sub-rule(1) in such manner that each fire region, fire district, fire sub-district and fire station is adequately equipped to meet with the requirement of disaster/emergency situation and fire-fighting, personal protection, rescue, paramedics, other emergencies and fire safety measures and make all necessary arrangements for their upkeep and maintenance to ensure their availability to provide fire prevention and fire safety service as and when required.

(3) The number and life span of equipment and appliances shall be as per the recommendations of the Standing Fire Advisory Council of the Ministry of Home Affairs, Government of India or of any other authority as may be authorized by the State Government for this purpose.

29. (1) The Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall constitute a committee of officers under the chairmanship of Director Uttar Pradesh Fire and Emergency Services which shall identify the area where the establishment of a fire station is tactically advantageous to provide fire prevention and life safety measure. The Director General Uttar Pradesh Fire and Emergency Services, after deliberations on such proposal received from the committee, shall send such proposal as deemed fit, to the State Government for further approval.

Construction
or hiring of
places for Fire
Stations

(2) The Director General /Director or Fire Officer in-charge of fire district, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services with the previous sanction of the State Government shall acquire the land for fire station from local authority free of charge or on payment of such amount as may be fixed by the State Government in the behalf.

(3) The State Government may hire any building or premises on payment of such rent and on such terms and conditions as may be agreed to by both the parties, where no land is made available by the local authority.

(4) The composition of the fire station along with the staff pattern and facilities to be provided by a fire station may be decided by the Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Service depending upon the circumstances prevailing and apprehension of fire risk prevailing in the area with provisions of special Cells and team as may be required as per Schedule-I of these rules.

(5) No local authority or any department of any town or area, to which this rule applies for the time being, after the commencement of the rules, shall transfer or otherwise part with any immovable property, used as a fire station or any permanent fixture thereof without the previous sanction of the State Government. Fire Stations operating on such government buildings and operating over the land shall continue to operate till an alternate and permanent arrangement is done by the government in this regard. The building or the land so acquired or being used as fire station and any movable or immovable property belonging to fire station before and after commencement of the Act and rules made thereunder shall not be transferable and shall not be used for any purpose other than field formation made by Uttar Pradesh Fire and Emergency Service under the Act, by any local authority or any entity authority.

(6) The size of Fire station may be 2-Unit, 3-Unit, 4-Unit, 7-Unit or more Units and shall depend upon the prevailing fire risk and the population density in the area. The fire stations shall be constructed in accordance with the guidelines provided by Standing Fire Advisory Council, Ministry of Home Affairs, Government of India:

Provided that Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Service may also consider the modification and/or alteration in Fire Station by a General arrangement Plan depending upon the land availability, fire risk and resources deployment requirement in accordance with the executive instructions issued by the State Government in this regard. The upcoming fire stations shall have minimum facilities as per Schedule-II of the rules.

Qualifications for appointment of Fire Officer of different ranks and other terms and conditions of service	30. The qualifications for appointment and other conditions of services of Fire Officer of different ranks in Uttar Pradesh Fire and Emergency Service shall be made in accordance with the service rules.
Duties and responsibilities of Fire Officers and staff	31. Subject to the provisions of the Act and these rules the duty and responsibilities of personnel appointed in Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall be made in accordance with the service rules pertaining to Fire Officers of the State Of Uttar Pradesh.
Drawing and Disbursing Officer	32. The State Government may by general or special order declare fire officers of competent ranks as Drawing and Disbursing Officer for the Directorate and field formations as per requirement under the Act.
General	33. Subject to the provisions of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 and the hierarchical structure of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services, the State Government by way of a special or general order, may create such posts as deemed necessary.

CHAPTER VII

Fire and Emergency Response

Standard Operating Procedure for Fire and Emergency Calls	<p>34. (1) The Standard Operating Procedure (SOP) to respond to Fire and Emergency calls as received at Fire Station Control room by any means shall be as given below:-</p> <p>(a) The Fire and Emergency team stationed at different-different fire stations shall be the first responder to each fire and/or rescue call received through any source in the jurisdiction of fire station;</p> <p>(b) The fire and /or rescue emergency call shall be received in the control room of respective fire station through one or more following modes:-</p> <p>(i) Fire control room telephone no;</p> <p>(ii) Message from RT set from police city control room/District control room;</p> <p>(iii) Message through MDT set of 112;</p> <p>(iv) Telephonic call of officials/colleague /etc;</p> <p>(v) Person himself conveys the message through physical presence;</p> <p>(c) On receipt of call, the fire control room operator shall note down all the information viz- location, type of emergency, any injury/casualty, other relevant information;</p> <p>(d) After that fire control room operator shall sound the alarm as per the prevailing codes of declaring emergency-</p> <p>(i) One long siren – Rescue;</p> <p>(ii) Three long siren – Fire Call;</p> <p>(iii) Continuous long siren – Major Fire</p> <p>(e) The fire control room operator/day officer of fire station shall communicate the emergency to in-charge fire station and control room –Fire Service Directorate, Lucknow. Simultaneously, the operator shall hand over the filled incident location parchi to the crew commander of the turnout.</p> <p>(f) The turnout from fire station shall be as given in Schedule-IV.</p> <p>(g) All the emergencies shall first be evaluated by the first turnout commander on arriving at incident site and if he finds that the situation is different (lower or higher in terms of risk) from as communicated, he shall inform the higher authorities and fire station control room for further needful action as per the established procedure.</p> <p>(h) Notwithstanding the deployment of the resources in Schedule-IV, it shall be the prerogative of the senior most fire officer present at site, to reduce or enhance the resources for controlling emergency.</p>
---	--

35. (1) The officiating in-charge of fire station or any other fire officer of field formation so appointed by the State Government under the Act shall have an authority to deploy resources including equipments and fire personnel in all such emergency situations that may arise and comes to his notice by any means in his area of jurisdiction on direction of In-charge of fire district of Fire sub-district, as the case may be.

Deployment of resources

(2) On receipt of fire/ emergency call within the jurisdiction of fire station, the officiating in-charge shall immediately deploy the fire and emergency resources at site and if, deployment of resources is required outside the area of jurisdiction of fire station than in-charge of fire station shall obtain the permission from immediate higher authority of fire and emergency service and deploy the same.

(3) No charges for the deployment of fire and emergency resources shall be claimed, if fire or emergency call is attended at :-

- i. State/Central Government/recognized NGO managed hospital/ Nursing homes;
- ii. All State/Central Government buildings/offices;
- iii. State/Central Government/recognized NGO managed schools/training institutes;
- iv. Residential row houses, residential colonies *etc*;
- v. Fire/rescue in villages/forest/agriculture farms *etc*. (business / mercantile establishments excluded);
- vi. All rescue calls of animals/birds/human;
- vii. All Fire/Rescue calls of natural calamities/ terrorist attack /civil war/ riots *etc*;
- viii. Services render to Indian Army (all Cells)/Police/Paramilitary/*etc*;
- ix. Services render to VVIPs as instructed by the concern District Magistrate;
- x. Service as instructed by the concerned District Magistrate, clearly mentioning for waiver of charges;

(4) The nominal charges for providing resources by Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall be as per Schedule-V of these rules.

a. All the charges shall be for 08 hours. only (time shall be counted from starting of fire crew from the fire station. For extra time, same shall be charged accordingly. Minimum 08 hours charge (deployment charges) are applicable.

b. Mileage charge upto five kilometer road distance from the fire station shall be exempted.

(5) The deployment fee shall be enhanced at the rate of 10% of the fee under sub-rule (4) every year with effect from first April.

(6) Bill to be raised on the authority requesting for assistance.-After the arrival back from the place of deployment to the Fire Station, the crew-in-charge who accompanied the crew shall submit the details of the operation and mileage to the officer concerned for raising the bill on the District Authority or any other authority who requested for assistance. For stand-by duty, advance payment shall be deposited by the authority concerned requesting for assistance.

(7) The extra territorial deployment under sub-rule (1) shall be under the charge of an officer not below the rank of a Fire Station Officer.

36. (1) The officiating In-charge of fire stations on receipt of any demand by crew commander or if he comes to know of demand by himself, he may directly takeover the services from local authorities under the intimation to fire service in-charge at district level.

(2) The charges shall be payable to the local authority from which the resources have been taken over, as given in Schedule-V. The said charges shall be paid directly by Uttar Pradesh Fire and Emergency Service, to the local authority which rendered the service, within 15 days upon receipt of demand. In case of non-receipt of payment within 30 days of demand raised, a penal interest at the rate of Rs.50/day shall be payable to the local authority, if it demands the same. The demand receipt shall be certified /verified by the fire service in-charge at district level and shall forward for payment to the Directorate.

Charges for hiring resources from local authorities by the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services

Fighting the
fires

37. (1) The Uttar Pradesh Fire and Emergency Service In-charge of fire regions, Fire District, Fire Sub-District and officer In-charge of Fire Station in the respective area of their jurisdiction, shall have the authority to plan, organize and deploy resources, whether personnel or equipments in such a manner as decided by the Fire Service Directorate to ensure optimum saving of human life and property in danger of fire and/or emergency risk with safety of fire personnel. The seniormost fire officer, Uttar Pradesh Fire and Emergency Service present at site of incident shall have an authority of incident commander for emergency and rescue operations and all the resources and helps extended by other agencies shall be deployed under his command to ensure a unified and co-ordinated response to deal with the emergency or disaster.

(2) Instructions regarding fighting fires as laid down in technical and drill manual issued by the Directorate shall be observed. The-charge of fire regions, Fire District, Fire Sub-District and Officer In-charge of Fire Station in the respective area of their jurisdiction shall ensure that the members of fire service subordinate to them are adequately trained and have adequate topographical and tactical knowledge of fire hazards prevalent therein.

CHAPTER VIII

Water Supply

Water Supply

38. During the firefighting operations, the Director Fire and Emergency Services or the Officer In-charge of Fire District or Fire Station having jurisdiction in the area shall be able to draw water from any local authority or private entity having the source of water under their possession at the rates as mentioned in Schedule-V.

Adequate
supply of
water for fire-
fighting

39. (1) Notwithstanding anything contrary to the provisions in any State Act or rules for time being in force, the Deputy Director or the Chief Fire Officer or any other Superior Fire Officer, as the case may be, may require the authority having jurisdiction to provide hydrants at strategic locations on the public mains or private mains of not less than 150 mm diameter on payment of charges as specified by the State Government.

(2) The residual pressure at the hydrant shall not be less than 1.5 bar (20 lbs. per square inch).

(3) There shall be provided near each hydrant, an identification plate showing hydrant number and size of mains and each such hydrant shall be maintained by the authority which provided the hydrant.

CHAPTER -IX

General Measures and Emergency Provisions relating to Fire Prevention and Life Safety Measures

Minimum
standards
for fire
prevention
and fire
safety for
permanent
structure/
buildings or
premises

40. (1) For the purpose of achieving adequate fire and life safety measures in a building or premises as required under sections 23 and 26 of the Act, the minimum standards for fire prevention and fire safety shall be determined with respect to the height, cover area and class of occupancy of such building or premises as are warranted in the bye-laws and relevant code and standards as applicable to such building at the time of construction or approval of the map thereof, namely,-

- i. access to building
- ii. number, width, type and arrangement of exits
- iii. smoke management system in controlled environment building
- iv. fire extinguishers
- v. first-aid hose reels
- vi. automatic fire detection and alarming system
- vii. public address system
- viii. automatic sprinkler system

-
- ix. internal hydrants and yard hydrants
 - x. pumping arrangements
 - xi. captive water storage for fire fighting
 - xii. exit signage
 - xiii. fire Lifts
 - xiv. standby power supply
 - xv. refuge area
 - xvi. special fire protection systems for protection of special risks, if applicable
 - xvii. Manually Operated Electronic Fire Alarm system (MOEFA)
 - xviii. Electrical safety audit report issued by Govt. electrical safety department or Contractor authorized by Government Electrical Safety department by State Government
 - xix. certificate for installation of fire protection system by Qualified Agency as applicable
 - xx. appointment letter of fire safety officer, if required
 - xxi. safety certificate of lift issued by the competent authority, if required:

Provided that these norms shall not be applicable to all type of buildings requiring fire safety certificate, rather the requirement shall be assessed purely on the basis of cover area, height and type of occupancy of the building as detailed in bye laws, National Building Code or relevant Act, rules and standards as applicable to such building.

(2) The provision of fire and safety shall be applicable in all types of buildings (whether constructed or under construction or proposed for construction) and shall be assessed only from fire and life safety point of view on the basis of standards mentioned in sub-rule (1) and it will be mandatory to assess the buildings, whether constructed or under-construction buildings.

(3) In order to provide fire safety of buildings under section 23 of the Act for such classes of occupancies or buildings or premises for which fire prevention and fire safety measures are not provided in the bye-laws expressly but is required in the interest of public safety, the Director General with approval from the Government may require the owner or occupier of such occupancies or buildings or premises to provide fire prevention and fire safety measures in accordance with the international standards as per the procedure details in various rules made thereof.

(4) The water required for firefighting in any building shall be stored either in underground tank(s) or in overhead tank(s) and/or combination of both. But in no case the stored quantity shall be less than required under relevant standards.

(5) Access to the building shall mean the availability of means of approach to each floor of the building or to nearest point of the building in case of emergency situation for firefighting and/or rescue operations at least from one side like-road or permanent open space *etc.* and shall be mandatory for approach during emergency situations.

41. (1) Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax or modify or any requirement concerning fire prevention and fire safety measures under these rules with respect to any class / occupancy in any building or premises in special areas or in respect of any building or premises in any area that was constructed or which was under construction prior to the date of commencement of these rules.

Relaxation and
Modification
in Fire Safety
Measures

(2) In case, the width of staircases is less than that required as per the prevailing rules applicable at that time but the numbers of staircases have a cumulative exit width according to the occupant load as required under the rules, then such arrangement shall be deemed to have complied with the norms.

Permanent Structures not requiring certificate from Qualified Agency

42. (1) Such permanent buildings or premises as mentioned in the table below shall not require a certificate from the qualified agency.

Sl. No.	OCCUPANCY	DESCRIPTION
1	Residential (Excluding buildings categorized as hotels)	Buildings height below 15m.
		Buildings with single basement having covered area less than 500 Sqm.
2	Educational	Buildings having height below 9m and floor area less than 500 Sqm. and with single basement having covered area less than 500 Sqm.
3	Institutional (Nursing home, Hospitals <i>etc.</i>)	Buildings having height below 9m and plot area less than 1000 Sqm. and with single basement having covered area less than 500 Sqm.
4	Business (Office, banks, Labs, Library, Data processing centers, IT parks <i>etc.</i>)	Buildings having height below 10m and floor area less than 500 Sqm. and with single basement having covered area less than 500 Sqm.
5	Mercantile (Shops, Markets, Departmental stores <i>etc.</i>)	Buildings having height below 15m with floor area less than 500 Sqm. and with single basement having covered area less than 500 Sqm.
6	Industrial	
	Low Hazard	Buildings having covered area less 500 Sqm. and height less than 15m.
	Moderate Hazard	Buildings having covered area less 500 Sqm.
7	Storage	Buildings having covered area less 250 Sqm.
8	Any type of Occupancy	Building being used for any occupancy where only fire extinguishers are required for fire protection as per the requirement of relevant codes and standards as applicable to such buildings.

(2) The aforesaid table shall not constitute an exhaustive list of particulars where the certificate from Qualified Agency is not necessary. The State Government may review the necessity of obtaining certificate from the Qualified Agency from time to time.

Issuance of Fire Safety Certificate

43. (1) In order to obtain Fire Safety Certificate, owner shall apply for the same in Form A-11 attaching all relevant maps, drawing and other documents mentioned on the online portal of fire service. Alternatively, the owner can appoint a representative, who shall be either a bonafide member of his family or a regular employee, in this regard through a power of attorney. Such power of attorney shall be uploaded by the representative on the official online fire service portal integrated with Nivesh Mitra portal along with other documents. No person other than the owner or his representative shall canvass or pursue for obtaining Fire Safety Certificate.

In case of violation of this rule, the unauthorized person or imposter who canvases for obtaining Fire Safety Certificate shall be liable for punishment under section 39 of the Act.

(2) The application for grant of Fire Safety Certificate as mentioned in sub-rule(1) shall be made on the online portal of fire and emergency service to an officer not below the rank of Chief Fire Officer authorized by the Government by a general or special order and shall be accompanied with a certificate from the Qualified Agency and such other certificates as detailed in Form A-11 from owner or occupier to the effect that all the fire prevention and fire safety measures as required under rule-40 have been incorporated in the building or premises.

(3) On receipt of the application through the online portal of fire and emergency service made under sub-rule (1) and (2), the building or premises shall be inspected by Fire Station Officer or Fire Station Second Officer having jurisdiction in the area under the section 29 of the Act with a view to ascertain the availability and operability of the fire prevention and fire safety measures as mentioned in rule -40 who shall send his report to an officer through the Chief Fire Officer of the fire district with recommendation for grant or refusal of Fire Safety Certificate, as per Schedule-VI on the online portal.

(4) Under the provisions of section 26 of the Act, for a building as categorized by area and height or hazard, a Fire Officer not below the rank of Chief Fire Officer as prescribed in the Schedule-VI shall issue a Provisional Fire Safety Certificate in "Form A-12" and Fire Safety Certificate (Final/Renewal) in "Form A-13" to the owner or occupier of the building or premises with such conditions as may be specified in the Fire Safety Certificate for compliance of fire prevention and fire safety measures as specified under these rules.

(i) FOR EXISTING BUILDINGS- Whenever an application received for final or renewal fire NOC under section 26 from an individual or from any local authority or entity authority as defined in the Act, on the online portal of fire service in Form A-11, the inspecting officer as described in Schedule-VI shall evaluate the installed fire protection and life safety system on the basis of prevailing standards and executive instructions/Government Order at the time when such NOC was issued thereunder and in accordance with the measures as detailed in rule 40.

(ii) OTHER THAN EXISTING BUILDING- Whenever an application is received for Provisional, Final or Renewal Fire Safety Certificate as the case may be under section 26 from any local authority or entity authority as defined in the Act, on the online portal of fire service in Form A-11, the Fire Officers as authorized in Schedule-VI shall issue such certificate in Form A-12 or "Form A-13"

(5) On receipt of the report under sub-rule (3) and (4), The Fire Officer as authorized in this behalf shall grant the Fire Safety Certificate in the relevant form or object or reject the same for reasons to be recorded in writing and communicate the same to the owner or occupier, as the case may be.

(6) In case of rejection of application for grant of Fire Safety Certificate a fresh application shall be made by the owner or occupier under sub rule (1) duly complying with the requirements as communicated under sub-rule (1) and (2).

(7) In case of objection to the application for grant of Fire Safety Certificate under this rule by the issuing authority as per Schedule-VI, owner or occupier of the building or premises as the case may be, against whom the objection was issued under sub-rule (5) and (6) shall comply with the objections so described within the time period stipulated in the notice and if the said objection are found in compliance with the fire safety measures as required, then the online application for Fire Safety Certificate shall be restored and issued as per Schedule-VI through online portal.

(8) (i) While issuing Fire Safety Certificate (Provisional Certificate in Form A-12 and Final / Renewal Certificate in Form A-13), the assessment of structural safety and adequacy of fire protection equipments shall be done not merely on the basis of sanctioned map issued by entity authority or local authority, as the case may be, but also on the basis of actual covered area, actual height, actual hazard and actual occupancy by inspecting, reviewing and issuing authorities.

(ii) For the issuance of Fire Safety Certificate, the applicant shall upload the sanctioned map of the building on the official online portal like www.niveshmitra.gov.in, www.upfireservice.gov.in, etc. :

Provided that uploading of sanctioned map may not be mandatory in case where any Government body, entity authority or local authority seeks the issuance of Fire Safety Certificate.

Duration of Fire Safety Certificate	<p>44. The Provisional, Final and Renewal Fire Safety Certificate issued under rule 43, unless sooner cancelled, shall be valid for a period of 5 years for residential buildings (other than hotels) and for a period of 3 years for non-residential buildings except hotels, hospitals, assembly, hazardous storage and high hazard industrial occupancies, which shall have the validity of one year from the date of issue:</p> <p>Provided that the State Government by a general or special order reduce or increase such period of validity of Fire Safety Certificate after recording the reasons therefor.</p>
Renewal of Fire Safety Certificate	<p>45. (1) Application for renewal of Fire Safety Certificate granted under rule 43 shall be made on the online portal of Fire and Emergency Service, in Form A-11 along with a copy of the Fire Safety Certificate, one month prior to the date of expiry of the Fire Safety Certificate.</p> <p>(2) On receipt of an application made under sub-rule (1), the Fire Station Officer having jurisdiction shall inspect the building or premises to verify the compliance of rules and forward the report of the compliance or otherwise, to the Fire Officer/Fire Officers as per Schedule-VI concerned.</p> <p>(3) On receipt of report under sub-rule (2) and following the procedure, the issuing officer shall renew or reject the application duly recording the reasons therefor.</p> <p>(4) The owner or occupier of such buildings as specified in the Act shall furnish a certificate in the months of January and July each year regarding the maintenance of fire prevention and life safety measures in a building or premises being in good repair and efficient condition as specified in section 26 of the Act in "Form A-8".</p>
Cancellation of Fire Safety Certificate and Action for violation of provisions of the Act or rules or directions issued thereunder	<p>46. (1) On receipt of an information or complaint from any person or after <i>suo-moto</i> inspection carried out under various sections of the Act, Fire Station Officer having jurisdiction in the area, on having found the violation of the mandatory provision under which the Fire Safety Certificate was granted, shall note the observation of violations and shall submit it to the fire officer who has issued Fire Safety Certificate through the In-charge of Fire District and/or in-charge of Fire Sub-District. The fire officer who had issued the Fire Safety Certificate under Schedule-VI shall issue a show cause notice within 24 hours of receipt of such observation for cancellation of the Fire Safety Certificate issued after giving the owner or the occupier or person authorized by them the case may be, an opportunity to show cause within fifteen days of the date of service of notice for,-</p> <p>(i) violation of any of the provisions of the Act or these rules or any of the conditions prescribed in the Fire Safety Certificate; or</p> <p>(ii) non-compliance or incomplete compliance of directions issued under the Act or these rules; or</p> <p>(iii) preventing inspection under the Act and these rules, either by obstruction or non-cooperation <i>etc.</i></p> <p>(2) On failure of compliance from the owner or occupier, the Fire Officer who had issued Fire Safety Certificate under Schedule -VI, shall get confirmation of violation of the conditions from the Fire Station In-charge and In-charge of Fire District. He shall report the matter to the Licensing Authority concerned, to cancel the licence for operation of such building or premises as cinema hall and multiplex, clinical establishments, factory, hotel, warehouse and cold storage or any business, trade, profession or activity <i>etc.</i> whatsoever, for which such licence was required.</p> <p>(3) In order to ensure the safety of immediate life and property in a building or premises which is non-compliant or has incomplete compliance, the in-charge of Fire District shall report the matter to the authority in Form A-19 to take suitable action.</p> <p>(4) If the Licensing Authority does not act as per the report, the Fire Officer In-charge of Fire District, as the case may be, may take steps initiating the procedure for sealing as per rule 47 and may start prosecution after recording the reasons therefore.</p>

<p>47. (1) On receipt of report from the fire officer having jurisdiction in the area that such building constitutes a risk to property and human life, the officer in-charge of the fire service of the Fire District shall verify the facts and submit a report to the officer in charge of the Fire Region, who on confirmation of veracity of the report by physical inspection, himself or through a committee of Fire Officers, shall submit the report to Director General, Fire and Emergency in this regards to seal such place or premises under section 58 of the Act.</p>	<p>Procedure for sealing of building or a part thereof</p>
<p>(2) On receipt of such report or <i>suo-moto</i> the Director General, Fire and Emergency Services shall instruct the in-charge of Fire District concerned to seal such places or premises.</p>	
<p>(3) Where a place or building or premise or a part thereof is sealed under this rule, an inventory of the material found in such place or building or part thereof shall preferably be prepared in the presence of two independent witnesses and a copy thereof shall be delivered to the owner or occupier, if present at the site. The inventory and panchnama shall be used for preparation of reports by the committee.</p>	
<p>48. Photocopies of the Fire Safety Certificate issued under rule 43, shall be framed and displayed at all conspicuous places, including corridors, lobbies and floors of towers or blocks of building or premises and temporary structure, for information of general public.</p>	<p>Public display of Fire Safety Certificate at conspicuous places in the building or premises and temporary structure</p>
<p>49. (1) A person or association of persons who are termed as Qualified Agency under section 26 of the Act shall be responsible for carrying out the work of installation of fire prevention, life safety and fire protection measures in buildings classified under sub-section (3) of section 26 of the Act.</p>	<p>Scope of Qualified Agency</p>
<p>(2) The owner or occupier, as the case may be, shall be responsible for optimum functioning of the installed fire prevention, life safety and fire protection measures in buildings classified under sub-section (3) of section 26 of the Act.</p>	
<p>(3) The owner or occupier may engage any Qualified Agency as defined in rule 50, which shall be responsible for keeping such installations in optimum working condition.</p>	
<p>50. No person or association of persons shall be eligible to apply for grant of licence to Act as a Qualified Agency unless he has technical specialization in the field of fire from a recognized University and has sufficient domain knowledge and accomplishments in the field of fire service.</p>	<p>Eligibility for Qualified Agency</p>
<p>51. (1) A person or an association of persons who intends to Act as a Qualified Agency as specified under sub-section (5) of section 26, for carrying out work of installation of fire prevention, life safety and fire protection system measures in building or premises or temporary structure, shall make an online application for obtaining licence in "Form A-5" along with a fees of Rs-10,000/- to the In-charge of Fire District of Fire and Emergency Services, through online portal of the Fire and Emergency Services.</p>	<p>Application to Act as 'Qualified Agency'</p>
<p>(2) The In-charge of Fire District of Fire and Emergency Services shall, on verification of the credentials of the Qualified Agency, forward the said application with recommendation or otherwise to the Director General of Fire and Emergency Services, who on the careful consideration of the qualification and experience required as per rule 50 shall empanel them as Qualified Agency and shall issue a licence online in Form A-6 subject to the condition that,-</p>	
<p>(i) The licence shall be non-transferable.</p>	
<p>(ii) Changes, if any, in respect of Partners, Directors, members or address of the office of the Qualified Agency, shall be forthwith reported to the Authority issuing the licence.</p>	

Liabilities of Qualified Agency	52. The Qualified Agency shall always keep the work executed or being executed by it, open for inspection by the Fire District or Fire Sub District In-charge or Fire Officer or any other officer authorized in this behalf by the Director General, Fire and Emergency Service or the Prescribed Authority.
Violation of conditions by Qualified Agency and suspension / cancellation / revocation of licence to Act as Qualified Agency	<p>53. (1) The licence of the Qualified Agency may be cancelled or suspended for a period of time which may extend to 1 year or the Qualified Agency may be permanently debarred by the Director General on the receipt of complaint of any anomaly found in the installation of fire prevention, life safety and fire protection system measures and in issuance of the certificate issued by the Qualified Agency under sub section (5) of section 26 of the Act.</p> <p>(2) On receipt of such complaint, a committee of Fire Officers shall be appointed by the Director General in this regard which shall enquire into the alleged malpractices. On confirmation of these anomalies, the procedure of suspension or cancellation of the Certificate/licence of Qualified Agency shall be done after giving due opportunity of hearing to the Qualified Agency and after issuance of show cause notice in this regard as per Form A-7.</p> <p>(3) After the period of suspension of the licence, a committee of Fire Officers appointed by the Director General may revoke such licence after re-submission, re-verification and establishment of prescribed credentials.</p> <p>(4) Where any person to whom the licence has been granted, contravenes any of the provisions of the Act or of the rules or fails to comply with the conditions of the licence or becomes unfit by reason of incompetency, misconduct or any other grave reasons, a notice in "Form A-7" shall be given to such person to show cause as to why the licence granted to him to Act as Qualified Agency should not be suspended or cancelled or penal action should not be initiated under these rule and section 39 of the Act.</p>
Certificates to be issued by Qualified Agency	54. A certificate regarding the compliance of the fire prevention and life safety measures in a building or a part thereof as required by or under the provisions of the Act, shall be issued by a Qualified Agency in "Form A-4".
Appointment of Fire Safety Officer	<p>55. (1) For the purpose of effective fire prevention and life safety measures, every owner or occupier shall appoint a Fire Safety Officer for such buildings as per Schedule-VII of these rules, within a period of six months from the commencement of the Act, having prescribed qualifications and experience in the field of fire service as specified by the State Government or the Committee constituted by Director General.</p> <p>(2) The compliance report to this effect in Form A-4 shall be sent by the owner or occupier to the Officer in-charge of fire district and/or Fire Sub-District having jurisdiction.</p> <p>(3) On the receipt of the compliance report made under sub-rule(2), the officer In-charge of fire district shall, after due verification of credentials of the candidate, start a week-long orientation programme/training at Fire Station and issue a certificate of enrolment of appointment of the Fire Safety Officer, under the seal and signature in "Form A-9".</p> <p>(4) In case of failure to appoint a Fire Safety Officer as specified in sub-rule (1), the In-charge of Fire District having jurisdiction shall, after giving an opportunity of being heard, communicate to the relevant authority to take appropriate action for discontinuance of the use or closure of the building or premises or the factory, as the case may be.</p> <p>Explanation – For the purpose of this rule, 'relevant authority' shall mean:-</p> <p>(i) for Institutional Buildings – Chief Medical Officer, Indian Medical Council <i>etc.</i>;</p> <p>(ii) for Educational Buildings- Basic Education Officer, District Inspector of School <i>etc.</i>;</p> <p>(iii) for Industrial Buildings – Director of Factories, Petroleum and Explosive Safety Organization <i>etc.</i>;</p> <p>(iv) any other occupancy – Authority granting licence to operate the establishment.</p>

(5) The safety officer so appointed for the premises/ building under this rule shall be a qualified fire professional having sufficient domain knowledge and experience in fire safety. Priority shall be given to such candidates who have diploma/certificate from National Fire Service College, Nagpur and any training institutions of Uttar Pradesh Fire and Emergency Service or any other institute recognized by the Government.

56. (1) Under section-26 of the Act, the occupier or owner of the building or premises after getting a certificate from Qualified Agency appointed under the Act, as the case may be, shall declare every year in the month of January and July in Form-A8 on the online portal of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services that fire prevention and fire safety measures provided in the building or premises are intact and operable.

Liability to maintain fire safety measures

(2) It shall be lawful for the Fire Station Officer or an officer or group of fire officers nominated by a superior officer having jurisdiction, to enter and inspect the building or premises, as the case may be, in manner as given under section-29 of the Act with a view to verify the correctness of the declaration made under rule-40 and shall report the shortcomings if any, to the officer in-charge of fire district. The district officer in charge of the fire service shall issue a notice in Form-A15 to the owner or occupier of the building, as the case may be, for removal of such shortcoming within a specified period of time not exceeding 30 days.

(3) If the directions of the district officer in-charge of Fire and Emergency service are not complied within the specific time limit so given, then such building shall be declared unfit/unsafe from fire safety point of view and action shall be taken under sections-36 and 39 of the Act.

(4) The owner or occupier of the building or premises, as the case may be, against whom the notice was issued under these rules, shall comply with the instructions so described in the stipulated period of time of the notice and if the fire safety measures as required are found complied with then, after the inspection procedure as detailed in rule-40 shall be restored.

57. Whenever an inspection is carried out by the fire officer having jurisdiction in the area, to ensure that the provisions of sections-23 and 25 of the Act are complied with, then such inspection report shall be given in "Form-A16" to the In charge of fire district having jurisdiction, who after careful perusal of such report, shall issue a notice in "Form-A15" to the owner or occupier of building or premises for removal of such goods likely to cause fire, to a place of safety within a period as specified in the notice.

Notice for the removal of objects or goods likely to cause the risk of fire

58. (1) On failure to comply with the directions given under rule 57 and sections 23 and 25 of Act, the In-charge of fire district shall send report to Sub-Divisional Magistrate having jurisdiction of the area for appropriate action with respect to the removal of objects or goods likely to cause the risk of fire in the building and/or premise. The Sub-Divisional Magistrate having jurisdiction of the area shall take such actions as enumerated under section 25 of the Act within fifteen days.

Non compliance of directions

(2) Where any objects or goods involving risk of fire are required to be seized, detained or removed, the inspection and further procedure of seizure and detention shall be carried out in following manner:-

(a) a notice of inspection shall be given by the Sub- Divisional Magistrate and the inspection shall be carried out along with Fire Officer and Police Station- In charge having jurisdiction in the area;

(b) having ascertained the inadequacy of safety measures and imminent danger of fire or explosion that the aforesaid objects or goods possess, the Sub-Divisional Magistrate shall require the persons in possession or occupation of the building or premises or part thereof, to remove themselves from there forthwith;

(c) an inventory of the said goods or objects which are likely to cause fire or explosion shall be made in the format (Panchnama) given in Form A-17 and the said goods shall be removed from such building or premises in a safe manner as may be required in accordance with the nature of the objects or goods, and a copy of the said Panchnama shall be sent to the In-charge of Fire District.

Minimum standards for fire prevention and fire safety measures for temporary structure etc.

59. (1) The minimum standards for fire prevention and fire safety for temporary structure such as mandap, shamiyana or tents or pandal for the purposes of the Act, shall be in accordance with IS: 8758:1993 published by the Bureau of Indian Standards, New Delhi.

(2) The aforesaid standards shall be complied with by the owner / organizer / erector of mandap, shamiyana, tents or pandal and shall relate to the following matters, namely:-

- (i) access to temporary structures etc;
- (ii) open space around the temporary structures etc;
- (iii) distance from medium and high voltage electrical wires and hazardous installations;
- (iv) means of exits;
- (v) material of construction;
- (vi) first-aid fire fighting arrangements and spraying of fire retardant material etc;
- (vii) water storage for fire fighting;
- (viii) electrical wiring duly certified by concerned department/authorized electrical contractor;
- (ix) availability of trained fire-fighting staff.

Form of declaration for Fire Prevention and Fire Safety measures of temporary structure etc.

60. (1) The owner / organizer / erector of temporary structures such as mandap, shamiyana, tents or pandal shall, for the purposes of due compliance of the Act, make a declaration in Form-A18 along with a layout plan showing access, open spaces, means of exit of proposed mandap, shamiyana, tents, or pandal open spaces to the effect that adequate fire safety measures have been taken as provided in rule 59 which shall be submitted to In-charge Fire District before 24 hours of the programme.

(2) The owner / organizer / erector of temporary structures such as mandap / shamiyana / tents / pandal shall display such declaration at a prominent place in the mandap / shamiyana / tent/ pandal.

Verification of Fire Prevention and Fire Safety measures of temporary structure etc.

61. (1) In order to verify the self declaration by the erector of mandap, shamiyana or tents or pandal, the Director or the Fire Station Officer not below the rank of Fire Station Second Officer in his area of jurisdiction, a fire officer as mentioned in Table given below as authorized by the Director may enter such mandap, shamiyana or tents or pandal or temporary structure in his area of jurisdiction to find out any shortcomings or deviation from the safety measures as claimed in the declaration form by owner/organizer of such event.

TABLE

Sr.No.	Temporary Structure Covered Area	Inspection Authority	Reviewing Authority	Licence Issuing Authority	Remark
1	up to 2,000 Sqm.	Fire Station In charge not below the rank of FSSO.	Sub-Fire District In-charge.	Sub-Fire District In-charge	In case of class "B" fire district, the Fire district in-charge will be the Licence Issuing Authority.
2.	More than 2,000 Sqm. or special occasion of national repute to be attended by VVIPs.	Fire Station In charge not below the rank of FSSO.	Sub-Fire District In-charge or fire district in-charge	Fire District In-charge	In case of class "B" fire district, the officer in charge of Fire region will be the Licence Issuing Authority.

(2) On finding the shortcomings, the erector of the pandal shall be issued a notice in Form-A3 and Form-A10 regarding the shortcomings with direction to correct them within the next **04** hours from the time of receipt of such notice.

62. (1) If the owner/organizer / erector of pandal, mandap, shamiyana or tents or temporary structure fails to execute or correct the shortcomings as pointed out by the inspection authority, the mandap, shamiyana, tents, pandal or temporary structure shall be declared unfit/unsafe from fire and safety point of view by the In-charge of fire district and/or sub district on the basis of fire station officer inspection report.

(2) The report of the said pandal / mandap / shamiyana / tent being unsafe shall be sent by the In-charge of fire district to the Sub-Divisional Magistrate, in whose territorial jurisdiction the mandap, shamiyana or tents or pandal or temporary structure is situated, to seal the temporary structure.

(3) On receipt of a report under rule 61 and sub-rule (2) of this rule, the Sub-Divisional Magistrate **on getting an approval from the District Magistrate in this regard**, shall give a notice served, to be served in such a manner as he may think fit and with a reasonable opportunity of showing cause, against the removal of encroachment or objects or goods likely to cause a risk of fire or obstruction to firefighting.

(4) After giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation under sub-rule(3) **and having noticed the imminent danger to public at large on account of continued violation of the requirement of minimum fire and life safety measures**, the Sub-Divisional Magistrate may make an order to seize, detain or remove such encroachments or objects or goods and **also may seal such temporary structure**.

(5) The person charged with the execution of the order as made under sub-rule (4), shall forthwith make an inventory of the objects and goods which he seizes under such order; and shall, at the same time, give a written notice in this behalf to the person in possession of the said objects or goods at the time of seizure, that the same will be auctioned as therein mentioned if they are not claimed within the period stipulated in the said notice.

(6) On the failure of the person, in whose possession the objects or goods were at the time of seizure, to claim the seized goods pursuant to notice given under sub-rule(5), the Sub-Divisional Magistrate and the In-charge of fire district or/and sub-district jointly shall sell them in accordance with the public auction policy of the State Government.

63. The Fire Safety Certificate for mandap, shamiyana or tents or pandal or any temporary structure erected or plan to be erected shall be issued by Fire Officer of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services in the manner as given in the table below:-

TABLE

Sr. No	Temporary Structure Covered Area	Inspection Authority	Reviewing Authority	Licence Issuing Authority	Remark
1	up to 2,000 Sqm.	Fire Station In charge not below the rank of FSSO.	Sub-Fire District In-charge.	Sub-Fire District In-charge.	In case of class "B" fire district, the Fire district in-charge will be the Licence Issuing Authority.
2.	More than 2,000 Sqm or special occasion of national repute to be attended by VVIPs.	Fire Station In charge not below the rank of FSSO.	Sub-Fire District In-charge or fire district In-charge.	Fire District In-charge.	In case of class "B" fire district, the officer in charge of Fire region will be the Licence Issuing Authority.

Sealing of temporary structure etc. for non compliance of fire prevention and fire safety provisions

Issuing of Fire Safety Certificate for the temporary structure erected or plan to be erected

Supervision
by two tier
committee

64. The following two-tier Committees shall be constituted in relation to the regular supervision and review of any proceedings under the Act and Rules and management of their ancillary matters:-

(A) District Level Grievance Redressal and Monitoring Committee-

(1) Action taken under the Act, including the proceedings of Approval and Cancellation of Fire Safety Certificate, grant of licence to act as a Qualified Agency, removal of objects or goods likely to cause the risk of fire, Appointment of Fire Safety Officer and the cases decided, shall be reviewed from time to time by the District Level Grievance Redressal and Monitoring Committee.

(2) Essentially, the Fire Officers who have dealt a case under the Act and who are dealing the same shall be present with all the relevant records and information.

(3) The said District Level Grievance Redressal and Monitoring Committee shall be constituted by the State Government of such fire officers as may be decided from time to time.

(4) The Committee shall be empowered to take all necessary actions and to redress any complaint regarding the act of fire officers.

(5) Minutes of the decisions taken and the review made in the said District Level Grievance Redressal and Monitoring Committee shall be compiled and sent to the Fire and Emergency Service Directorate Level Grievance Redressal and Monitoring Committee and the Home Department of the Government of Uttar Pradesh as soon as possible with the signature of the Chairperson of the said committee.

(B) Directorate Level Grievance Redressal and Monitoring Committee-

(1) Action taken under the Act, including review of the decisions taken by District Level Grievance Redressal and Monitoring Committee and grievances of stakeholders against the decision of District Level Grievance Redressal and Monitoring Committee, a Grievance Redressal and Monitoring Committee shall be constituted at Directorate level.

(2) The Directorate Level Grievance Redressal and Monitoring Committee shall consider the quarterly review report of the District Level Grievance Redressal and Monitoring Committee and the action taken by it under this Act;

(3) The disposed cases will be compulsorily reviewed by the Directorate Level Grievance Redressal and Monitoring Committee in every three months. If the Chairperson finds it expedient, he may convene the meeting even before the said period.

(4) The said Directorate Level Grievance Redressal and Monitoring Committee shall be constituted as under :-

- (i) Director, General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services - Chairperson;
- (ii) Director, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services - Member;
- (iii) Joint Director, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services – Member;
- (iv) In-charge Fire Region- Member.

(5) The Committee shall be empowered to take all necessary actions and to redress any complaint regarding the act of fire officers.

(6) Minutes of the decisions taken and the review made in the said Directorate Level Grievance Redressal and Monitoring Committee shall be prepared and sent to the Home Department of the Government of Uttar Pradesh as soon as possible with the signature of the Chairperson of the said Committee.

CHAPTER-X
COMPOUNDING OF OFFENCES

65. Under section-41 of the Act, the violation of the following shall be compounded to the limit of fine accrued therefor :

Compounding
of offences

Provided that no compounding shall be applicable for omission of installation of mandatory provisions as required under rule 40 and 59;

Sl.No.	Violation of Act	Recommending Authority	Compounding Authority	Maximum amount to be compound (in Rs.)
1	Chapter-IV of Act	Fire Station officer In-charge their jurisdiction	In-charge of Fire District	20000/-
2	Section-33 of Act	Fire Station officer In-charge their jurisdiction	In-charge of Fire District	20000/-
3	Section-34 of Act	Joint Director, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services	Director, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services	50000/-
4	Section-35 of Act	Fire Station Officer In-charge of their jurisdiction	In-charge of Fire District	1000/-
5	Section-36 of Act	In-charge of fire district	Joint Director of Fire Region	10000/-
6	Section-37 of Act	Fire Station Officer In-charge of their jurisdiction	In-charge of Fire District	10000/-
7	Section-38 of Act	Fire Station Officer In-charge of their jurisdiction	In-charge of Fire District	10000/-
8	Section-39 of Act	Director, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services	Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services	-----

CHAPTER –XI**APPEAL****Appeal**

66. (1) The following officers as enumerated in the table below shall be the Appellate Authority for the purposes of section 45 of the Act :-

Sl. No.	Appeal Against An Order Of	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1.	Chief Fire Officer, Fire and Emergency Services	Joint Director, Fire and Emergency Services	Director, Fire and Emergency Services
2.	Sub District Magistrate	District Magistrate	Divisional Commissioner
3.	Deputy Director, Fire and Emergency Services	Joint Director, Fire and Emergency Services	Director, Fire and Emergency Services
4.	Joint Director, Fire and Emergency Services	Director, Fire and Emergency Services	Director General, Fire and Emergency Services
5.	Director, Fire and Emergency Services	Director General, Fire and Emergency Services	Secretary, Home Department, Government of Uttar Pradesh
6.	Director General, Fire and Emergency Services	Secretary Home Department, Government of Uttar Pradesh	Principal Secretary, Home Department, Government of Uttar Pradesh

(2) An appeal to the First Appellate Authority under Section-45 of the Act shall be preferred in Form-A21 and shall be accompanied by a copy of order or notice appealed against and by a fee of Rs.-1,000/- (Rupees one thousand only) through a bank draft drawn in favour of the Appellate Authority.

(3) The First Appellate Authority shall consider all the circumstances of the case and after making necessary inquiry, shall pass such orders as it may deem just and proper.

(4) In case the aggrieved person is not satisfied from an order of the First Appellate Authority, he may also prefer an appeal to the Second Appellate Authority within 30 days from the date of order appealed against, accompanied by a copy of the order of the First Appellate Authority and by depositing a fee of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) through a bank draft drawn in favour of the Second Appellate Authority payable to concerned Drawing and Disbursing Officer.

(5) The Second Appellate Authority shall consider all the circumstances of the case and after making necessary inquiry, shall pass such orders as it may deem just and proper and its order shall be final.

(6) Form of Second Appeal to the Second Appellate Authority against an order of First Appellate Authority shall be preferred in Form-A22.

(7) The authority which made the order or issued the notice on which the appeal was preferred shall give effect to the order passed by the Appellate Authority.

CHAPTER –XII**TRAINING**

67. (1) The State Government may maintain minimum one Uttar Pradesh State Fire and Emergency Training Institute and one or more regional Fire and Emergency Training Institutes.

Establishment of
Fire and
Emergency
Institute

(2) The State Government may depute such fire officers of Fire and Emergency services of competent ranks and in such number for smooth functioning of the Uttar Pradesh State Fire and Emergency Training Institute and regional Fire and Emergency Training Institutes.

68. (1) The external trainees who are not on the roll of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall pay, at the time of admission, training charges as detailed in the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Training Manual through demand draft payable to the Commandant, Uttar Pradesh State Fire and Emergency Training Institute:

Training Charges

Provided that the trainees on the roll of Uttar Pradesh Fire and Emergency Service shall not be liable to pay training charges.

(2) The Commandant, State Fire and Emergency Training Institute shall remit or cause to remit to the Director, Fire and Emergency Service at the end of each course the total sum of the training charges received under the heads of tuition fee, laboratory charges, fire ground operation charges and accommodation charges.

(3) The Director, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall maintain a separate head for remitting the training charges received and shall utilize the same for providing amenities like sports facilities (indoor and outdoor) and indoor recreation facilities to the trainees.

(4) If any trainee decides to withdraw from the course before the date of closing of training schedule for any reason or is expelled from the course by the Principal/Commandant, State Fire and Emergency Training Institute, he shall not be entitled to refund of training charges remitted by him or part thereof.

(5) On admission of an trainee to a course, if he is allotted accommodation, he shall be required to deposit a sum of rupees two thousand only as security deposit by way of a bank draft, drawn to the Principal, State Fire and Emergency Training Institute:

Provided that the trainees on the roll of Uttar Pradesh Fire and Emergency Service shall not be liable for payment of such Security deposit.

(6) The aforesaid security deposit shall be refunded at the end of the course after verifying that all articles made available to the trainee are in good condition and no loss has been caused to the exchequer during the training due to his conduct.

69. (1) All Fire Officers above the rank of Fire Station Officer shall undergo at least two refresher training sessions of minimum three days each with respect to fire engineering including fire management and administration skills at any reputed national/ international institute in every three years, including study tours and exchange programs to enhance the technical and professional acumen of the members of Fire and Emergency Service to various countries with advance and developed fire or other emergency services, and shall undergo at least seven days attachment with advance local/State fire service at international/ national level once in every five years.

Training schedule
of departmental
employees

(2) All Fire officers of the rank of Fire Station Officer and below shall undergo at least one refresher training session of minimum three days with respect to fire engineering including fire management skills at any reputed national/ international institute in every five years, including study tours, exchange programs to enhance the technical and professional acumen of the members of fire and emergency service to various countries with advance and developed fire or other emergency services, and shall undergo at least fifteen days attachment with advance local/State fire service at international/ national level once in every seven years.

(3) All the members of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall undergo induction training program for a specific period and at the institutions, as mentioned in Uttar Pradesh Fire and Emergency Service Training Manual, at the time of their first joining in the department.

(4) All the members of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall undergo refresher induction training program for a specific period and at the institutions as mentioned in Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Training Manual at the time of their joining on a higher position on promotion.

(5) All the members of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall undergo refresher induction training program for a specific period and at the institutions as mentioned in Uttar Pradesh Fire and Emergency Service Training Manual time to time.

Training of
Gazetted
Officers of
Fire and
Emergency
Service

70. (1) All newly appointed Gazetted Officers of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Service shall undergo basic training of six months duration at the State Fire and Emergency Training Institute, Unnao or any other regional Fire and Emergency Training Institute, as the case may be, followed by three months training at the Uttar Pradesh Police Academy, Moradabad or any other professional institute of repute imparting fire and rescue training, one month administrative training at the Uttar Pradesh Academy of Administration and Management, Lucknow and two months field training at various Fire Services.

(2) The State Government may, however, as per need send Fire Officers to conferences, seminars and training *etc.* at national and international forums for learning new technology and updating the standards of fire and emergency service in the state.

(3) Subordinate officers/employees of the Uttar Pradesh Fire and Emergency service shall undergo training as decided by the Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Service.

Training
Manual

71. The Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency services shall publish Uttar Pradesh Fire and Emergency Service Training Manual within six months of the date of commencement of these rules.

CHAPTER –XIII

LEVY OF FIRE TAX, FEE AND OTHER CHARGES

Levy of Fire
tax

72. Fire tax shall be levied on lands and buildings, on which property tax is levied, at the rate of one percent of the total amount of the house tax in the form of a surcharge or as decided by the State Government by an executive order. The same shall be recoverable as if it were arrear of land revenue.

CHAPTER- XIV

FIRE PREVENTION AND LIFE SAFETY FUND

Fire Prevention
and Life Safety
Fund

73. (1) There shall be constituted a fund known as “Fire Prevention and Life Safety Fund”. The proceeds of fire fees, tax and penalties (other than fines) recovered under the Act and these rules shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and after deduction of the expenses of collection and recovery there from, under appropriation duly made by law in this behalf, be entered in and transferred to “Fire Prevention and Life Safety Fund”.

(2) The said fund shall be utilized for the welfare *e.g.* medical treatment, financial assistance *etc.*, of the members of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services who are injured during firefighting and rescue operations and dependents of such members of Uttar Pradesh Fire and Emergency services who lost their lives during firefighting and rescue operations.

Fire and
Emergency
Maintenance
Fund

74. (1) There shall be a maintenance fund at the disposal of In-charge of the fire district and/or sub-district and Joint Director of Fire region for the repair and maintenance of firefighting equipment and utility vehicles of Fire and Emergency Services, such number of officers/employees as the State Government may decide to be necessary for repairing and maintaining fire-fighting vehicles, emergency service vehicles and equipments, specialized vehicles and equipments and utility vehicles *etc.* of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services.

(2) The limit of such fund and the expenditure entitled to each officer shall be as per the order of the State Government.

CHAPTER- XV MISCELLANEOUS

75. (1) There shall be maintained a Hindi Order book in every district. In it will be entered every executive order concerning the internal financial matters of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Service, *e.g.*, orders regarding appointment, punishment, transfer, leave, posting *etc.* The same procedure shall be adopted at the Uttar Pradesh State Fire and Emergency Training Institute and at other field formations also.

Hindi Order
Book

(2) The Hindi order book shall be written up daily by an officer not below the rank of Fire Station Second Officer and signed daily by the Officer In-charge of the fire district and /or sub-district or, in his absence, by the Officer In-charge next to in-charge of the fire district.

(3) In-charge of the fire district will, on return to district, examine the entries and certify that he has checked them for the period of his absence.

(4) The book will be retained for forty five years after its completion.

76. Every Fire Station shall maintain a General Diary/ Occurrence Book/Log book. Entries and report of all kinds shall be entered therein immediately on the occurrence of each event to which they refer.

General Diary/
Occurrence
Book/Log Book

77. (1) The State Government or the Head of Department (Director-General, Fire and Emergency Services) or Fire Officer as authorized by the Director - General or Joint Director of the region or In-charge of Fire District and/or sub-district of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services, as the case may be, may constitute a site investigation team or nominate Fire Officer for inquiring about the origin and cause of fire incident, if need arises through fire forensic lab established by the State Government and shall take such steps as may be necessary, so that fire incidents do not happen in future.

Inquiry about
origin or cause
of Fire incident

(2) If any wrong doing is found on the part of the owner or occupier of the building or premise or temporary structure, the Fire Officer in whose jurisdiction the said building or premise or temporary structure falls shall start prosecution against the offenders in the competent Court of law as per provisions of the Act.

78. (1) The State Government shall levy standby duty charges for such premises where Fire and Emergency Service has been called to render their services to prevent or effectively provide fire safety.

Standby Duty for
Fire protection
and pumping
charges for
incident

(2) No such charges shall be levied for performing duty in program and functions of the State Government.

(3) The State Government may levy fire-fighting and pumping charges for the extinguishing of outbreak of fire in non-residential buildings and premises in such manner as described in Schedule-V.

(4) The owner or occupier of such buildings shall remit the charges within one week of occurrence of such incident failing which such charges shall be recoverable as if it were arrear of land revenue.

79. Every member of the Fire and Emergency Service shall for all purposes of this Act be deemed to always be on duty except when on leave.

Members of Fire
and Emergency
Service deemed
to always be on
duty except
when on leave

80. (1) The State Government, the Director General, the Director or any Chief Fire Officer may call for reports and statements from any Department or entity authority or local authority on any subject connected with the functions conferred on the State Government, the Director General, the Chief Fire Officer, as the case may be, by or under the Act and rules made thereunder including fire prevention, life safety and any emergency services.

Calling of
reports and
statements

(2) Where any reports or statements are called for under this rule, the entity authority or local authority or any Department, as the case may be, shall furnish the same within the time specified by the State Government or the Director General, the Director or any Chief Fire Officer, as the case may be.

Requisition of fire fighting and rescue resources from other station or Fire district during fire, Rescue and emergency calls	<p>81. (1) The Officer In-charge of the fire incident can initiate a request for fire fighting and rescue resources for the purposes of these rules.</p> <p>(2) The Officer In-charge of a Fire Station acting as the commanding officer in response to the outbreak of a fire, rescue or emergency shall be authorized to initiate assistance of Fire Station within his area of jurisdiction and upon order of the superior Officer, of Fire Station beyond the areas of his jurisdiction.</p> <p>(3) Upon receiving a fire, rescue or emergency call as per sub rules (1) and (2), the Officer In-charge of a Fire Station shall dispatch the equipment, appliances and personnel or any portion thereof if he believes that after dispatching the required fire units, sufficient arrangements shall be available for tackling any emergency and he shall inform about the same to In-charge of fire district and/or sub-district.</p> <p>(4) Calls related to all other emergencies, unless otherwise specified by the State Government in the rules or in a notification, shall also elicit response by the Fire and Emergency Service in accordance with these rules.</p> <p>(5) The Officer In-Charge of a Fire Station shall maintain or cause to be maintained data of all such calls and responses to such calls and submit the same along with the action taken report to the higher authorities, or as and when asked by the higher authorities.</p> <p>(6) For purposes of this rule, superior fire officer arriving at incident site shall act as commanding officer of the incident site; and all other units, staff, equipment's and appliances engaged in fire-fighting, rescue and emergency service operation shall work and function under his command.</p>
Declaration of Fire and Emergency Service to be an essential service to the community Budget	<p>82. Without prejudice to the provisions of any other law on the subject for the time being in force, the Fire and Emergency Services shall be considered as an essential service to the community unless the State Government, may by notification, decide otherwise.</p>
Proceeding of medical examination for the state of Intoxication and alcohol abuse etc. done by Officers and Employees of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services	<p>83. (1) The Uttar Pradesh Fire and Emergency Service Headquarters shall prepare annual estimated budget for managing all affairs of Fire and Emergency Service and on the basis of that, the State Government shall allocate budget directly to the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Directorate.</p> <p>(2) The Uttar Pradesh Fire and Emergency Service Directorate shall then further allocate budget to the Office of Director General, Fire and Emergency Services, Officer In-charge of region, Officer In-charge of Class 'A' district, Officer In-charge of class 'B' district, Offices of Principals of State Fire and Emergency Training Institute and the regional training centers under the supervision and control of State Government.</p> <p>84. (1) Officers and all staff enrolled under the Act shall, if found in a state of intoxication, alcohol and drugs abuse which are banned officially in the State of Uttar Pradesh shall be brought down for medical examination to any nearby Government medical health center.</p> <p>(2) Officer In-Charge of a Fire Station shall record date, time, name of employee and his Government identification number of the Department in a slip and shall send the intoxicated employee to Government medical health center.</p> <p>(3) Medical Officer present at the Medical health center shall medically examine the intoxication of such employee and further give his report and prescription to the Officer In-Charge of a Fire Station.</p> <p>(4) Officer In-Charge of a Fire Station shall send the report of the employee concerned to the In-charge Fire Sub-District for disciplinary action.</p> <p>(5) It shall be the duty of Medical Officer, Government medical health center to act upon the report or slip or letter of Officer In-Charge of a Fire Station.</p> <p>(6) In case the Officer In-charge of a Fire Station is suspected of being intoxicated, the Chief Fire Officer or any other superior shall send slip or letter to Medical Officer of Government medical health center for medical examination and it shall be the duty of Medical Officer to medically examine him/her for intoxication and alcohol abuse.</p> <p>(7) Medical Officer shall then submit his report to Chief Fire Officer and in case if he found intoxicated, disciplinary proceedings shall be initiated against such intoxicated Officer.</p>

85. (1) There shall be a Departmental Technical Advisory Committee consisting of Director as Chairperson, one Additional Director as Member-Secretary and one Joint Director as Member for providing technical advice in matters of technical difficulty or disputes arising from interpretation of Indian standards, National Building Code or any other Code and standards on technical matters.	Departmental Technical Advisory Committee
(2) Fire Officers and public may seek technical advice regarding their building or premises or temporary structure in the manner given in Form-A23 and the aforesaid committee shall give advice on the same within a month through online system.	
86. (1) The Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services, may organize 'Auxiliary Fire and Emergency Service' as a 'Volunteer service' or as on a pattern as decided by the State Government for a specified period of time.	Auxiliary Fire and Emergency Service
(2) The Director General, Uttar Pradesh Fire and Emergency Services, may appoint outsiders, Home Guards and Civil Defence Volunteers for a specific period as members of Auxiliary Fire and Emergency Service with a view to fight fires and rescue people in their area and assist the fire and emergency service personnel in fire-fighting, life safety, rescue and other emergency service operations and take steps for public awareness to prevent fire.	
87. Subject to the provisions contained in the Act, on the occasion of fire, rescue or other emergency service operation, the Director or any Fire Officer as authorized by him as member in-charge of a Fire Station on the spot, if the situation requires, can:-	Other Agencies to assist on the occasion of fire, rescue or other emergency.
(i) generally take such measures as may appear necessary like requisitioning police personnel, Magistrate for maintaining peace and law and order at the site office or rescue operation for protection of fire appliances and preservation of life and property;	
(ii) take assistance and co-operation from all Government Agencies like Health, Public Works Department, Public Health Department, Engineering Organization, Municipal Corporation and Departments of Revenue, Agriculture, Veterinary, Forest and Excise who shall extend the cooperation with resources available at their disposal on the requisition of Officer In-charge of a Fire Station for effective execution of fire-fighting, rescue and salvage operation;	
(iii) requisition fire-fighting equipment, and it will be lawful duty for all private and Government bodies to provide the available fire-fighting equipment at their disposal;	
(iv) file requisition with the Collector and the District Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate, who shall hire equipment or machineries, as required, for effective fire-fighting, rescue and salvage operations.	
88. Where the State Government has provided the services for fire-fighting, rescue, other emergencies and deployment of Fire and Emergency Service vehicles for standby duty, the In-Charge of fire district may issue notice requiring the owner or the occupier of the building or premises or temporary structure, to pay the amount for the expenses incurred for rendering the aforesaid services as State Government may provide through executive order or instructions.	Notice to pay the charges for the services rendered by the State Fire and Emergency Services
89. The dependents of members of Uttar Pradesh Fire and Emergency Services who have lost their lives during firefighting / rescue operations / accidents on duty etc., shall be provided with extraordinary pension in line with the provisions of Uttar Pradesh Police Extra Ordinary Pension Rule-1961(as amended from time to time).	Extraordinary Pension
90. The Annual Confidential Reports of various ranks of Fire Officers shall be written by such fire officers of competent ranks as decided by the State Government from time to time.	Writing of confidential Reports of fire Officers

CHAPTER-XVI**GENERAL MEASURES FOR FIRE PREVENTION**

Fire and Emergency Service response to be an Emergency Issuing of Fire Report	<p>91. The Fire and Emergency Service response to an emergency arising due to an outbreak of fire or any other emergency requiring fire and emergency service intervention shall be carried out in accordance with the directions given by the In-Charge of Fire District or any other Superior Officer as per situation and requirement.</p> <p>92. (1) A fire report shall be made available on the online portal of fire and emergency service within two weeks of the date of occurrence of fire. The owner or occupier whose property was affected by fire or otherwise, by whatever way may obtain the copy of report from the online portal of Fire and Emergency Service after payment of Rs-50/- and pumping charges, if applicable as per Schedule-V.</p> <p>(2) Fire report in Form-FR1 shall issued by the in-charge of fire district and/of sub-district to the applicant through Uttar Pradesh Fire Service online portal.</p> <p>(3) In case owner or occupier requires any change in facts reported in the fire report 'Form-FR1', he shall make an application to the district Chief Fire Office.</p>
Duties and responsibilities of Fire Officers and staff Report of damage caused to premises during fire- fighting and assessment and payment of compensation	<p>93. Subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder, the Director General, Fire and Emergency Services, with the approval of the State Government, shall have the power to enumerate the duties to be performed and responsibilities of the personnel of Fire and Emergency Services.</p> <p>94. For settling the matter regarding damage and compensation as given under section 17 (c) and 34 of the Act, the said matters shall be referred to the following Committee by the In-Charge of fire district:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Additional District Magistrate as nominated by the District Magistrate - Chairperson; In-charge of Fire District - Member Secretary; Senior representative of local authority /entity authority - Member; Engineer of senior scale from Public Works Department or Aawas Vikas Parishad or Jal Nigam Uttar Pradesh – Member.
Report of accident to fire officer or fire personnel or other staff during fire or emergency and payment of compensation Terms for securing personnel or equipment or both for fire- fighting purposes	<p>95. The Fire Officer In-Charge of fire shall submit a report of any accident which has occurred during such fire-fighting or rescue operations or emergency operations to the Chief Fire Officer and other superior Fire Officers immediately, and the compensation payable and/or funeral expenses of any fire officer or fire personnel or other staff in the case of an accident, payable to their dependents in the case of death or permanent disability, shall be such as may be determined by the Director General, Fire and Emergency Service with the approval of the State Government, as the case may be.</p> <p>96. The terms on which the Director General, Fire and Emergency Services or any other Fire Officer authorized by State Government may secure, by agreement, firefighting equipment or personnel from any person who employs and maintains personnel or equipment or both, for firefighting purposes, shall be as follows:-</p> <ol style="list-style-type: none"> As soon as may be, after the fire fighting operation is over, the Fire Officer In-Charge of the fire fighting operation shall relieve the personnel or equipment so secured and restore the same to the person, firm institution or individual from whom the services of personnel and possession such equipment were secured. If any injury is caused to any personnel or any damage is caused to any equipment and the employee or the owner of the equipment, as the case may be, demands any compensation separately in respect thereof, and no agreement can be reached, the matter shall be referred to the State Government for determination and the decision of the State Government shall be final.
Rewards	<p>97. (1) The Gazetted Officers of various ranks of fire services may sanction rewards by way of certificate or cash rewards or both to the personnel of Uttar Pradesh Fire and Emergency Service for meritorious performance of duties, to the ranks subordinate to them in their area of jurisdiction as the State Government may decide from time to time.</p> <p>(2) The rewards to the members of Uttar Pradesh Fire and Emergency Service under sub-rule(1) shall be recorded in the Service Book in green ink by the authority granting such reward.</p>

SCHEDULE-I**STRUCTURE OF VARIOUS OFFICES IN FIELD FORMATION****1.0 Cells/Sections at Fire Station , Uttar Pradesh Fire and Emergency Service**

Sl. no.	Fire station category	Man power requirement	Various sections of Fire Station								Grand Total
			Operation Cell	Control room duty	Guard duty	MT Section	Material Store		Station Mess	Total	
1.	Unit-2	FSO	1							1	26
		FSSO	1							1	
		LFM	2							2	
		FSD	2							2	
		FM	16							16	
		Cook /Kahar	2							2	
		Sweeper	1							1	
		ASI(M)	1							1	
2.	Unit-3	FSO	1							1	34
		FSSO	2							2	
		LFM	3							3	
		FSD	3							3	
		FM	21							21	
		Cook /Kahar	2							2	
		Sweeper	1							1	
		ASI(M)	1							1	
3.	Unit-4	FSO	1							1	40
		FSSO	2							2	
		LFM	4							4	
		FSD	4							4	
		FM	25							25	
		Cook /Kahar	2							2	
		Sweeper	1							1	
		ASI(M)	1							1	
4.	Unit-7	FSO	1							1	69
		FSSO	3							3	
		LFM	8							8	
		FSD	9							9	
		FM	44							44	
		Cook /Kahar	2							2	
		Sweeper	1							1	
		ASI(M)	1							1	

2.0 Field Operation Structure of U.P. Fire and Emergency Service

Sl. No.	FIRE REGION	FIRE DISTRICT	Number of Fire Stations	Number of Sub Fire District	Fire District Class
1.	AGRA	AGRA	09	02	A
		ALIGARH	06	01	A
		ETAH	03	01	B
		FIROZABAD	04	01	B
		HATHRAS	04	01	B
		KASGANJ	02	01	B
		MAINPURI	05	01	B
		MATHURA	04	01	A
2.	ALLAHABAD	ALLAHABAD	09	02	A
		FATEHPUR	03	01	B
		KAUSHAMBI	04	01	B
		PRATAPGARH	09	02	A
		BANDA	04	01	B
		CHITRAKOOT	04	01	B
		HAMIRPUR	03	01	B
		MAHOBA	02	01	B
3.	BAREILLY	BAREILLY	07	02	A
		BUDAUN	04	01	B
		PILIBHIT	04	01	B
		SHAHJAHANPUR	04	01	B
		AMROHA	03	01	B
		BIJNOR	05	01	B
		MORADABAD	06	01	A
		RAMPUR	07	02	A
		SAMBHAL	03	01	B
4.	GORAKHPUR	BASTI	04	01	B
		SANT KABIR NAGAR	03	01	B
		SIDDHARTH NAGAR	03	01	B
		BAHRAICH	06	01	A
		BALRAMPUR	03	01	B
		GONDA	03	01	B
		SHRAVASTI	02	01	B
		DEORIA	03	01	B
		GORAKHPUR	09	02	A
		KUSHI NAGAR	06	01	A
		MAHARAJGANJ	04	01	B
5.	KANPUR	JALAUN	05	01	B
		JHANSI	06	01	A

Sl. No.	FIRE REGION	FIRE DISTRICT	Number of Fire Stations	Number of Sub Fire District	Fire District Class
		LALITPUR	01	01	B
		AURAIYA	03	01	B
		ETAWAH	04	01	B
		FATEHGARH	02	01	B
		KANNAUJ	03	01	B
		KANPUR DEHAT	05	01	B
		KANPUR NAGAR	11	03	A
6.	LUCKNOW	AMBEDKAR NAGAR	04	01	B
		AMETHI	07	02	A
		BARABANKI	06	01	A
		FAIZABAD	07	02	A
		SULTANPUR	05	01	B
		HARDOI	05	01	B
		KHERI	06	01	A
		LUCKNOW	11	03	A
		RAEBARELI	06	01	A
		SITAPUR	08	02	A
		UNNAO	06	01	A
7.	MEERUT	BAGHPAT	03	01	B
		BULANDSHAHR	07	02	A
		GAUTAM BUDDH NAGAR	09	02	A
		GHAZIABAD	05	01	A
		HAPUR	03	01	A
		MEERUT	05	01	A
		MUZAFFARNAGAR	03	01	B
		SAHARANPUR	04	01	A
		SHAMLI	01	01	B
8.	VARANASI	AZAMGARH	07	02	A
		BALLIA	06	01	A
		MAU	05	01	B
		MIRZAPUR	03	01	B
		SANT RAVIDAS NAGAR	03	01	B
		SONBHADRA	03	01	B
		CHANDAULI	03	01	B
		GHAZIPUR	05	01	B
		JAUNPUR	06	01	A
		VARANASI	05	01	A

SCHEDULE-II**MINIMUM FACILITIES REQUIRED FOR FIRE STATION****(1). Probable list of equipments at Rural Area Fire Station:-**

Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment
1	Water Tender (4500&5000 L)	22	Manila Rope	43	Hydrant Cap
2	Water Tender (2000&2500 L)	23	Nylone Rope	44	Collecting Head Adopter
3	One Tonner water mist with High Pressure	24	Shovel(Phavada)	45	Hose Pitching machine
4	Bolero Camper with pumping unit	25	Pick Axe	46	Extension ladder (35')
5	Jeep Toeing Vehicle	26	Hammer	47	Hook Ladder
6	Toeing cum rescue van ambulance	27	Shovel (Belcha)	48	Bell (Brass)
7	Ambulance with life support system	28	Door Breaker	49	Battery Operated siren
8	Fire Resistance Over all (Dangri)	29	Crow Bar	50	Hooter
9	Smoke exhauster petrol Driven	30	Hack Saw	51	Hand Siren
10	Bolt Cutter	31	Dragon Torch	52	Fire Hook
11	Breathing Appartus set with DSU	32	Emergency Torch	53	Proximity Suit
12	Face Mask	33	Inflative Lighting tower	54	Aluminize Suit
13	Life Buoy Jacket	34	Large Axe	55	Asbestos Suit
14	Life Bouy Ring	35	Structure	56	Rubber Gloves
15	Hydrant Adaptor	36	Red Blanket	57	Asbestos Gloves
16	Collecting Breaching	37	Sucking Hose(Size-4")	58	Chemical Suit
17	High Pressure PTO water mist Firefighting Motor Byke with Helmet	38	Sucking Hose(Size-3")	59	Gas Tight Suit
18	High Pressure Back Pack Motor Byke with Helmet	39	Sucking Washer(Size-4")	60	DCP Fire Extinguisher
19	Portable Pump	40	Sucking Washer(Size-3")	61	CO2 Fire Extinguisher
20	Float Pump	41	Sucking Wrench	62	AFFF Fire Extinguisher
21	Rescue Hook	42	Stand Pipe	63	Trailor Pump

Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment
64	High Capacity Portable Pump	84	Metal Strainer (Size-4")	104	Water Mist Firefighting System (Trolley mounted Fire Extinguisher-50L)
65	Smoke Exhauster	85	Metal Strainer (Size-3")	105	Fire Bucket
66	Air Compressor	86	Basket Strainer	106	In-line Inductor
67	Battery Charger	87	Delivery Hose 63mm	107	First Aid Box
68	Hydraulic Pressure Testing Machine	88	Delivery Hose Coupling 63mm	108	BCF Fire Extinguisher
69	Generator	89	Delivery Hose Washer 63mm	109	Electric Siren
70	Lifting and Pulling Machine	90	Suction Coupling Size-4"	110	Hydrant Connector 63mm
71	Foam Generator	91	Suction Coupling Size-3"	111	Key & Bar
72	IC engine circular Saw	92	Male to Male Adopter	112	BA Compressor
73	Wooden Saw	93	Female to Female Adopter	113	Trolley
74	Concrete Saw	94	Simple Branch	114	Bus
75	Concrete Breaker	95	Diffuser Branch	115	Truck
76	Air Cooled Petrol Driven Electronic Type Diamond Chain Saw	96	Jumbo Crutain Branch	116	Computer with accessories
77	High Pressure BA Compressor Petrol Driven	97	Fog Branch	117	Combi Tool set with Hydraulic Pump
78	Hose Binding Machine	98	Revolving Branch	118	Hydrolic Self contained Combi tools
79	Fire Boat	99	Foam Making Branch (Various Type)	119	Air Lifting Bag (Cap-2-40 ton)
80	Fire Fighting Helmet	100	Multi Purpose Hand Controlled Branch	120	Dividing Breaching
81	Foam Compound (AFFF-3%)	101	Nap sap Tank		
82	Foam Comp (AR- AFFF-3%)	102	Water CO2 Fire Extinguisher		
83	Sucking Adopter	103	ABC Fire Extinguisher		

(2) Probable list of equipments at Urban Area Fire Station:-

Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment
1	Hydraulic Platform	24	Rescue Hook	47	Stand Pipe
2	TTL/ Branto	25	Manila Rope	48	Hydrant Cap
3	Water Bouse-12000L	26	Nylone Rope	49	Collecting Head Adopter
4	Foam tender	27	Shovel(Phavada)	50	Hose Pitching Machine
5	Emergency tender	28	Pick Axe	51	Extension ladder (35')
6	Advance Rescue Tender	29	Hammer	52	Hook Ladder
7	Water Tender (4500&5000 L)	30	Shovel (Belcha)	53	Bell (Brass)
8	Water Tender (2000&2500 L)	31	Door Breaker	54	Battery Operated siren
9	One Tonner water mist with HP	32	Crow Bar	55	Hooter
10	Bolero Camper with pumping unit	33	Hack Saw	56	Hand Siren
11	Jeep Toeing Vehicle	34	Dragon Torch	57	Fire Hook
12	Tata Summo / Bolero Light Vehicle	35	Emergency Torch	58	Proximity Suit
13	Scorpir Light vehicle	36	Inflative Lighting tower	59	Aluminize Suit
14	Loing cum Rescue Van Ambulane	37	Large Axe	60	Asbestos Suit
15	Ambulance with Life Support System	38	Structure	61	Rubber Gloves
16	Hydra Crane	39	Red Blanket	62	Asbestos Gloves
17	Disaster Van	40	Sucking Hose(4")	63	Chemical Suit
18	High Pressure PTO water mist Firefighting Motor Byke with Helmet	41	Sucking Hose(Size-3")	64	Gas Tight Suit
19	High Pressure Back Pack Motor Byke with Helmet	42	Sucking Washer(Size-4")	65	DCP Fire Extinguisher
20	Portable Pump	43	Sucking Washer(3")	66	CO2 Fire Extinguisher
21	Float Pump	44	Sucking Wrench	67	AFFF Fire Extinguisher
22	Trailor Pump	45	Sucking Adopter	68	Water CO2 Fire Ext
23	High Capacity Portable Pump	46	Metal Strainer (4")	69	ABC Fire Extinguisher

Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment
70	Smoke Exhauster	91	Metal Strainer (Size-3")	112	Water Mist Firefighting System (Trolley mounted Fire Extinguisher-50L)
71	Air Compressor	92	Basket Strainer	113	Fire Bucket
72	Battery Charger	93	Delivery Hose 63mm	114	In-line Inductor
73	Hydraulic Pressure Testing machine	94	Delivery Hose Coupling 63mm	115	First Aid Box
74	Generator	95	Delivery Hose Washer 63mm	116	BCF Fire Extinguisher
75	Lifting and Pulling Machine	96	Suction Coupling - 4"	117	Electric Siren
76	Foam Generator	97	Suction Coupling Size- 3"	118	Hydrant Connector 63mm
77	IC engine circular Saw	98	Male to Male Adopter	119	Key & Bar
78	Wooden Saw	99	Female to Female Adopter	120	BA Compressor
79	Concrete Saw	100	Simple Branch	121	Trolley
80	Concrete Breaker	101	Diffuser Branch	122	Bus
81	Air Cooled Petrol Driven Electronic Type Diamond Chain Saw	102	Jumbo Crutain Branch	123	Truck
82	High Pressure BA Compressor Petrol Driven	103	Fog Branch	124	Computer with accessories
83	Hose Binding Machine	104	Revolving Branch	125	Combi Tool set with Hydraulic Pump
84	Fire Boat	105	Foam Making Branch (Different types)	126	Hydrolic Self contained Combi Tools
85	Fire Fighting Helmet	106	Multi Purpose Hand Controlled Branch	127	Air Lifting Bag (Cap-2-40 ton)
86	Smoke Exhauster Pertol Driven	107	Foan Compound AFFF(3%)	128	FR Dangri
87	Bolt Cutter	108	Foan Compound AR-AFFF(3%)	129	Life Bouy Ring
88	BA Set with DSU	109	Nap sak Tank	130	Hydrant Adopter
89	Face Mask	110	Divinding Breaching		
90	Life Bouy Jacket	111	Collectng Breaching		

(3) Probable list of equipments at Industrial Area Fire Station :-

Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment
1	Hydraulic Platform	24	Rescue Hook	47	Stand Pipe
2	TTL/ Branto	25	Manila Rope	48	Hydrant Cap
3	Water Bouse-12000L	26	Nylone Rope	49	Collecting Head Adpt
4	Foam tender	27	Shovel(Phavada)	50	Hose Pitching machine
5	Emergency tender	28	Pick Axe	51	Extension ladder (35')
6	Advance Rescue Tender	29	Hammer	52	Hook Ladder
7	Water Tender (4500&5000 L)	30	Shovel (Belcha)	53	Bell (Brass)
8	Water Tender (2000&2500 L)	31	Door Breaker	54	Battery Operated siren
9	One Tonner water mist with HP	32	Crow Bar	55	Hooter
10	Bolero Camper with pumping unit	33	Hack Saw	56	Hand Siren
11	Jeep Toeing Vehicle	34	Dragon Torch	57	Fire Hook
12	Tata Summo / Bolero Light Vehicle	35	Emergency Torch	58	Proximity Suit
13	Scorpir Light vehicle	36	Inflative Lighting Tvr.	59	Aluminize Suit
14	Loing cum Rescue Van Ambulane	37	Large Axe	60	Asbestos Suit
15	Ambulance with Life Support System	38	Structure	61	Rubber Gloves
16	Hydra Crane	39	Red Blanket	62	Asbestos Gloves
17	Disaster Van	40	Sucking Hose(4")	63	Chemical Suit
18	High Pressure PTO water mist Firefighting Motor Byke with Helmet	41	Sucking Hose (Size-3")	64	Gas Tight Suit
19	High Pressure Back Pack Motor Byke with Helmet	42	Sucking Washer(Size-4")	65	DCP Fire Extinguisher
20	Portable Pump	43	Sucking Washer(3")	66	CO2 Fire Extinguisher
21	Float Pump	44	Sucking Wrench	67	AFFF Fire Extinguisher
22	Trailor Pump	45	Sucking Adopter	68	Water CO2 Fire Ext
23	High Capacity Portable Pump	46	Metal Strainer (4")	69	ABC Fire Extinguisher

Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment	Sl. No.	Equipment
70	Smoke exhauster	92	Metal Strainer (Size-3")	114	Water Mist Firefighting System (Trolley mounted Fire Extinguisher-50L)
71	Air Compressor	93	Basket Strainer	115	Fire Bucket
72	Battery Charger	94	Delivery Hose 63mm	116	In-line Inductor
73	Hydraulic Pressure Testing machine	95	Delivery Hose Coupling 63mm	117	First Aid Box
74	Generator	96	Delivery Hose Washer 63mm	118	BCF Fire Extinguisher
75	Lifting and Pulling Machine	97	Suction Coupling - 4"	119	Electric Siren
76	Foam Generator	98	Suction Coupling Size- 3"	120	Hydrant Connector 63mm
77	IC engine circular Saw	99	Male to Male Adopter	121	Key & Bar
78	Wooden Saw	100	Female to Female Adp	122	BA Compressor
79	Concrete Saw	101	Simple Branch	123	Trolley
80	Concrete Breaker	102	Diffuser Branch	124	Bus
81	Air Cooled Petrol Driven Electronic Type Diamond Chain Saw	103	Jumbo Crutain Branch	125	Truck
82	High Pressure BA Compressor Petrol Driven	104	Fog Branch	126	Computer with accessories
83	Hose Binding Machine	105	Revolving Branch	127	Combi Tool set with Hydraulic Pump
84	Fire Boat	106	Foam Making Branch (Different types)	128	Hydrolic Self contained Combi tools
85	Fire Fighting Helmet	107	Multi Purpose Hand Controlled Branch	129	Air Lifting Bag (Cap-2-40 ton)
86	Smoke Exhauster Pertol driven	108	Foan Compound AFFF(3%)	130	FR Dangri
87	Bolt Cutter	109	Foan Compound AR-AFFF(3%)		
88	BA Set with DSU	110	Nap sak Tank		
89	Face Mask	111	Divinding Breaching		
90	Life Bouy Jacket	112	Collectng Breaching		
91	Life Bouy ring	113	Hydrant Adopter		

SCHEDULE-III

(Badges of Ranks in Fire Service)

UTTAR PRADESH FIRE AND EMERGENCY SERVICE UNIFORM REGULATIONS 2024

1. **Badges of Ranks, Peak Cap, Collar Patches and Hemet Markings.-** The Badges of Ranks, Peak Cap, Collar Patches and Hemet Markings for various posts in Uttar Pradesh Fire and Emergency Services shall be as per the table below:-

Sl. No.	Name of the post	Badges of rank	Collar Patches	Peak Cap	Helmet
01	Director General	Cross sword & baton with Ashok Emblem of silver colour with service titles “ IPS ”, Blue lanyard.	Silver gorget patches as applicable for DGP on blue blazer cloth base. <u>Car Flag & Star-</u> As applicable for DGP	Peak cap with two rows of silver oak leaves & embroidered badge and blue band placed around the head level Khaki colour peak cap or Blue colour Beret cap with embroidered badge	White helmet with Departmental Monogram
02	Director	Cross sword & baton with one Star of silver colour of four centimeter diameter with service titles “UPFS, Blue lanyard	Silver gorget patches as applicable for IGP on blue blazer cloth base. Car Flag of UPFS & Star- As applicable for IGP	Do	Do
03	Additional Director	Ashok Emblem and three star of silver colour of four centimeter diameter in the form of an equilateral triangle with apex upwards with service titles “UPFS, Blue lanyard	Silver gorget patches as applicable for DIGP on blue blazer cloth base. Car Flag of UPFS & Star- As applicable for DIGP	Blue colour blazer cloth band around the Khaki colour peak cap with embroidered badge or Blue Beret cap as applicable to DIGP	Do
04	Joint Director	Ashok Emblem and two Star of silver colour of four centimeter diameter with service titles “UPFS, Blue lanyard	Silver gorget patches as applicable for SSP on blue blazer cloth base.	Blue colour Beret cap or Khaki colour Peak cap with embroidered badge	Do
05	Deputy Director	Ashok Emblem and one Star of silver colour with service titles “UPFS, Blue lanyard	Not applicable	Do	Do
06	Chief Fire Officer (Senior Scale)	Ashok Emblem of silver colour with service titles “UPFS, Blue lanyard	Not applicable	Blue colour Beret cap or Khaki colour Peak Cap with Silver Colour metal badge	Do

Sl. No.	Name of the post	Badges of rank	Collar Patches	Peak Cap	Helmet
07	Chief Fire Officer	Three star of silver colour of four centimeter diameter with service titles "UPFS, Blue lanyard	Not applicable	Blue colour Beret cap or Khaki colour Peak Cap with Silver Colour metal badge	Do
08	Chief Fire Officer (During Probation)	One star of silver colour of four centimeter diameter with service titles "UPFS, Blue lanyard	Not applicable	Blue colour Beret cap or Khaki colour Peak Cap with Silver Colour metal badge	Do
09	Fire Station Officer or equivalent	Three star of golden colour of four centimeter diameter with red & blue ribbon with service titles "UPFS, Khaki lanyard	Not applicable	Dark shade Khaki colour Peak cap with Golden colour metal badge	Yellow helmet with Departmental Monogram
10	Fire Station Second Officer or equivalent	Two star of golden colour of four centimeter diameter with red & blue ribbon with service titles "UPFS, Khaki lanyard	Not applicable	Do	Do
11	Leading Fireman/ Fire Service driver or equivalent (After 07 years of service in the post of Leading Fireman/Fire Service driver or equivalent)	One star of golden colour of four centimeter diameter with red & blue ribbon with service titles "UPFS, Khaki lanyard	Not applicable	Khaki colour Beret cap with Golden colour metal badge	Do
12	Leading Fireman/ Fire Service driver or equivalent	Three white point down straps on the right sleeves with service titles "UPFS", Khaki lanyard	Not applicable	Do	Do
13	Fireman/ Fireman Operator	Service titles "UPFS", Khaki lanyard	Not applicable	Do	Do

2. Car Flag and Star Plate. –

(1) The staff car used by the Director General and Director shall have displayed on the bonnet a flag made out of red blue blazer cloth and star plate on front and rear side bumper of the staff car as applicable to DGP and ADGP respectively.

(2) The staff car used by the Additional Director and Joint Director shall have displayed on the bonnet a flag made out of red blue blazer cloth and star plate on front and rear side bumper of the staff car as applicable to IGP and DIGP respectively.

SCHEDULE-IV**Procedure of response to fire and/or emergency call**

The turnout from fire station shall be as following:-

SL.NO.	NATURE OF EMERGENCY	MINIMUM UNITS FOR 1 ST RESPONSE	SITE INCHARGE
1.	Rescue Call – other than human being	Rescue tender /Rescue Vehicle	Leading Fireman.
2.	Rescue Call –Human being	Rescue tender /Rescue Vehicle	In-charge fire station
3.	Road accident involving human injury	<ul style="list-style-type: none"> • Rescue tender /Rescue Vehicle • Fire Tender 	In-charge fire station
4.	Bomb blast	<ul style="list-style-type: none"> • Rescue tender /Rescue Vehicle • Fire Tender-02 Nos. 	<ul style="list-style-type: none"> • In-charge fire station • In-charge of the sub- fire district and fire district • Joint Director of Fire Region
5.	Terrorist Attack	<ul style="list-style-type: none"> • Rescue tender /Rescue Vehicle • Fire Tender-02 Nos. 	<ul style="list-style-type: none"> • In-charge fire station • In-charge of the sub- fire district and fire district • Joint Director of Fire Region
6.	Air crash/ Passenger Train accident	<ul style="list-style-type: none"> • Rescue tender /Rescue Vehicle • Fire Tender-02 Nos. 	<ul style="list-style-type: none"> • In-charge fire station • In-charge of the sub- fire district and fire district • Joint Director of Fire Region
7.	Fire in high risk building (High rise buildings, school, Hospital and all government buildings)	<ul style="list-style-type: none"> • Rescue tender /Rescue Vehicle • Fire Tender-02 Nos. 	<ul style="list-style-type: none"> • In-charge fire station • In-charge of the sub- fire district and fire district
8.	Small Fire Incidents	Fire Tender	Fire Station Second Officer/Leading Fireman
9.	Medium Fire Incidents	Fire Tender-02 Nos.	In-charge fire station
10.	Major Fire Incidents	<ul style="list-style-type: none"> • Rescue tender /Rescue Vehicle • Fire Tender-02 • Water Bouzer • Foam Tender 	<ul style="list-style-type: none"> • In-charge fire station • In-charge of the sub- fire district and fire district • Joint Director of Fire Region
11.	Toxic Gas Release affecting major area of densely populated.	<ul style="list-style-type: none"> • Rescue tender /Rescue Vehicle • Fire Tender. • Water Bouzer • Foam Tender 	<ul style="list-style-type: none"> • In-charge fire station • In-charge of the sub- fire district and fire district • Joint Director of Fire Region
12.	Any serious Fire/Rescue/ Emergency Situation (which may affect the public lives at large and/or major property loss and/or serious Environment loss)	<ul style="list-style-type: none"> • Rescue tender /Rescue Vehicle • Fire Tender. • Water Bouzer • Foam Tender 	<ul style="list-style-type: none"> • In-charge of the sub- fire district and fire district • Joint Director of Fire Region • Additional Director

SCHEDULE-V

(See rules 79, 93)

Charges for providing/hiring Fire and Emergency Service Resources

1. **Charges payable by non-residential buildings:** Buildings /establishments other than those mentioned in rule 35 (3) shall be charged as per the table below against deployment of fire and emergency resources in emergency situation and/or stand by duty:-

TABLE-1

Sr. No.	Type of Fire Fighting Appliance along with crew	Deployment Charges per call (Rupees)	Mileage Charges (Rupees per Km)	Pumping / Operation per clock hour	Other Charges (Rupees)
1.	Water Tender/Water Bowser/ Foam Tender Dry Chemical Powder Tender	5,000.00	100.00	1000.00	I. @ 300.00 per liter foam concentrate consumed. II. @ 300.00 per kg of DCP consumed subject to minimum of Rs 25000.00 III. @ 500.00 per BA set used
2.	Aerial Ladder/ Platform/ Hazmat Van/Rescue Tender/Rescue Responder	10,000.00	250.00	---
3.	Motor Pump	2000.00	25.00	500.00	
4.	Motor Byke with back pack	2000.00	---	----	---
5.	Other resources				As decided by Director General from time to time.

2. **Charges for hiring resources from local authorities by the U.P. Fire and Emergency Services :** Following charges shall be payable to the local authority from which the resources have been taken over from:-

TABLE-2

Sl.No.	Name of Resource to be hired	Charges (Rs.)	Remarks
1.	Water for firefighting	Rs.10/KL	Water shall be drawn from portable pumps/ directly filling the fire tender <i>etc.</i>
2.	Fire Tender or other Fire/ Rescue appliances.	Rates as charged by Uttar Pradesh Fire and Emergency Service as per table-1 of Schedule-V	
3.	Empty tankers /Trucks/Other vehicles <i>etc.</i>	Applicable rates as fixed by the local RTO.	
4.	Manpower	Rates as fixed in MGNREGA Program	
5.	Firefighting chemicals/Fire extinguishers <i>etc.</i>	As per market rate (Gem portal rate shall be applicable)	

SCHEDULE-VI**Inspecting , Reviewing and Issuing Authority for Fire Safety Certificate issued by Uttar Pradesh Fire and Emergency Service:**

Sl. No.	TYPE OF BUILDING	INSPECTING AUTHORITY	REVIEWING AUTHORITY	NOC ISSUING AUTHORITY	REMARKS
I- Residential Building (A)					
(a). Lodging and Rooming Houses (A1)					
	Less than 15 meter in height	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
(b).	Private House for 01 or 02 families	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
(c). Dormitory (A3) and Apartments (A4)					
1.	Less than 15 meter height or upto 4 floors	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
2.	Height from 15 meter to 60 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
3.	Height from 60 meter to 100 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District / In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
4.	More than 100 meter in height	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire District / In-charge Fire Region	Director	
(d). Hotels (A5)					
1)	Height upto 30 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	Deputy Director / In-charge Fire District	
2)	Height more than 30 meter upto 60 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
3)	Height more than 60 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire District/ In-charge Fire Region	Director	
(e).	Hotel (A6)	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
II- Educational Building (B)					
1.	Upto 24meter height	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
2.	Height from 24m to 30m	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
III- Institutional Buildings (C)					
(a). Hospital, Nursing homes etc (c-1)					
1-	Upto 30 meter height	Fire Station	In-charge Fire	In-charge Fire	

Sl. No.	TYPE OF BUILDING	INSPECTING AUTHORITY	REVIEWING AUTHORITY	NOC ISSUING AUTHORITY	REMARKS
		Officer/Fire Station Second Officer	Sub District	District	
(2).	Height from 30 meter to 45 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
(b). Custodial (C-2), Penal endemental (C-3)					
	Up to 30 meter height	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
IV- Assembly Building (D)					
(a). Building (D-1 to D-5)					
1.	Upto 24 meter height	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
2.	Height from 24 meter to 30 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
(b).	D-6	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire District /In-charge Fire Region	Director	
c).	D-7	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire District /In-charge Fire Region	Director	
V- Business Building (E)					
1.	Less than 15 meter in height or upto G+3 floors	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
2.	Height from 15 meter to 30 meter or G+4 and above	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
3.	Height more than 30 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
VI- Mercantile Building (F)					
1.	Less than 15 meter in height or upto G+3 floors	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
2.	Height from 15 meter to 30 meter or G+4 and above	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
3.	Under Ground Shopping complex	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
VII- Industrial Building (G)					
(a). Low Hazard (G-1) Buildings above 18m are not permitted.					
1-	Height upto 15 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	

Sl. No.	TYPE OF BUILDING	INSPECTING AUTHORITY	REVIEWING AUTHORITY	NOC ISSUING AUTHORITY	REMARKS
2.	Height more than 15 meters	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
(b).	Moderate Hazard (G-2)	Buildings above 18m are not permitted			
1.	Height upto 15 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
2.	Height more than 15 meters	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
(c).	High Hazard (G-3)	Buildings above 15m are not permitted			
1.	Height upto 7 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
2.	Height from more than 7 meter to 10 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
	Height from more than 10 meter to 15 meter	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire District/ In-charge Fire Region	Director	
VIII- Storage Building (H)- Buildings above 15 m are not permitted for Group H- occupancies and buildings above 45m height shall not be permitted for Multi Level Car Parking (MLCP) Occupancy.					
1.	Upto G+1 floor	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
2.	More than G+1 floor	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
3.	Multi Level Car Parking	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	
IX- Hazardous Storage Building (J)- Buildings above 15 m are not permitted for Group J- occupancies and buildings above 45m height shall not be permitted for Multi Level Car Parking (MLCP) Occupancy.					
1.	Single Story Building	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District	In-charge Fire District	
2.	More than one floor but less than 15 m in height.	Fire Station Officer/Fire Station Second Officer	In-charge Fire Sub District/ In-charge Fire District	In-charge Fire Region	

Note: The Approving Authority shall have the authority to cancel the Fire Safety Certificate issued upon notice, by any means, of non-compliance of fire safety and fire protection systems in the building / premises.

SCHEDULE-VII**CLASSIFICATION OF BUILDINGS FOR APPOINTMENT OF FIRE SAFETY OFFICER**

Fire Safety Officers as given below shall be appointed for different class of buildings as listed below:-

Class of building	Buildings	Fire Safety Officer
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cinema houses/hall with seating capacity of more than 500 persons. 2. All Cinema houses/hall with commercial complex having covered area more than 1000 Sqm. 3. All Cinema houses/halls/multiplex with more than one screen. 4. Underground shopping complexes, district centers, sub-central business districts, including the basement with total buildup area of more than 10000 sq. mtr. 5. Large oil and natural gas installations such as refineries, LPG bottling plants and similar other facilities; 6. Open stadia with seating capacity more than 25,000 persons and indoor stadia with seating capacity more than 5,000 persons. 7. Public, semi-public, private etc. buildings like large surface and sub-surface railway stations, metro stations or mass-rapid transit stations, interstate bus terminals, airports, amusement parks and other similar buildings: 	Fire Safety Officer with sizeable supporting staff to ensure round the clock (24X7) availability.
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotels/Guest Houses/Dharamshala etc. with 100 rooms or more ; Hotels/Guest Houses/Dharamshala etc. 4-Star and above hotels category. 2. Multi-storied non-residential buildings 24 meters and above in height. 3. Residential buildings of 45 meters and above in height. 4. Hospitals and nursing homes with more than 500 beds; Institutional Building of 15 meters and above in height; Institutional Building of total covered area more than 5,000 SQM. 5. Educational building of 15 meters and above in height; Institutional Building having total covered area more than 10,000 SQM; Educational building having more than 2500 students registration. 6. Mercantile / Business building of height above 24 meters; Mercantile / Business building with total covered area above 10,000 meter square, 7. Storage occupancy buildings of total covered area 10,000 SQM and above; 8. All assembly building of height 15 meter and above height; assembly building having total covered area 5000 SQM or more; 9. Hazardous buildings having total covered area 2500 SQM or above. 10. Low hazard industries of total covered area above 10000 SQM, Moderate hazard industries of total covered area above 5000 SQM, High hazard industries of total covered area above 1000 SQM. 	Fire Safety Officer with sizeable supporting staff to ensure round the clock (24X7) availability.

FORM- A-1**AGREEMENT FOR MEETING WATER DEMAND AND OTHER RESOURCES****No.****Dated**

In line with the provisions of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022, section -19 and rules made thereunder, I(designated fire officer as defined in rule)....., desires to enter an agreement with you (Name of occupier/owner).....(premises/building)..... for borrowing the resources, at the time of emergency occurred, required for handling emergency situation on rates as defines in rules, under your possession within 30 minutes of receipt of message from me or my behalf by any fire officer not below the rank of In-charge Fire station second Officer;

- (a)-----
 (b)-----
 (c)-----
 (d)-----
 (e)-----

Place :

(Seal & Signature of Authorized Fire Officer)

Date :

U.P. Fire and Emergency Service

Declaration

I,.....(Owner /occupier premises /building)..... do hereby give my consent to provide the mentioned resources as and when required by you and other fire officer on your behalf.

I,.....(Owner /occupier premises /building)..... do hereby consented provide the mentioned resources as and when required by you and other fire officer on your behalf on chargeable basis as prescribed under rule or free of cost .

Place :

(Name & Signature of Owner/occupier)

Date :

FORM- A-2**NOTICE FOR TAKING OVER RESOURCES****No.****Dated**

In line with the provisions of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022, section-19 and rules made thereunder, I(designated fire officer as defined in rule)....., hereby takeover the resources, for tackling the emergency situation, under your possession (Name of occupier/owner).....(premises/building)..... on (date).....at (time).....;

- (a)-----
- (b)-----
- (c)-----
- (d)-----
- (e)-----

Place :

(Seal & Signature of Authorized Fire Officer)

Date :

U.P. Fire and Emergency Service

FORM -A 3**NOTICE FOR ENTRY AND INSPECTION**

Notice No.-

To,

I, _____ empowered under the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022) and sub-rule (1) of rule 17 of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Service Rules, 2024, do hereby give you notice that on expiry of not less than three hours from the time of service of this notice upon you this _____ date at _____ time, I shall enter and inspect your building / premises bearing No. _____ located at _____ for the purpose of ascertaining the adequacy and contravention of fire prevention and life safety measures as required to be provided by or under the provisions of the said Act.

Since you are in this building / premises, I hereby give you this notice that you are at liberty to withdraw therefrom before the aforesaid entry and inspection and you may withdraw now, if you desire to do so.

Signature

Name and Designation of the Inspecting Officer.

Place:

Date:

FORM-A 4

Certificate by the Licensed Qualified third party Agency for compliance of the Fire Prevention and Life Safety Measures.

DECLARATION

Certified that I/We have executed installation/maintenance/....., job towards compliance in relation to Fire Prevention and Life Safety Measures to be provided/maintained and performed other related activities required to be carried out, in the following building or premises, as required under the provisions of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Service Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022).

Description and Location of Building or Premises

Following Fire Prevention and Life Safety Measures jobs have been undertaken by me/us:

Sl. No.	Name of Job/works	Quantity/NOs/ Description etc.	Compliance of BIS / NBC/ NFPA /Byelaws/ etc. (Must Attach certification from manufacturer, sr. no. , proof of supply including GST bills)
01.	<u>Building Structural Safety Measures:</u> (a) Access to building, (b) number, width, type and arrangement of exits, (c) protection of exits by means of fire check door(s) and or pressurization. (d) Others-----		
02.	Passive Fire Protection System (a) Compartmentation, (b) smoke management system, (c) refuge area, (d) Others-----		
03.	Active Fire Protection system (a) Fire extinguishers, (b) First-aid hose reels, (c) Automatic fire detection and alarming system, (d) Public address system, (e) Automatic sprinkler system, (f) Internal hydrants and yard hydrants, (g) Pumping arrangements, (h) Captive water storage for fire fighting, (i) Exit signage, (j) Manually Operated Electronic Fire Alarm system (MOEFA),		

04.	Special fire protection systems for protection of special risks		
05.	Provision of Lifts		
06.	Standby power supply		
07.	Fire control room		
08.	Electrical Safety Audit compliance		
09.	Fire Safety Officer Appointed (Details)		
10.	Other Provisions.....		

- ✓ We hereby declare that above said jobs and related activities, which I /we have executed / performed, are in conformity with Section 26 of the Act. No deviation has been taken in compliance of Fire safety and Life safety jobs (mentioned above).
- ✓ The above mentioned systems/equipments shall be maintained by me/us w.e.f.to.....

Place:

Seal & Signature

Date:

Name of the Licensed Qualified third party agency

Licence No:

CERTIFICATION

Certified that I/We have got done the installation/maintenance/....., job towards compliance in relation to Fire Prevention and Life Safety Measures and other related activities required to be carried out, in our building / establishment under strict supervision and as required under the provisions of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Service Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022) through the Licensed Qualified third party agency bearing Licence No. -----,.

All the Fire Prevention and Life Safety Measures installed are in best operational condition to the best of my knowledge and belief.

The above installed fire safety and/or life safety systems/equipments shall be maintained by me/us / the qualified third party agency bearing Licence No. -----w.e.f.to.....

Place:	Seal & Signature
Date:	Name of the owner/occupier of establishment

FORM-A-5**APPLICATION FOR LICENCE TO ACT AS QUALIFIED THIRD PARTY AGENCY**

To,
The Director General
U.P. Fire and Emergency Service

Sub: - Application for Licence to act as Licensed Qualified third party Agency

The undersigned hereby applies for grant of or renewal of Licence to act as a Licensed Qualified third party agency for undertaking and executing the work of providing installation of equipments and maintenance of fire prevention and life safety measures in any place, building or part thereof situated in the state of Uttar Pradesh.

The particulars regarding the Agency are given below:-

1.	Full Name of the Applicant (In capital letters). (In case of company, Name of Directors to be mentioned)	
2.	Whether Licensed Qualified third party agency will be a Proprietary Concern or an Association of persons such as a Firm or Company, etc.	
3.	Registration No. of Firm or Company (Copies of Registration Certificate, article of Association or other relevant document appended).	
4.	Address	
5.	If the Licensed Qualified third party agency will be: a. proprietary concern, the name, qualifications and address of the person operating the same. b. a firm or company, names, qualifications and addresses of each of the partners, or as the case may be, Directors.	
6.	Office address from where the Agency will act as a Licensed Agency -	
7.	Licensed Qualified third party agency turn over in such NO of years as prescribed in table E1 of the rule.(Audited certified copy of balance sheets for each year to be provided)*	
8.	Class for which Licence is applied for -	
9.	Technical qualifications of the promoter or partners or directors and dealing technical officers or employees of or with the applicant.*	
10.	Experience of the promoter or partners or directors and dealing technical officers or employees of or with the applicant.*	
11.	Whether enlisted with any other department or Organization in any other State. If so, in which category. a. Has the applicant or his partners or Directors been blacklisted in the past by any Government Department/ organization/other State? b. Has the applicant applied for registration elsewhere in his name or in the name of partner, Director or firm or company? If so, whether the application is rejected? Give particulars.	
12.	Previous experience of Licensed Qualified third party agency for installation and maintenance of Fire Safety and Life Safety Systems (attach the certified copies of work orders and completion certificates thereof)*	
13.	A fee of Rs. _____ remitted herewith by Demand Draft No. Dated. _____ Drawn on _____ Bank.*	
14.	If the application is for renewal of the existing license, the details in respect of the licence and the period of its validity. (copy of the licence appended).	
15.	Whether, the licence to act as Licensed Agency granted anytime previously has been suspended or cancelled; and if so, reasons therefor:-	

*Note : Refer table E1 of the rule.

I/We certify that I/We have not been and will not get myself or ourselves registered as contractor in the department under more than one name.

Thanking you,

Yours faithfully

FORM-A 6**Licence to act as a Licensed Qualified third party agency for Fire Prevention and life Safety Measures**

Licence No.

Date:-

Licence is hereby granted / renewed under the provisions of sub-section (5) of section 26 of the Uttar Pradesh Fire and Emergency services Act, 2022 (U.P Act no. 16 of 2022) to M/s/Mr./Mrs. _____ having their registered office at _____

_____ to act as Licensed Qualified Agency for the purposes of the said Act for execution of the fire prevention and life safety measures installation/maintenance job of category A/B/C/D/E establishments situated in any part of Uttar Pradesh.

Subject to the provisions of sub-section (5) of section 26 of the Act, the licence will be valid for a period from _____ to _____.

Place :

(Seal & Signature of Issuing Authority)

Date :

For Director General

U.P. Fire and Emergency Service

FORM-A7**Notice to licensed qualified third party agency for suspension or cancellation of licence**

To,

WHEREAS a Licence to act as a Licensed Qualified third party Agency for the purposes of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022), being a licence No. _____ dated _____ has been granted / renewed in the name of and the licence so granted / renewed was subject to the provisions of section 26 of the said Act and the conditions of license, specified in rule 43, 46, 47 and 53 of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Service Rules, 2024;

AND WHEREAS it is noticed that you are guilty of the following acts, namely:-

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____
- (5) _____
- (6) _____

Now THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by sub-section (5) of section 26 of the said Act, I, hereby call upon you to show cause in writing, within a period of 15 days from the receipt of this notice as to why the licence so granted/ renewed in your favour should not be suspended or cancelled or penal action shall be initiated.

Place :

Date :

(Seal & Signature of Issuing Authority)

For Director General

U.P. Fire and Emergency Service

FORM-A 8**Bi-annual declaration of owner/occupier for compliance of the Fire Prevention and Life Safety Measures****DECLARATION**

1. We are provided the Fire Safety Certificate (Final/Renewal) No. -----
dtd. -----, for our/my establishment situated at address-----
----- under occupancy category-----, having validity upto-----
2. We/I have got installed all the Fire Prevention and Life Safety Measures as instructed *vide*
issued Fire Safety Certificate, through qualified third party agency having licence No. -----
3. I/we am/are maintaining all the Fire Prevention and Life Safety Measures as instructed *vide*
issued Fire Safety Certificate, in perfectly working condition as per prevailing norms through
qualified third party agency having licence No. ----- w.e.f.-----.
4. I/we have got the Electrical Safety Audit done from M/s----- *vide*
certificate No. ----- dtd.-----valid up to ----- for our/my
premises mentioned above.
5. I/we haveNo. of lift/lifts installed in our/my premises. Safety Audit of lifts got done
from M/s----- *vide* certificate No. ----- dtd.-----
valid up to -----.
6. I/We have engaged Mr.-----, as Fire Safety Officer for our/my premises
mentioned.

I/We further declare that all the conditions for our/my buildings / premises as under the provisions of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022), have been compiled.

Date :

(Name of Owner/Occupier)

CERTIFICATION

I/We certify that installations in the above mentioned buildings /premises are maintained, in good repair and efficient conditions during the period _____ as under the provisions of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022). The installation/maintenance of systems/provisions in said building have been carried out by me/us w.e.f.-----.

Place :

Seal & Signature

Date :

(Name of qualified third party agency)

Licence No.

FORM-A 9
Certificate of Enrollment of Fire Safety Officer

Passport size
photograph of the
member attested
by authorized Fire
Officer

No.

Certified that Shrison/daughter of Sh. -----, resident of -----
Whose photograph appear on the right corner, has been enrolled as Fire Safety Officer under section 28
of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022) with effect
from----- His Enrolment No. is

Shri----- has been appointed by the owner/occupier Mr./Mrs./Ms.----- for
his/her/their building / premises-----.

Date:

Seal & Signature

Place:

Name and Designation of competent Fire Officer

FORM-A 10**Notice No. :-****Notice regarding inadequacies or contraventions regarding Fire Prevention and Life Safety measures noticed during inspection.**

To,

Vide notice No. _____ dated _____ under the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022), Sh./Mrs./Ms. -----, Designation----- has inspected your premises/building/temporary structure situated at -----, on dated-----, Time-----, being used for the occupancy -----, for the purpose of ascertaining the adequacy or contravention of fire prevention and life safety measures that are provided or are required to be provided.

Inadequacy or contraventions noticed in the building or premises or temporary structure with respect to minimum standards of fire prevention and fire safety measures as specified in the rules during inspection are as under,-

- (1)-----
 - (2)-----
 - (3)-----
 - (4)-----
 - (5)-----
 - (6)-----
 - (7)-----
 - (8)-----
-

Therefore, in exercise of the powers conferred by the said Act, I hereby direct you to undertake the adequate corrective measures on above mentioned inadequacy or contraventions noticed within _____ days after receipt of this notice and report the compliance in this regard within-----days to the undersigned.

Seal & Signature

Name and designation of the Competent officer.

Place:

Date:

FORM-A 11**APPLICATION TO GRANT FIRE SAFETY CERTIFICATE**

To

The In charge Fire and Emergency Service,**District -----****Uttar Pradesh.**

Sub: Application for grant of Fire Safety Certificate of.....(address of building/premises).

Sir,

This is to inform you that a Fire Safety Certificate (Provisional/final/Renewal) needs to be issued for(name of the building /premises) at(address) comprised of.....basement (s) and.....(upper floors) proposed to be or owned /occupied by..... (name of the company/name of the owner/occupier) and having/shall have occupancy as

In this connection, it is submitted that all the Fire Prevention and Fire Safety measures mandatorily required under section 26 of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 or as recommended by you *vide* letter no. -----dated-----have been /shall be proposed/provided in the building/premises. Following have been enclosed along with the application:

- (a) Duly filled checklist for building/premises and Fire Prevention & Fire Safety measures.
- (b) Certificate issued by qualified third party agency.
- (c) Appointment letter of Fire Safety officer(s) appointed/to be appointed.
- (d) Certificate of Electrical Safety of building/premises.
- (e) Safety Certificate of lifts.
- (f) Copy of last Fire Safety Certificate issued.
- (g) Other.....

You are requested to kindly take action as necessary for grant of Fire Safety Certificate for occupancy of the building/premises.

Place:

Date: (Name and Signature of the Applicant)

Address-----

E-mail ID-----

Mobile No. -----

FORM-A 12**FIRE SAFETY CERTIFICATE****(Provisional)**

No.

Dated:

Certified that the..... (name of the building or premises) at
 (address) comprised of.....basement(s)
 and.....(upper floors) proposed to be owned/occupied
 by..... (name of the
 company/name of the owner/occupier),

are hereby proposed to provide the fire prevention and fire safety requirements in accordance
 with section 26 of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 and the verification of
 submitted drawings/maps/documents etc., of and site inspection of proposed building/premise has been
 carried out by (the officer/officers concerned of Fire and Emergency
 Service)..... on(date of inspection).

And that the building/premises is granted Provisional Fire Safety Certificate with effect
 from ----- for a period of years in accordance with rules framed under this Act for Provisional
 Fire Safety Certificate and subject to compliance of any specific conditions laid down by the issuing
 officer.

Date:

Seal &Signature

Place:

Name and Designation of competent Fire Officer

Computer ID.....

*Strike out whichever is not applicable.

**Note: This Fire Safety Certificate is certifying the presence of fire protection and life safety measures
 in order to minimize the life and property damage. It is mandated by the relevant code and standards
 applicable to the occupancy of the building or premises, for which it is issued and is based on height,
 covered area as shown in the uploaded documents. It is liable to be cancelled, if uploaded information
 is found incorrect. It shall not be considered for certifying -land use, ownership or legal status of the
 building or premises etc.**

ENDORSEMENT

The Provisional Fire Safety Certificate No.
 issued by Fire and Emergency Service stand cancelled and annulled due to

(reasons to be recorded).

Date:

Seal &Signature

Place:

Name and Designation of competent Fire Officer

FORM-A13**FIRE SAFETY CERTIFICATE****(Final/Renewal)**

No.

Dated:

Certified that the..... (name of the building or premises) at (address) comprised of.....basement(s) and.....(upper floors) proposed to be owned/occupied by..... (name of the company/name of the owner/occupier),

have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with section 26 of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 and the same have been verified by (the officer/officers concerned of Fire and Emergency Service)..... on(date of inspection).

And that the building/premises is granted Final /Renewal Fire Safety Certificate with effect from-----for a period of years in accordance with rules framed under this Act for Final /Renewal Fire Safety Certificate and subject to compliance of any specific conditions laid down by the issuing officer.

Date:

Seal &Signature

Place:

Name and Designation of competent Fire Officer

Computer

ID.....

*Strike out whichever is not applicable.

Note: This Fire Safety Certificate is certifying the presence of fire protection and life safety measures in order to minimize the life and property damage. It is mandated by the relevant code and standards applicable to the occupancy of the building or premises, for which it is issued and is based on height, covered area as shown in the uploaded documents. It is liable to be cancelled, if uploaded information is found incorrect. It shall not be considered for certifying -land use, ownership or legal status of the building or premises etc.

ENDORSEMENT

The Final /Renewal Fire Safety Certificate No. issued by Fire and Emergency Service stand cancelled and annulled due to (reasons to be recorded).

Date:

Seal &Signature

Place:

Name and Designation of competent Fire Officer

FORM-A 14**RISK CATEGORY OF OCCUPANCIES (INCLUDING FIRE RISK)**

RISK CATEGORY	OCCUPANCY CATEGORY
LOW RISK	<ul style="list-style-type: none"> i. Low hazard Industries (As per NBC guidelines). ii. Low houses, shops etc. iii. Upto G+1 floor occupancies like- Residential, Educational, Institutional, Business, Mercantile, Assembly.
MODERATE RISK	<ul style="list-style-type: none"> i. Moderate hazard Industries (As per NBC guide lines) ii. Hotels, Lodgings and Guest Houses: <ul style="list-style-type: none"> (a) of twelve meters or more in height from ground level; or (b) having four or more floors including all underground, basement, stilt and mezzanine floors; or (c) three star or above category; or (d) having twenty-five guest rooms and above; or (e) having one or more convention or function or assembly halls of combined built-up area of two thousand square feet or more, or combined capacity of three hundred or more persons iii. Places of Assembly like Auditoria, convention halls, Assembly halls, recreation halls where number of persons not less than fifty congregate or gather for amusement, recreation, social, religious etc and similar purposes; iv. Business or office buildings; v. All Clinical Establishments; vi. All types of Educational Buildings vii. Malls, shopping complexes and mercantile buildings <ul style="list-style-type: none"> (a) of nine meters or more in height from ground level; (b) having three or more floors including all underground, basement, stilt and mezzanine floors; viii. Residential (other than hotels, lodgings and guest houses) <ul style="list-style-type: none"> (a) of fifteen meters or more in height from ground level; (b) having five or more floors including all underground, basement, stilt and mezzanine floors; ix. Temporary structures; x. All underground or partially underground structures used for any purpose or occupancy; xi. Warehouses;
HIGH RISK	<ul style="list-style-type: none"> i. High hazard Industries (As per NBC guidelines) ii. Aerodromes, airports and airstrips iii. Explosives or fireworks or hazardous substances (manufacturing, storage, transporting, display, sale etc.); iv. Depot of Petroleum and other inflammable substances and refineries (storing, handling, refining, blending and retail outlets etc); v. Cinema Halls and Multiplexes; vi. Nuclear installations, defense installations and other installations of national pride.

FORM-A 15**NOTICE FOR REMOVAL OF OBJECTS OR GOODS LIKELY TO CAUSE THE
RISK OF FIRE**

Notice No.-----

To,
Shri._____

I,-----, nominated inspecting authority u/provisions of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022), have inspected your premises/building situated at-----
-----, on dated-----.

And whereas, on inspection of the aforesaid building /premises, it is noticed that the objects/goods/conditions mentioned are such as are likely to cause risk of fire and are required to be removed/set right, as the case may be.

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me under the Uttar Pradesh Fire and Emergency Service Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022) hereby give you notice that you shall forthwith remove/set right the said objects /goods/conditions, as the case may be and submit the report in respect of your, having done so to the undersigned withindays.

Place:

Date:

Signature

Name and Designation of

The Fire Officer competent to issue notice

FORM-A 16**Inspection Report**

Inspection Report No.:-

Dated:-

Upon entered in the premises/building/temporary structure of Sh./Smt./Ms./Ms-----
situated at ----- on dated-----,Time-----,being used
for the occupancy -----,for the purpose of ascertaining the adequacy or contravention of fire
prevention and life safety measures that are provided or are required to be provided in the said building
or premises or temporary structure by or under the provisions under the Uttar Pradesh Fire and
Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022).

Inadequacy or contraventions noticed in the building or premises or temporary structure with
respect to minimum standards of fire prevention and fire safety measures as specified in the rules during
inspection are as under,-

- (1)-----
 - (2)-----
 - (3)-----
 - (4)-----
 - (5)-----
 - (6)-----
 - (7)-----
 - (8)-----
-

Signature and Seal
Name and designation of the
Inspecting officer

FORM-A 17
PANCHNAMA

Case No. _____

Place _____

Date _____

Time _____

1. Name and address of Owner/occupier _____
2. Name and address of the person present _____
3. Name and Address of the Panchas:
 - A. (a) Shri/Smt. _____
 - (b) S/o.D/o./W/o. _____
 - (c) Resident of _____
 - (d) Age (Years) _____
 - (e) Occupation _____
 - B. (a) Shri/Smt. _____
 - (b) S/o.D/o./W/o. _____
 - (c) Resident of _____
 - (d) Age (Years) _____
 - (e) Occupation _____

We, the above Panchas are on this day _____ called by Shri/Smt.

_____ designation

Place _____ to _____ witness the act of seizing of certain objects or goods from _____ address of the building/premises/temporary structure which were possessed and exposed in the premises/building/temporary structure of the owner/occupier. In our presence, the said _____ (name and designation of the officer) seized the following mentioned objects/goods which we testify to be correct.

Sl. No.	Place from where seized	Particulars of seized objects or goods	Quantity	Reasons for seizure and detention

The Panchnama is read over and explained to us and it is correct account of when we saw.

Signature of Panchas:

(Signature of the Authority seizing the goods)

(1) _____

(2) _____

Received the copy of Panchnama.

Signature of the owner/occupier

FORM-A 18**(Form of Declaration by Erector of Temporary Structure)****DECLARATION BY ERECTOR OF TEMPORARY STRUCTURE UNDER THE ACT**

I(name of the erector of temporary structure) having registered office at.....do hereby declare that the temporary structure erected /to be erected at.....measuring.....meters (covered area), shall remain in place with effect from.....to.....and that Fire Prevention and Fire Safety measures as required under the provisions of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022, have been/shall be provided therein and further that the complete erection of temporary structure and electrical wiring and electrical services are in conformity with the standards.

Also, it is declare that no storage/use of the flammable liquid or gases is done in the temporary structure and that for electrical wiring, equipment and electrical services etc., Electrical Safety Certificate No.has been /shall be obtained from(Competent authority as per Indian Electricity Rules).

I, also, declare that following trained fire fighting staff shall remain on duty during the occupancy of the temporary structure:

- (a)
- (b)
- (c)

Place:

Date:

(Name and Signature of the Applicant)

Address-----

E-mail ID-----

Mobile No. -----

FORM-A 19**Notice for Disconnection of Power Supply****Notice No.-----**

To,
The Chief Engineer (Electricity Distribution)

Upon receipt of non-compliance report of the provisions of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022), by Shri..... at his building/premise situated atand failure of the owner/occupier to comply the defects/objections etc., the said building/premise has become unsafe in view of Fire and Life Safety.

I,.....(Designation).....competent authority under the provisions of the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022), hereby give you the notice to disconnect the power supply and takeover all resources being used for power supply and use at the said premises of Shri..... within 03 hours of receipt of this notice.

Place:

Date:

Signature

Name and Designation of

The Fire Officer competent to issue notice

Certification

The provisions of fire and life safety as per the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022), by have been compiled by Shri.....at his building/premises, situated at.....Thus, power supply of the said building/premise may be resumed.

Place:

Date:

Signature

Name and Designation of

The Fire Officer competent to issue notice

FORM-A 20
(FORM OF FIRE REPORT)

1. Current date.
 2. Fire Report Number.
 3. Operational jurisdiction of Fire Station.
 4. Information received from.
 5. Name of the caller.
 6. Phone number of the caller.
 7. Full address of the incident place.
 8. Date of receipt of call.
 9. Time of receipt of call.
 10. Time of departure from Fire Station. Approximate distance from Fire Station.
 11. Time of arrival at Fire Scene.
 12. Details of death(s).
 13. Nature of call.
 14. Date of leaving from fire scene.
 15. Time of leaving from fire scene.
 16. Type of occupancy.
 17. Occupancy details in case of others.
 18. Category of fire.
 19. Probable Cause of Fire-
 20. Type of building.
 21. Building details in case of others.
 22. Details of affected area.
 23. Details if injury.
 24. Details of death(s) and Life saved
 25. Detail of Loss, Property Saved
 26. Remark and Proper Detail of incident
- Fire Officer as authorized by Director

Disclaimer:

This is a computer generated report. Neither department nor its associates, information providers or content providers warrant or guarantee the timeliness, sequence.

FORM-A 21**FORM OF APPEAL TO THE FIRST APPELLATE AUTHORITY**

Appeal No. of 20.....

Appellant:Shri..... Son of Shri..... resident of
.....VersusFire Officer/Director/Sub Divisional Magistrate/others-Respondent Appeal under Section 45 of
Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022) against the notice /order
of ShriFire Officer/ Sub Divisional Magistrate/Director /Others
dated:

Sir,

The Appellant respectfully showeth as under:-

1. Statement of facts.
2. Ground of Appeal.
3. Fee of Rs. 1000/- has been paid vide receipt No.....dated
4. Appeal is within time.
5. No other Appeal or any matter relating to the subject matter of this appeal is pending in any court of law.
6. Relief claimed.

Place:

Signature of Authorized representative, if any.

Date:

VERIFICATIONI the appellant do hereby declare that what is stated above is true
to the best of my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Place:

Signature of Authorized representative, if any.

Date:

Verified today, the day of.....20.....

Signature of Appellant

FORM-A 22**FORM OF SECOND APPEAL TO THE SECOND APPELLATE AUTHORITY**

Appeal No. of 20.....

Appellant:

Shri.....Son of Shri.....resident ofVersus
 Fire Officer/Director/Sub Divisional Magistrate /others-Respondent Appeal under Section 45 of Uttar
 Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 (U.P. Act no. 16 of 2022) against the notice /order of
 Shri.....Fire Officer/ Sub Divisional Magistrate / Director / Others
 dated:

Sir,

The Appellant respectfully showeth as under:-

1. Statement of facts.
2. Ground of Appeal.
3. Fee of Rs. 5000/- has been paid vide receipt No.....dated
4. Appeal is within time.
5. No other Appeal or any matter relating to the subject matter of this appeal is pending in any court of law.
6. Relief claimed.

Place:

Date:

Signature of Authorized representative, if any.

VERIFICATION

I the appellant do hereby declare that what is stated above is
 true to the best of my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Place:

Date:

Signature of Authorized representative, if any.

Verified today, the day of.....20.....

FORM-A 23**Performa for Cases to be sent to Departmental Technical Advisory Committee**

Sl. No.	Points	Remarks										
01.	Building Name & Address											
02.	Name, Address and Mobile No. of Building Owner/Manager											
03.	Details of Building Occupancy and Material Used(MSDS)											
04.	Since when was the building constructed											
05.	Plot Area(SQM)											
06.	No. of Floors in building											
07.	Height of Building											
08.	Building situated in the area of which authority/Notified area.											
09.	Road width in front of building											
10.	Set Back Details of the building											
11.	Available Firefighting Systems											
12.	No. of Stair Cases and Width											
13.	Details of sanctioned map by authority											
14.	Details of Fire NOC issued to the building											
15.	Provision of which Acts and Rules are being observed to be in contradiction (for example, which provisions of NBC 2016, Fire Prevention and fire safety Act/ Rules 2005, Local Building Byelaws or any other Act, Rules, Government Order For the time being in force are found to be in contradiction)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SN</th><th>Point Contradiction</th><th>Under which Rule</th><th>Under which Act</th><th>Under which Government Order</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	SN	Point Contradiction	Under which Rule	Under which Act	Under which Government Order					
SN	Point Contradiction	Under which Rule	Under which Act	Under which Government Order								
16.	Other Points											

1. Remarks by Inspecting Officer-

Signature:-

In-Charge Fire Station Officer

2. Remarks by In-charge Fire Sub District-

Signature:-

3. Remarks by In-charge Fire District-

Signature:-

4. Remarks by In-charge Fire Region-

Signature:-

Signature of Appellant

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.